खण्ड-466, अंक-5
मंगलवार, 13 अग्रहायण, शक संवत् 1929
(4 दिसम्बर, 2007 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 2007)

खण्ड 466 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2007

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
लखनऊ फैजाबाद तथा बनारस कचेहरियों में हुये बम ब्लास्ट से सम्बन्धित नियम-311 की सूचना को लिये जाने की मांग	1
प्रश्नोत्तर	1-49
प्रश्नों का समय समाप्त हो जाने पर आज की कार्य सूची के तारांकित प्रश्न संख्या-5 न आ पाने पर व्यवस्था का प्रश्न	50-51
विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री किशन लाल तथा प्रोफेसर रविन्द्र पुण्डीर के निधन पर शोकोद्गार	51-52
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	52-53
जनपद बांदा में नये प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय बनाये जाने एवं नवनिर्मित भवन एवं एकल कक्षों का निर्माण गुणवत्ता से कराये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	54
मेडिकल कालेज झांसी के कैंसर विभाग में स्टाफ एवं चिकित्सक तैनात करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	54-55
महिला पार्लाटेक्निक कालेज शामली मुजफ्फरनगर के सभी ब्रांचों में रिक्त पदों पर व्याख्याताओं की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	55
शाहजहांपुर जिला चिकित्सालय में बैकलाग में समूह 'घ' के अन्तर्गत चयनित कर्मचारियों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	55-56
जनपद उन्नाव के प्रधान मंत्री सड़क ग्रामीण योजना में स्वीकृत अचलगंज से पुरवा क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	56
प्रदेश में डी0ए0पी0 एवं अन्य खादों तथा बीज की अनुपलब्धता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	56
जनपद हाथरस (महामाया नगर) के सादाबाद क्षेत्रान्तर्गत पेयजल समस्या के निदान के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	56-57

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद उन्नाव के मौरावां-बछरावां मार्ग के मौरावां से हिलौली तक 7 कि0 मी0 मार्ग का अवशेष कार्य पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	57
जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज में ए0पी0 तटबन्ध के टूटने से हुये नुकसान की भरपायी करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	57-58
प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से स्वीकृत मार्गों का कार्य पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	58
जनपद गौतमबुद्धनगर के नोयडा प्राधिकरण के गेट पर हड़ताल पर बैठे अस्थायी कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	58
आगरा में प्रदूषित जलापूर्ति की समस्या का निदान करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	59
जनपद चन्दौली के चन्धासी कैथा टंडिया क्षतिग्रस्त मार्ग को जनहित में निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	59
काशीराम शहरी समग्र विकास योजना में मेरठ नगर निगम को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	60
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें (जारी)	60
विधान सभा के वर्तमान सत्र का स्थगन जन-गण-मन .... के द्वारा किये जाने के पश्चात सत्रावसान की सिफारिश श्री राज्यपाल से न करके पुनः 04 दिसम्बर, 2007 को सदन की बैठक बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	60-63
प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान 30 अगस्त, 2007 तक न करने वाले मिल मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की घोषणा गन्ना विकास मंत्री द्वारा सदन में किये जाने के बावजूद अभी तक कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	63-77
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	77
उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा नियमावली, 2005 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी)	78

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	78
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	78
छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	78
उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	78
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	79
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	79
उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	79
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	79
उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	80
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	80
उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास (निरसन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	80
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	80
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	80-81
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	81

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से स्वीकृति के उपरान्त वापसी की सूचना)	81
उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से अस्वीकृति के उपरान्त वापसी की सूचना)	81
उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से अस्वीकृति के उपरान्त वापसी की सूचना) ...	82
उत्तर प्रदेश विनियोग (2007-2008 का अनुपूरक) विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	82
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	82
उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	82
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	83
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	83
उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	83
छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	83
उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	84
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	84
उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	84
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	84

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास (निरसन) विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	85
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	85
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	85
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	85-86
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	86
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	86
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	86-87
विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशं विषयक प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	87-88
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007 ..... (पुरःस्थापित)	89
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2007 ..... (पुरःस्थापित)	89
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	89-127
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 (पुनःपारित) ...	127
उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 (पुनःपारित) ...	127-129
उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 (पुनःपारित)	129-130
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007 (पारित) ...	130-132
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2007 (पारित)	132-140
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	140-142

विषय	पृष्ट-संख्या
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद आदि जिले में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के दृष्टिगत सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिये कार्य योजना बनाने विषयक दि0 31 अक्टूबर, 2007 की कार्य-सूची के नत्थी 'क' के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न-2 के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा ...	142-146

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 04 दिसम्बर, 2007

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

उपस्थित सदस्य 353

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अर्कालुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अजय तोमर, डा0	बागपत
अजय पाल सिंह, कुंवर	रायबरेली
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अजय यादव, श्री	एटा
अजय सिंह, श्री	जालौन
अनन्त मिश्रा, श्री	फर्रुखाबाद
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
अर्नास अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीरनगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्दुल वारिस खाँ, श्री	मुजफ्फरनगर
अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री	फैजाबाद
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरूण कुमार यादव, श्री	आजमगढ़
अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अर्चना सरोज, श्रीमती	सन्तरविदास नगर (भदोही)
अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री	महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार दोहरे, श्री	औरैया
अशोक कुमार कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आर0 ए0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी

आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 शर्मा, पण्डित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इमरान मसूद, श्री	सहारनपुर
इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
कादिर राणा, श्री	मुजफ्फरनगर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुवेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रूखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत	बलरामपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जमीरउल्ला, श्री	अलीगढ़
जमुना निषाद, श्री	गोरखपुर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री	कुशीनगर
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जीतेन्द्र कुमार,	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रूखाबाद

तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
दद्दन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दशरथ प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री	झांसी
दुर्गा प्रसाद यादव श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धनीराम वर्मा, श्री	औरैया
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव, श्री	बदायूँ
धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी चौधरी, श्री	हमीरपुर
नकुल दुबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज कुशवाहा, श्री	शाहजहाँपुर
पंकज कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री	बदायूं
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फागू, श्री	मऊ
बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बिमलेश सिंह, श्रीमती	अलीगढ़
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री	इटावा
भोला, श्री	आजमगढ़
मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा

मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
महेश चन्द्र गुप्ता, श्री	बदायूँ
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहाँपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुस्लिम खाँ, श्री	बदायूँ
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इकबाल, श्री	बिजनौर
मोहम्मद इरशाद खान, श्री	लखनऊ
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
यसपाल सिंह रावत, श्री	गोरखपुर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूँ
रंगनाथ मिश्र, श्री	सन्तरविदासनगर (भदोही)
रघुनाथ प्रसाद शंखवार, डा0	कानपुर देहात
रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुंवर श्री	प्रतापगढ़
रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री	फतेहपुर
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुँवर	कुशीनगर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, डा0	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश यादव, श्री	शाहजहाँपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव

राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभरे, श्री	अम्बेडकर नगर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
रामस्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरट
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टंडन, श्री	लखनऊ
लालजी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ	
विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव गणेश, श्री	रायबरेली
शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेखर तिवारी, श्री	औरैया
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम लाल, श्री	बलरामपुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज
श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय कुमार त्रिपाठी, श्री	प्रतापगढ़

संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं
सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर
सी0एम0 प्रसाद, श्री	सोनभद्र
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखलाल, श्री	पीलीभीत
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
सुनील शर्मा, श्री	गाजियाबाद
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुभाष, श्री	बलिया
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सुशील कुमार, श्री	चन्दौली
सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
हसरत उल्ला, श्री	एटा
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर

नोट–लोक निर्माण, आबकारी, आवास तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी व भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री श्री बाबू सिंह कुशवाहा भी सदन में उपस्थित थे।

लखनऊ, फैजाबाद तथा बनारस कचेहरियों में हुये बम ब्लास्ट से सम्बन्धित नियम-311 की सूचना को लिये जाने की मांग

(विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा अपने-अपने आसन पर खड़े होकर अपनी बात कहने के कारण व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मैंने नियम-311 की नोटिस दी हुई है उसको पहले ले लें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, विगत दिनों जो बनारस, फैजाबाद और लखनऊ में आतंकी घटनाएं हुई हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, बनारस, फैजाबाद और लखनऊ में जो विस्फोट की घटनाएं हुई हैं।

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी, नरेश चन्द्र अग्रवाल जी, चौधरी साहब मुझे एक मिनट सुन लें।

(एक सदस्य द्वारा सी0डी0 दिखाने पर)

श्री अध्यक्ष-

जो सदस्य सी0डी0 दिखा रहे हैं यह प्रदर्शन सदन में नहीं होना चाहिए। बम ब्लास्ट के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत जो सूचनाएं दल के नेताओं ने दी है उसको मैंने नियम-56 में बदलकर पहले नम्बर पर चयनित कर लिया है। उसका जब समय आएगा उस समय आप अपने तर्क रखें।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में गंगा नदी के जल के प्रदूषण मुक्त करने की व्यवस्था

**1-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में गंगा नदी के जल में प्रदूषण के कारण जलीय गुण में निरन्तर ह्रास हो रहा है ? यदि हां, तो इसके निवारण हेतु सरकार द्वारा वर्तमान में कोई योजना बनाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास, पर्यावरण, संस्कृति, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

जी हां।

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश में 13 बिन्दुओं पर गंगा नदी की जल गुणता हेतु नियमित अनुश्रवण किया जाता है। वर्ष 2007 में प्राप्त जल गुणता के औसत आंकड़ों में गंगा नदी में 13 बिन्दुओं में से 8 बिन्दुओं पर बी0ओ0डी0 निर्धारित मानक 3.0 मिली0 ग्रा0/लीटर से अधिक पायी गयी। शेष 5 बिन्दुओं पर बी0ओ0डी0 की मात्रा मान 3.0 मिली0ग्रा0/लीटर से कम पायी गयी है। गंगा नदी में समस्त बिन्दुओं पर टोटल क्लोरीफार्म की मात्रा निर्धारित मानक

500 एम0पी0एम0/100 मिली0 से काफी अधिक पायी गयी, जो यह इंगित करता है कि प्रदूषण का मुख्य श्रोत सम्भवतः घरेलू मल-जल है।

प्रदूषण का मुख्य कारण शहरी मलजल का निस्तारण (लगभग 80 प्रतिशत) औद्योगिक उत्प्रवाह, कृषि कार्य में आने वाले कीटनाशक तथा खाद का बहाव, नदी में जल प्रवाह का कम होना व अन्य राज्य से प्रदूषित जल प्राप्त होना है। घरेलू मल जल से हो रहे प्रदूषण को कम करने हेतु गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत कुछ नगरों में जल निगम विभाग द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाया गया है। औद्योगिक उत्प्रवाह से नदी के जल को प्रदूषण से रोकने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न श्रेणी की जल प्रदूषण कारी औद्योगिक इकाईयों में उत्प्रवाह के शुद्धिकरण संयंत्र की समुचित व्यवस्था कराई जाती है तथा औद्योगिक इकाईयों द्वारा जनित उत्प्रवाह की जांच बोर्ड की प्रयोगशालाओं में की जाती है। जांच रिपोर्ट मानकों के अनुरूप पाये जाने पर ही इन उद्योग चलाए जाने हेतु सहमति देने पर विचार किया जाता है। जांच रिपोर्ट मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर उद्योग के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इलाहाबाद में आयोजित हुये अर्ध कुम्भ 2007 में 75 उद्योगों को जिला प्रशासन की मदद से बन्द कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जवाब सरकार की तरफ से आया है सरकार का यह मानना है कि जो गंगा नदी है जो पवित्र नदी है जिसके जल को हम पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं। वह दूषित हो गयी है गंगा नदी ही नहीं उत्तर प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं चाहे हिन्डन नदी हो, कृष्णा नदी हो उनके पानी का रंग काला हो गया है उसमें जितने भी जन्तु रहते हैं वह मर गए हैं वह जहरीली हो गयी है।

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक प्रश्न करिए।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

उनका जल बिल्कुल दूषित हो गया है जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है, उनके जल को पीकर पशु मर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जो सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हैं जिनकी बात मंत्री जी ने कही है यह कितने शहरों में लगने का काम हुआ ? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो प्रदूषण रोकने का काम करता है, आज तमाम औद्योगिक इकाइयां हैं उन्होंने नाम मात्र को ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगा रखे हैं कोई ट्रीटमेन्ट प्लान्ट काम नहीं कर रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आप तो ब्रीफ कर रहे हैं। अनुपूरक प्रश्न करिए।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मैं जानना चाहता हूं कि सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को लगाने का काम किन-किन शहरों में हुआ है ? वर्ष 2007-08 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कौन सी औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्यवाही की गई ?

श्री नकुल दुबे-

अध्यक्ष जी, वर्तमान में 27 शहरों में एस0टी0पी0 चल रहे हैं और 15 जिलों में एस0टी0पी0 प्लान्ट बन रहे हैं जिनके निकट भविष्य में चलने की आशा है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में भी प्लान्ट चल रहे हैं और पांच सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हमारे अंडर कॉन्स्ट्रक्शन है जो कि बहुत शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ करने वाले हैं। जहां तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रश्न है, जिन उद्योगों को प्रदूषण फैलाने के आरोप में बन्द किया गया है उनकी सूची मैं माननीय सोलंकी जी को अलग से उपलब्ध करा दूंगा।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि जो प्रदूषण है उसमें एक बड़ा मुख्य कारण गंगा नदी में जल की कमी को भी स्वीकार किया है। माघ माह में गंगा नदी के तट पर बहुत सारे धार्मिक स्नान होते हैं। पिछली बार यह व्यवस्था कराई गई थी या हर बार कराई जाती रही है, मैं उसके बारे में माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि करोड़ों लोगों की श्रद्धा को देखते हुए आश्वस्त करेंगे कि माघ माह में जो विभिन्न धार्मिक स्नान होते हैं उसके लिये गंगा नदी में जल छोड़े जाने की व्यवस्था करवायेंगे।

श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से तिवारी जी को बताना चाहता हूं कि जहां तक गंगा नदी में और जल छोड़े जाने का प्रश्न है, प्रदूषण मंत्रालय, भारत सरकार से इस बारे में विचार-विमर्श करके आपको सूचना उपलब्ध करा दूंगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मेरा इतना कहना है कि माननीय मंत्री जी जब उत्तर देते हैं तो वह सरकार की तरफ से आश्वासन होता है। मैंने माननीय मंत्री जी को चिन्ता से अवगत कराया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने बता दिया है कि इस बारे में आपको सूचना उपलब्ध करा देंगे।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, प्रश्न का थोड़ा सा अंश मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। प्रश्न यह था कि वर्तमान समय में कोई योजना सीवेज ट्रीटमेन्ट के बारे में बनाई जा रही है ? उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कुछ प्लान्ट लगाये जा रहे हैं। केन्द्र सरकार ने भी गोमती सफाई योजना के अन्तर्गत धन अवमुक्त किया था। मुझे याद है जिसके तहत माननीय लाल जी टण्डन जी ने गोमती सफाई का कार्य करवाया था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार से इस योजना के तहत कितनी धनराशि प्राप्त हुई है और उस पैसे से जो सफाई का कार्य हुआ है उससे प्रदूषण नियंत्रण में कितनी कमी आई है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नकुल दुबे-

केन्द्र सरकार से विभिन्न योजनाओं के तहत धनराशि उपलब्ध हुई है। प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में 1985 में केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण के नाम से एक योजना का गठन किया गया था और उस योजना में विभिन्न चरणों में धनराशि उपलब्ध कराई गई। जो धनराशि उपलब्ध कराई गई थी उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार 18.14 करोड़ रुपये तीन जगहों बिजनौर, अनूपशहर और चुनार के लिये स्वीकृत किये गये। पांच योजनाओं का काम चल रहा है। जहां तक प्रदूषण में कमी आने का प्रश्न है कि इस योजना से प्रदूषण में कितनी कमी हो रही है इसके बारे में जानकारी माननीय विधायक जी को पहुंचा दी जायेगी।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है माननीय मंत्री जी ने अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि जो सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान है उसके द्वारा गंगा में प्रदूषण के प्रवाह को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह प्लान्ट चाहे जल विभाग या स्थानीय निकाय विभाग जो भी चला रहे हों वैसे मेरी जानकारी में है कि यह इनको जल विभाग चला रहा है, इनका प्रदूषण विभाग के साथ आपस में ताल मेल है ?

मेरी जानकारी में तो है नहीं माननीय मंत्री जी की जानकारी में हो तो बता दें। क्या उनका आपस में तालमेल है क्योंकि जब तक प्रदूषण नियंत्रण के द्वारा जो सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगे हुए हैं इनका और पर्यावरण विभाग का समन्वय नहीं होगा तब तक मानकों के अनुरूप हम उसको ठीक कर पायेंगे यह सम्भव नहीं है। पहला प्रश्न मान्यवर यह है क्या उन संस्थानों के द्वारा जो उस सीवेज प्लान्टों को चला रहे हैं और पर्यावरण विभाग में तालमेल है ? दूसरा मान्यवर, जो सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगे हुए हैं जैसा कानपुर में लगा हुआ है, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी जानकारी करना चाहता हूं कि क्या वह सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट अपने मानकों के अनुरूप ट्रीटमेन्ट कर रहा है नदी के अन्दर जो दूषित जल है वह नहीं छोड़ा जा रहा है अगर छोड़ा जा रहा है तो ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को अपनी गुणवत्ता के अनुसार अपने मानकों के अनुसार ठीक करने का प्रयत्न करेंगे ? यह जानकारी में है या नहीं है ?

श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि वर्तमान में 27 जनपदों में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट चल रहे हैं। कानपुर में वर्तमान में तीन एस0टी0पी0 प्लान्ट काम कर रहे हैं। जिनकी क्षमता क्रमशः 130 एम0एल0डी0, 5 एम0एल0डी0, 36 एम0एल0डी0 है। जहां तक मा0 सदस्य महोदय की जिज्ञासा का प्रश्न है वह समय-समय पर वहां पर चेकिंग होती है उन प्लान्ट्स के बारे में जानकारी मंगाई जाती रही है जहां-जहां मानक के अनुरूप कार्य नहीं होता है वहां सख्ती से कार्यवाही की जाती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं....।

श्री सतीश महाना-

समन्वय है या नहीं यह उत्तर नहीं आया।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, समन्वय का परिचायक है कि दोनों विभाग माननीय मंत्री जी के पास हैं।

श्री सतीश महाना-

नीचे विभाग में तो कर्मचारियों ने अलग-अलग काम करना है आप तो विद्वान हैं ऐसे उत्तर की आपसे उम्मीद नहीं था। डिपार्टमेन्ट तो अलग-अलग हैं एक मंत्री है ठीक है मंत्रियों में तालमेल हो सकता है सरकार में तालमेल हो सकता है लेकिन विभागों में तालमेल है या नहीं है। हम यह जानना चाहते हैं वह चल रहा है या नहीं चल रहा है।

श्री अध्यक्ष-

जब समन्वय रहेगा तो तालमेल रहेगा।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट-

मान्यवर, यह सर्वविदित है कि तीन तरह के प्रदूषण हैं। ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। मैं जल प्रदूषण के बारे में बात कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि गंगा एक्शन प्लान के साथ गोमती एक्शन प्लान यह सारी चीजें उसी विचार को लेकर रखी गयी। मैं जानना चाहता हूं कि जैसा महाना जी ने प्रश्न किया, उसी तरह से गोमती में जल प्रदूषण कितना है गऊ घाट पर जो स्थिति है और इन सब चीजों को देखते हुए जल प्रदूषण के प्वाइन्ट आफ व्यू से न केवल स्नान किया जाता है गंगा नदी के पवित्र जल में बल्कि उसका पान भी किया जाता है गोमती नदी और दूसरी नदियों को देखें तो इस प्वाइन्ट आफ व्यू से देखते हुए यह प्रदूषण बहुत बड़ा संकट पैदा कर रहा है। इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी यहां हैं मैं मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाते हुए कहना चाहता हूं क्या इस तरह की कोई बात है कि इसको उसी गम्भीरता से लेते हुए कि -'शुद्ध जल और साफ हवा, सौ मर्जों की एक दवा' तो सौ मर्जों की एक दवा करें।

श्री अध्यक्ष-

आपका सुझाव सही है लेकिन गंगा प्रदूषण के सम्बन्ध में प्रश्न लगा है। सब नदियों के बारे में पूछेंगे तो कैसे बता पायेंगे।

*श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब गंगा एक्शन प्लान की बात हो रही है तो यमुना एक्शन प्लान की थोड़ी बात हो सकती है। श्रीमन्, मथुरा और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वृन्दावन में यमुना नदी का धार्मिक महत्व है और यमुना इस कदर प्रदूषित हो गयी है वहां लोग आचमन लेने आते हैं लेकिन वहां जल में कीड़े हो गये हैं वहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट लगे हुए है जो नगरपालिका परिषदों द्वारा चलाये जा रहे हैं लेकिन वह चल नहीं पा रहे हैं इसको हम मंत्री जी के संज्ञान में पहले भी ला चुके हैं। क्या जल निगम उन सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट को पुनः चलायेगा ?

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, जहां तक मथुरा और वृंदावन का प्रश्न है। इन दोनों स्थानों पर हमारे ट्रीटमेंट प्लान्ट लगे हुए हैं। इसमें मथुरा में 13 एम0एल0डी0 का हमारा ट्रीटमेंट प्लान्ट लगा हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। बहुत अनुपूरक प्रश्न हो गये हैं।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, लेकिन अभी यमुना नदी के बारे में माननीय मंत्री जी का जवाब नहीं आया है। यमुना में जो ट्रीटमेंट प्लान्ट लगे हुए हैं वह सही से संचालित नहीं हो पा रहे हैं तो क्या उनको जल निगम से संचालित करायेंगे ? मान्यवर, पूरे देश के लोग वहां आकर स्नान करते है और आचमन लेते हैं। तो मेरा कहना है कि इन मथुरा और वृंदावन के ट्रीटमेंट प्लान्ट को जल निगम से संचालित करवायेंगे ?

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, इस पर विचार कर लेंगे।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, माघ मेला होने वाला है। प्रत्येक वर्ष माघ के महीने में गंगा प्रदूषण के लिये लोग आन्दोलन करते हैं, आमरण अनशन करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उसमें निर्णय किया है। मान्यवर, यमुना के किनारे 36 नाले मिलते हैं। तो इन नालों के लिए क्या आप कोई व्यवस्था करेंगे ?

प्रदेश में कृषकों को गुणवत्तायुक्त उर्वरकों को उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था

**2-श्री श्यामदेव राय चौधरी तथा श्री उदय राज यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आवश्यकतानुसार सभी तरह की खादों की उपलब्धता बनाये रखने एवं मिलावटी खाद की बिक्री पर रोक लगाने हेतु सरकार की कोई कार्य-योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

जी हां। प्रदेश में कृषकों को गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के निमित्त वर्ष 2007-08 हेतु उर्वरक गुण नियंत्रण की कार्य-योजना कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश के पत्रांक ए-कार्य लक्ष्य/2007-03/111, दिनांक 15 मई, 07 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को प्रसारित की गयी है।

उर्वरक गुण नियंत्रण की कार्य-योजना में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उर्वरक व्यवसाय पर 60 हजार छापे आयोजिक कर विभिन्न स्तरों से 15 हजार उर्वरक नमूने ग्रहीत कराने एवं उनकी

जांच/परीक्षण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस सम्बन्ध में अब तक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :--

.1	आयोजित, छापे	12629
2	ग्रहित कर परीक्षण कराये गये नमूने	4138
3	निर्धारित मानक से भिन्न पाये गये अमानक नमूने	308
4	उर्वरक व्यवसाइयों के निरस्त किये गये उर्वरक विक्रय प्रमाण-पत्र	150
5	उर्वरक व्यवसाइयों के निलम्बित किये गये उर्वरक विक्रय प्रमाण-पत्र	170
6	व्यापार प्रतिबन्धित	9
7	सील किये गये उर्वरक प्रतिष्ठान	14
8	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दर्ज करायी गयी एफ0 आई0 आर0	9
9	जेल भेजे गये उर्वरक व्यवसायी	1

प्रश्न नहीं उठता।

* श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के दो पार्ट हैं। एक है कि आवश्यकतानुसार कृषकों को खाद उपलब्ध कराना और दूसरा पार्ट है कि जो बाजार में अधोमानक खाद की काला बाजारी हो रही है उससे सम्बन्धित। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में जो कुछ भी बताया, लेकिन खाद की अनुपलब्धता है जिसके लिए चारों तरफ किसान आन्दोलन कर रहे हैं, लाठी चार्ज हो रहे हैं और एक व्यक्ति की गार्जीपुर में मौत हो गयी, तो उससे सम्बन्धित उत्तर नहीं दिया। हालांकि आपने पिछले दिनों सदन में यह कहा था कि हमने इस तरह से उपलब्धता बनायी है लेकिन यह भी स्वीकार किया था कि आंशिक रूप से सत्य है कि खाद की कमी है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आज की तिथि में कृषकों को खाद नहीं मिल रही है इसकी जानकारी आपके पास है, अगर आपके पास है तो आपने इसके लिए कोई व्यवस्था की है ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर; पिछली बार 30 नवम्बर तक 78 फीसदी गेहूं ही बोआई हुई थी इस बार 30 नवम्बर तक मात्र 60 फीसदी हुई है। इस बार जो अब तक खाद उपलब्ध हुई है डी0ए0पी0 की वह 6.96 लाख मीट्रिक टन उपलब्ध हुई है और दिसम्बर तक 8.21 लाख मीट्रिक टन उपलब्ध हो जायेगी। मान्यवर, विगत वर्षों की तरह मा0 चौधरी साहब ने जो बातें कहीं, कुछ जिलों में हो सकता है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन पिछले सालों के इन दिनों के अखबारों को देखें तो कम से कम हजारों किसानों पर लाठी चार्ज हुआ और रोड जाम हुआ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आज किसान अपने पैसे से खाद खरीदने के लिए जाने वाले किसान की हत्या का मामला इस सरकार के लिए कलंक है। यह पहली बार हुआ कि किसान की मृत्यु खाद मांगने में हुई। मान्यवर, मेरा यह कहना है कि प्रश्न का उत्तर दिला दें। इसके दो पार्ट हैं- एक तो अनुपलब्धता के सम्बन्ध में था। यह बड़ा ही संवेदनशील मामला है और इस पर उत्तर आना चाहिए लेकिन यह उत्तर न देकर पिछले सालों की बात पर रहे हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, जो भी व्यवस्था हो वह आप बतायें। आक्षेप न करें। बीच में न टोकें जवाब आने दें। अग्रवाल साहब उत्तर आ जाने दें। उदय राज जी, आप बैठ जायें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पूरा जवाब तो आने दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, सरकार की स्थिति यह है कि वह मूल प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। आप मूल प्रश्न का उत्तर दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य बैठ जायें। माननीय मंत्री जी आप उपलब्धता के बारे में स्पष्ट उत्तर दे दें।

श्री लक्ष्मी नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय नरेश अग्रवाल जी कह रहे थे, टिप्पणी कर रहे थे, ...

श्री अध्यक्ष-

टिप्पणी वगैरह की कोई बात ही न करें।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, इसमें टिप्पणी की कोई बात ही नहीं है, तीन चौधरियों का फैसला है, श्यामदेव राय चौधरी, लक्ष्मी नारायण चौधरी और अम्बिका चौधरी, मैं तो इन दोनों चौधरियों से छोटा हूं, यह जो कुछ भी आदेश और निर्देश करेंगे उनका पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास होगा।

तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय चौधरी साहब को बताना चाहता हूं कि अब की 30 नवम्बर, तक 60 फीसदी बुवाई हुई है, 40 फीसदी बुवाई बाकी है और निश्चित रूप से विगत वर्ष से, क्योंकि मैं अरबी भाषा नहीं बोल रहा हूं जिसे माननीय अम्बिका चौधरी जी नहीं समझ पाते हैं मैं तो शुद्ध हिन्दी बोल रहा हूं, पता नहीं क्यों वह इतने विचलित हो जाते हैं। दिसम्बर के महीने में जो

भी बुवाई शेष है उसकी बुवाई के लिए हमको दिसम्बर में इतना डी0ए0पी0 उपलब्ध हो जायेगा जिसमें लगभग लक्ष्य की पूर्ति हो जायेगी।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ अपनी-अपनी बात कहने के प्रयास में व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण शान्त रहें। माननीय उदय राज जी पहले माननीय हुकुम सिंह जी अपनी बात कह लें फिर आप अपनी बात कहियेगा।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी गेहूं के प्रतिशत बताये कि कितने प्रतिशत गेहूं की बुवाई अब हुई और कितनी विगत वर्ष में हुई थी ? प्रश्न यह है कि क्या सरकार की नजर में डी0ए0पी0 खाद की प्रदेश में कमी है या नहीं है ? जैसे आपने कहा कि लगभग लक्ष्य पूरा हो जायेगा, हमें लक्ष्य बता दें आप कि रवी की फसल के लिए आपका लक्ष्य क्या था ? कितनी खाद की उपलब्धता आपने कराई और क्या प्रदेश सरकार के दृष्टिकोण में प्रदेश में डी0ए0पी0 की कमी है या नहीं है ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि विगत वर्ष 30 दिसम्बर तक सात लाख साठ हजार मैट्रिक टन खाद उपलब्ध हुआ।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ अपनी-अपनी बात कहने के प्रयास में व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई)

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हुकुम सिंह जी जो लिखेंगे या कहेंगे वही तो माननीय मंत्री जी नहीं बतायेंगे माननीय मंत्री जी को यह बताने का अधिकार है कि पिछले वर्ष में कितनी डी0ए0पी0 उपलब्ध हुई थी और उसके सापेक्ष इस वर्ष कितनी डी0ए0पी0 की हमें अब तक उपलब्धता हो चुकी है, तो निश्चित तौर पर यह जवाब देने के लिए माननीय मंत्री जी स्वतंत्र हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट प्रश्न इन्होंने कहा है कि क्या सरकार इस बात को महसूस कर रही है कि डी0ए0पी0 खाद की कमी है या नहीं है ? हमारा कितना लक्ष्य रहा इस साल का और कितना उपलब्ध है ? यही इन्होंने पूछा है, इसका उत्तर आप इन्हें दे दें, बस इतनी सी ही बात है।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, हमारा लक्ष्य डी0ए0पी0 का साढ़े दस लाख मैट्रिक टन का है जिसमें 30 दिसम्बर तक हमको आठ लाख 21 हजार मैट्रिक टन डी0ए0पी0 खाद उपलब्ध हो जायेगा जो विगत वर्ष से एक लाख मैट्रिक टन से ज्यादा होगा। तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि विगत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 30 दिसम्बर तक डी0ए0पी0 की आपूर्ति पहले से ज्यादा होगी। मैं मानता हूं कि

डी0ए0पी0 आयातित है माननीय हुकुम सिंह जी अच्छी तरह से जानते हैं, यह हमें केन्द्र सरकार के द्वारा उपलब्ध होता है, हो सकता है कमी हो, मैं मानता हूं कि कमी है लेकिन इतनी कमी नहीं है, विगत वर्षों से ज्यादा डी0ए0पी0 अबकी आया है और निश्चित रूप से 30 दिसम्बर तक हम पूर्ति कर देंगे।

श्री अध्यक्ष-

पहले माननीय तिवारी जी अपनी बात कह लें उसके बाद माननीय उदयराज यादव जी आप अपनी बात कह लेना।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ अपनी-अपनी बात कहने के प्रयास में व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि कुछ कमी है। मान्यवर, यह इस प्रदेश का सर्वोच्च सदन है, सर्वोच्च पंचायत है, इसमें आप ईमानदारी से स्वीकार कर लीजिए कि इस समय पूरे प्रदेश में डी0ए0पी0 खाद की कमी की वजह से प्रदेश तबाही की कगार पर खड़ा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। रात भर किसान सोसाईटी के बाहर लाईन लगाकर खड़ा हुआ है, वहीं सो रहा है लेकिन उसको खाद मिल नहीं रही है। इस सच्चाई को सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए। अभी मंत्री जी पिछले वर्ष की तुलना में डी0ए0पी0 खाद की उपलब्धता की बात बता रहे थे। मान्यवर, यह कहा गया कि गेहूं की बुवाई कम हुई है जो कमी होने का कारण है वह यह है कि डी0ए0पी0 खाद की उपलब्धता नहीं है। जो कमी है उसको स्वीकार कर लेने से बात खत्म नहीं हो जायेगी और न स्वीकार कर लेने से बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई युद्ध स्तर पर आप एक कार्य योजना बनायेंगे और उसकी घोषणा इस सदन में करेंगे ताकि अगले 15 दिनों के भीतर डी0ए0पी0 खाद की उपलब्धता हो जाये। सरकार के पास ऐसी कोई कार्य योजना है या नहीं है यह बताने का कष्ट करें और अगर नहीं है तो उसे बताने की कृपा करें ताकि किसानों को डी0ए0पी0 खाद उपलब्ध हो सके और सरकार का जो लक्ष्य है वह प्राप्त हो सके। मान्यवर, माननीय मंत्री जी किसान परिवार से सम्बद्ध हैं उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में कमी हो सकती है तो मैं कहना चाहूंगा कि आप उन दस जिलों का नाम बता दें जहां पर डी0ए0पी0 खाद पूरी तरह से उपलब्ध है अगर उस जिले से सम्बन्धित माननीय सदस्यगण आपकी बात से हामी भर देंगे तो हम आपकी बात मान लेंगे। आप उन 10 जिलों का जिक्र कर दें जहां पर डी0ए0पी0 खाद पूरी तरह से उपलब्ध है। और दूसरे क्या अगले 15 दिनों के भीतर इस समस्या से निपटने के लिए कोई कार्य योजना बनायेंगे ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, जब मैं पहली बार विधायक बना था तो माननीय तिवारी जी इस सदन में उपस्थित थे बहुत विद्वान सदस्य हैं अभी आपने कहा कि जो गेहूं की बुवाई कम हुई है वह डी0ए0पी0 खाद की कमी की वजह से हुई है मान्यवर, ऐसा नहीं हैं मान्यवर, इसलिए गेहूं की बुवाई अभी तक कम हुई है क्योंकि हमारे पूर्वी जिलों में धान की फसल अभी भी कट रही है। पश्चिम में जहां बहुत पहले से गन्ने

की पेराई शुरू हो जाती थी वह भी कुछ लेट हुई है। वर्षा की कमी रही है, पलेवा नहीं हुआ है, इससे भी गेहूं की बुवाई कम हुई है।

(विपक्ष की ओर से कई आवाजें "ऐसा नहीं है")

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, जब माननीय मंत्री जी जवाब दें तो उसको सुनें और अगर उस जवाब से संतुष्ट न हों तो फिर अनुपूरक प्रश्न करें। लेकिन बीच में अपनी कोई बात कहेंगे तो स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायेगी।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, गेहूं की बुवाई डी0ए0पी0 खाद की कमी की वजह से कम हुई है ऐसा नहीं है। लेट होने के मैंने विभिन्न कारण बताये हैं।

आप बुन्देलखण्ड की बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वहां पर वर्षा कम हुई है इसलिए पूरी तरह से बुवाई नहीं हुई है।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग पहले पूरा जवाब सुन लें।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, तिवारी जी ने यह बात कह दी कि 15 दिन के अन्दर कोई युद्धस्तर पर ऐसी कार्ययोजना बनायें। माननीय तिवारी जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने ढाई लाख मैट्रिक टन डी0ए0पी0 के भण्डारण की व्यवस्था की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एडवांस में पैसा दिया है इसके बावजूद यदि आपूर्ति नहीं हुई तो केवल केन्द्र सरकार की वजह से उत्तर प्रदेश में खाद की कमी होगी। मैं अनुरोध करूंगा कि यदि वह खाद की आपूर्ति केन्द्र के द्वारा कराने को तैयार हों तो उत्तर प्रदेश सरकार पूरा पैसा डी0ए0पी0 का एडवांस में आज भी देने को तैयार है। इसलिए मैं अपेक्षा करूंगा कि माननीय तिवारी जी हमारा सहयोग करेंगे जिससे किसानों की समस्या का समाधान हो सके।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, डी0ए0पी0 की खाद अगर नहीं बट पाई है तो उसका एक मात्र कारण सोसाइटी का डिफक्ट होना है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, पिछले वर्ष की अपेक्षा डेढ़ लाख मीट्रिक टन अधिक डी0ए0पी0 उपलब्ध कराई जा चुकी है, मंत्री जी ने कहा कि हम एडवांस में पैसा दे रहे हैं इसके बाद क्या प्रश्न बचा है ?

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठें, माननीय उदय राज जी प्रश्नकर्ता हैं मैंने उनको बुला लिया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, यह सरकार किसानों को खाद नहीं उपलब्ध करा पा रही है इसलिए इसके विरोध मे मैं अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री ओम प्रकाश सिंह अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार कर चले गये।)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, खाद अगर नहीं बट पा रही है तो उसका एक मात्र कारण सोसाइटियों का डिफक्ट होना यह एक कारण है, दूसरा कारण है आप चोरबाजारी नहीं रोक पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खाद मध्य प्रदेश में बट रही है, तीसरा कारण सम्बन्धित सोसाइटी नहीं दे रही है किसानों को, सोसाइटी के माध्यम से खाद नहीं मिल रही है। ब्लैक मार्केटिंग में और बिचौलिये उस खाद को भारी दाम पर बेच रहे हैं और बाजार पटा पड़ा है, वहां चोरबाजारी में मिल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार चोरबाजारी में समान रूप से सम्मिलित है इसलिए मध्य प्रदेश में ब्लैक में चोरबाजारी में बिक रही है। बिहार, नैपाल और मंध्य प्रदेश में यहां की खाद बट रही है। सरकार खाद की ब्लैक मार्केटिंग नहीं रोक पा रही है इसलिए सरकार की नीति के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सदन का बहिष्कार करती है।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार कर चले गये।)

श्री उदय राज यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, यह मेरा प्रश्न था और वह यह था कि पूरे प्रदेश में डी0ए0पी0 की खाद की कमी है। पूरे प्रदेश का किसान परेशान है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर किसी साधन सहकारी समिति पर 300 बोरी खाद जाती है तो वहां खाद लेने वालों की संख्या 3000 होती है। जगह-जगह किसानों पर लाठियां चलाई जा रही हैं। यही नहीं खाद बाजार में किसानों को लौटाने का काम किया जा रहा है। साढ़े 6, साढ़े 7, साढ़े 800 रुपये प्रति बोरी खाद देने का काम किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से इतना जानना चाहता हूं कि जो खाद की कमी है उसको पूरा करने के लिये क्या भविष्य में कोई ऐसी कार्य योजना बनायेंगे कि आने वाले समय में चाहे रबी का सीजन हो, चाहे खरीफ की बुवाई का सीजन, जो दो महीने बाद आयेगा, इस तरह की समस्या भविष्य में उत्पन्न न हो ? दूसरी चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि 1,308 खाद के ऐसे व्यवसायी पकड़े गये हैं जो मानक के विपरीत खाद बेच रहे थे। अब यदि माननीय मंत्री जी के आंकड़े को उठाकर देखें तो माननीय मंत्री जी ने केवल यह कहा है कि पूरे प्रदेश के अन्दर केवल एक खाद व्यवसाई को जेल भेजने का काम किया गया है, इससे साफ जाहिर होता है कि माननीय मंत्री जी और सरकार खुद गलत काम कराने पर तुली हुयी है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जो 1,308 गलत खाद बेचने के आरोपी हैं, जिनके लाइसेन्स निरस्त किये गये हैं, क्या उन सारे दुकानदारों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करने की सरकार कार्यवाही करेगी ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहता हूं कि यहां इस भवन में कोई शारीरिक ताकत का अनुमान नहीं लगता है, जिससे आप चाहे जो कहें, उसके जवाब में सुनने का भी थोड़ा सा माद्दा होना चाहिये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं और मैंने

पहले भी कहा है कि हमारी सरकार ने ढाई लाख मीट्रिक टन डी0ए0पी0 के भण्डारण की व्यवस्था की है, लेकिन चूंकि इस साल उपलब्ध नहीं हो पाया, जिस कारण इस साल भण्डारण की व्यवस्था अधूरी रही। इससे पहले कभी भी भण्डारण की एडवांस में व्यवस्था कभी नहीं रही। पहली बार यह योजना हमारी सरकार ने लागू की है, लेकिन अनुपलब्धता के कारण इस साल भण्डारण नहीं हो पाया। हमारा आगे भविष्य में एडवांस में भण्डारण करने की व्यवस्था का प्राविधान है, निश्चित रूप से हम खाद की कमी नहीं होने देंगे। जहां तक आपने यह सवाल किया कि जो छापे मारे गये है, उस पर कार्यवाही के सम्बन्ध में, उसके सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि हमारी लैब है और उन लैब में इनका टेस्ट कराया जाता है, जो भी दोषी पाये जाते हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। हमने काफी लाइसेन्स निरस्त भी किये हैं और निलम्बित भी किये हैं और जो भी हमको दोषी मिलेगा, उसके विरुद्ध हर कीमत पर कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में जो बताया, उसमें कुल मिलाकर दो बातें बताई कि केन्द्र सरकार के असहयोग के कारण और केन्द्र सरकार के कृत्य के कारण इस प्रदेश में डी0ए0पी0 का अभाव है। इसके अलावा प्रश्न के उत्तर में कुछ नहीं बताया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि खाद की अनुपलब्धता के चलते और उसकी कालाबाजारी जो सबसे गम्भीर विषय है। जब खाद की कमी है और उसके वितरण में जो समस्या आ रही है तथा साथ ही जो उसकी कालाबाजारी हो रही है, इस पर मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इसके लिये चाहे केन्द्र सरकार जिम्मेदार हो, चाहे प्रदेश की राज्य सरकार जिम्मेदार हो, लेकिन इस प्रदेश का किसान रबी की इस बुवाई के मौसम में खाद की अनुपलब्धता के चलते तबाह है और बरबाद हो रहा है, समय बीत जायेगा और क्या इसी तरह माननीय मंत्री जी आश्वासन देते रहेंगे ? किसान रबी की बुवाई नहीं कर सकेगा, इस सम्बन्ध में मैं आपसे सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि खाद का वितरण ठीक से सुनिश्चित हो सके, इसके लिये कितने अधिकारियों को अब तक आपने दण्डित किया है और कितनों को सजा देने का आपने प्रबन्ध किया है ? और जहां किसान की मृत्यु हुई है उसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपने क्या एफ0आई0आर0 दर्ज करायी ? हमारा सीधा प्रश्न है और इसमें लम्बा-चौड़ा न बतायें कि पौने चार साल पहले इतना था, तीन साल पहले यह था, आप यह सब न बतायें क्योंकि मेरा सीधा प्रश्न है। खाद की अनुपलब्धता पूरे प्रदेश में है और आपने दबी जबान इसे स्वीकार भी किया है, इसलिए मैं पुनः आपसे पूछना चाहता हूं कि डी0ए0पी0 की उपलब्धता 30 नवम्बर तक पिछले वर्ष के मुकाबले कितनी है, इसका तुलनात्मक विवरण दे दें ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, पिछले वर्ष डी0ए0पी0 की जो उपलब्धता थी 30 नवम्बर तक, वह यह थी कि अक्टूबर में आई थी 1.5 ....

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय मंत्री जी सीधे 30 नवम्बर तक की स्थिति बतायें।

श्री अध्यक्ष-

आप शंका मत किया करें, मा0 मंत्री जी को सुन लें।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, मैं बता तो रहा हूं। पिछली बार 30 नवम्बर तक 3 लाख 87 हजार मीट्रिक टन डी0ए0पी0 उपलब्ध थी। इस बार 30 नवम्बर तक 6 लाख 96 हजार मीट्रिक टन डी0ए0पी0 उपलब्ध है।

(समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया मा0 मंत्री जी की बात को सुन लें।

श्री लालजी वर्मा-

आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, मा0 चौधरी साहब शर्म आनी चाहिए। पिछली बार यूरिया, डी0ए0पी0 की भी कमी थी और इस बार यूरिया का पर्याप्त भण्डारण है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर दे दिया है उन्होंने पिछले साल का और इस साल का स्पष्ट फीगर रख दिया है, उन्होंने पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है, उस फीगर में आपको क्या तकलीफ है ? क्या आप लोग मा0 मंत्री जी को नहीं सुनेंगे, आप लोग कृपया बैठ जाएं, मा0 मंत्री जी को सुन लें। मा0 आजम साहब आप अपनी बात कहें। चौधरी साहब, वर्मा जी आप लोग कृपया बैठ जाएं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रश्न संवेदनशील है और बहुत अहम है, उसका अंदाजा आपको इससे हो गया होगा कि दूसरे राजनीतिक दल भी बहिष्कार कर गये सदन का। मंत्री जी ने तो उत्तर देने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। आपने सरकार की जिम्मेदारी भारत सरकार पर भी डाली। उसमें जवाब भी आपको मिला। सवाल यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाई, केन्द्र सरकार ने कितनी निभाई ? प्रश्न मात्र इतना है कि नवम्बर महीने तक दो गुनी खाद उपलब्ध करा देने के बावजूद इस सच्चाई को मानना चाहिए एक ऐसी सच्चाई है जिसको यहां नकार देने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। किसान को डी0ए0पी0 नहीं मिली, किसान मारा गया, किसान सोसायटी पर लाइन लगा रहे हैं लेकिन डी0ए0पी0 पूरी तरह से ब्लैक हो रही है। यह सच्चाई है इसे पूरे सदन को मान लेना चाहिए और सरकार को इस पर चिन्तित होना चाहिए कि आखिर इसकी वजह क्या है ? इसलिए सिर्फ एक प्रश्न है कि दोगुना उपलब्ध होने के बावजूद खाद कहां गई ? किसान को क्यों नहीं मिली ? आपकी बात सही कि आपने खाद दो गुनी करा दी, अहसान आपका, इसके बावजूद किसान मारा गया। लाइनें लगी हैं खाद है नहीं तो यह मान लीजिए कि सारी खाद ब्लैक हुई और आपका उसमें भारी योगदान हुआ। इसीलिए ऐसी सरकार जिसने दो गुना खाद केन्द्र सरकार से लेने के बावजूद

अपने संरक्षण में ब्लैक कराया है। सरकार के इस कृत्य के विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(श्री मोहम्मद आजम खां अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गए)

श्री लालजी वर्मा-

हमने ब्लैक मार्केटिंग को पूरी तरह से रोका है। इनको शर्म आनी चाहिये यह खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। मान्यवर, इस पर काफी प्रश्न हो चुके हैं अब अगला प्रश्न लें।

श्री कौकब हमीद-

अध्यक्ष महोदय ने मुझे बुला लिया है। मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा हूं कि जिन सोसायटियों ने पूरा पेमेन्ट कर दिया और चेक के जरिए कर दिया उनको आपने खाद उपलब्ध नहीं कराई और प्राइवेट डीलर्स को उपलब्ध करा दी वहां खाद ब्लैक हो रही है। आपने यह भी कहा कि मिल देर में चली तो यह तो सामूहिक जिम्मेदारी की बात है आपने मिल एक महीने देर में क्यों चलाई ? दूसरे जिन सोसायटियों ने आपको चेक के जरिए पूरा पैसा दे दिया उनको खाद न पहुंचाकर डीलर्स को पहुंचाई गई और वह उसको ब्लैक करवा रहे हैं।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

आप भी उत्तर सुनना चाहते हैं या भाग जाना चाहते हैं। मैं सदस्य को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पहली बार व्यवस्था की गई है कि जो डिफक्ट सोसायटी है, कोआपरेटिव सोसायटियों में खाद पहुंचाने की व्यवस्था पहली बार की गई है। जिस सरकार की बात सदस्य कर रहे थे उस सरकार में 50 प्रतिशत खाद प्राइवेट दुकानों पर दी जाती थी 50 प्रतिशत खाद कोआपरेटिव सोसायटियों पर। यह पहली बार हुआ है कि हमने 98 प्रतिशत खाद कोआपरेटिव को पहुंचा दी है। केवल 15 प्रतिशत प्राइवेट मार्केट में गई है। जिस सरकार में आप इधर बैठते थे वह सरकार प्राइवेट डीलरों से ब्लैक मार्केटिंग कराती थी यह सरकार प्राइवेट डीलरों से ब्लैक मार्केटिंग नहीं कराती है।

श्री कौकब हमीद-

यह सरकार खाद की ब्लैक मार्केटिंग करा रही है। सरकार के इस कृत्य के विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(श्री कौकब हमीद अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गए।)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्र संघ के चुनावों पर विचार हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन

*1-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघों के चुनाव पर लगी रोक को हटाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

सरकार द्वारा प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्र संघों के चुनाव के सम्बन्ध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति छात्रसंघों के चुनाव से सम्बन्धित समस्त पहलुओं पर विचार कर संस्तुति देगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रत्येक वर्ष छात्र संघों के चुनाव हो रहे थे। अबकी कौन सी परिस्थिति आ गई कि छात्र संघों के चुनाव को स्थगित कर दिया गया ? दूसरा प्रश्न इसी से सम्बन्धित मैं यह जानना चाहता हूं कि छात्र संघों के चुनाव कराने के लिये आपने एक समिति गठित की है जिसकी अध्यक्षता प्रमुख सचिव करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो आपने समिति गठित की है छात्र संघों के चुनाव कराने के लिये इसके विचारणीय बिन्दु कौन-कौन से है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सामान्य तौर पर विश्वविद्यालयों में पठन-पाठन का काम होता है। लेकिन इधर कुछ इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती थीं कि छात्र संघों में ऐसे तत्व जिनका पठन-पाठन से कोई विश्वास नहीं रहता था वे भी इसमें सम्मिलित हो जाया करते थे और आम लोगों के बीच में इस बात की चर्चा होने लगी थी कि छात्र संघों के माध्यम से अराजक तत्वों को कुछ बढ़ावा मिलने लगा था। इसी परिप्रेक्ष्य में छात्रों का उचित प्रतिनिधित्व हो, लोकतांत्रिक ढंग से उनको अवसर मिले, वास्तविक छात्र ही उसमें हिस्सेदारी लें, इस सिलसिले में मान्यवर, इस बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 66 (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार ने छात्र संघों के चुनाव पर रोक लगाने का काम किया और उस रोक को लगाने के बाद प्रदेश में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र संघों के चुनाव के लिये एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन आपने दिनांक 8 अक्टूबर, 2007 के आदेश के माध्यम से किया है और उस समिति में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन अध्यक्ष, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा सदस्य सचिव, प्रमुख सचिव न्याय विभाग सदस्य, राज्य विश्वविद्यालयों से विशेष आमंत्रिती के रूप में दो कुलपति रखे गये और यह सब पूरे बिन्दुओं पर विस्तार से विचार विमर्श करके राज्य सरकार को अपनी संस्तुति देंगे और उसके आधार पर फिर निर्णय लेने का काम किया जायेगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो कमेटी गठित की गई है उसके विचारणीय बिन्दु कौन-कौन से हैं ? जिन पर ये विचार करेंगे ? अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जनता को बताया है कि पुलिस विभाग बहुत खराब काम कर रहा है इसलिये पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था अभी नहीं की जा सकती। छात्र संघों के चुनाव में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जो आपने उस पर रोक लगा दी। कुछ असमाजिक तत्व उसमें ऐसे आ रहे जिससे उसकी गरिमा घट रही है और

हम उसको पुनर्गठित करने के लिये एक कमेटी गठित कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं और मैंने पहले भी कहा था कि आप छात्र संघ के पदाधिकारी रहे हैं क्या छात्र संघ के पदाधिकारियों को भी इसमें रखेंगे क्योंकि राकेशधर जी भी छात्र संघ के पदाधिकारी रहे हैं, जिससे छात्रों की बातें उसमें सामने आ सकें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने स्पष्ट किया जहां तक इसके बिन्दु का सवाल है व्यापक स्तर पर सभी बिन्दुओं पर जो यह कमेटी आवश्यक समझे, विभिन्न न्यायालयों के फैसले भी आए हैं छात्र संघ के चुनाव के सम्बन्ध में उन सभी को ध्यान में रखते हुए यह कमेटी निर्णय लेने का काम करेगी ?

श्री हुकुम सिंह-

श्रीमन्, छात्र संघ के चुनाव समाप्त कर दिए गए क्योंकि उसमें कुछ कमी थी। कुछ ऐसे तत्व आ गए थे जो आपराधिक प्रवृत्ति के हों, मान्यवर, अगर ऐसा हुआ है तो रोजाना छींटाकशी यहां पर भी होती है न जाने कितने लोग उस वर्ग के यहां भी आ जाते हैं तो क्या विधान सभा के चुनाव भी आप समाप्त कर देंगे। अगर यही नीति आपकी है तो आवश्यकता इस बात की थी कि उन तत्वों को वहां आने से रोका जाए उनको उस धारा से निकाला जाय या यह ठीक है कि छात्रसंघ के चुनाव समाप्त करा दिए जाएं ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लिंगदोह समिति का गठन किया था वहां पर भी शिकायत थी, पूरे प्रदेश पर विचार करने के बाद लिंगदोह समिति ने अपनी संस्तुति पेश की और सर्वोच्च न्यायालय ने उसको स्वीकार किया और यह निर्देश दिए कि आगे के चुनाव लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप होने चाहिए। जब एक राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन हो चुका उसकी संस्तुति आ चुकी तो दूसरी कमेटी को गठित करने का औचित्य क्या है ? आवश्यकता नहीं है। आपको उसी परिप्रेक्ष्य में उसी के अनुरूप दुबारा चुनाव करा देने चाहिए थे। उनका पालन कराना चाहिए था। मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं न ही प्रश्नों के माध्यम से आरोप लगाने की परम्परा है। लेकिन मेरी आशंका यह है कि छात्रों के संगठन को या वह अपनी आवाज न उठा सके, छात्र तो केवल एक वर्ग है शनैः-शनैः इस सरकार की नीति यही रहेगी कि लोकतंत्र को कैसे समाप्त किया जाए। छोटा सा लोकतंत्र था छात्र संघ का उसको समाप्त कर दिया। आगे पंचायतों पर प्रहार है, नगरपालिका परिषद् पर प्रहार है सब जगह अपने आदमी ले जाकर बैठा दि[illegible] अन्त में यह प्रश्न करना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एक कमेटी का गठन हो चुका था उसकी रिपोर्ट आ चुकी तो उस रिपोर्ट के अनुसार छात्र संघ के चुनाव कराने के निर्देश उच्च न्यायालय दे चुका तो दूसरी कमेटी बनाने का औचित्य क्या था ? क्या सरकार पुनः इस पर विचार करके लिंगदोह कमेटी के अनुसार चुनाव की प्रक्रिया दुबारा शुरू करेगी ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस सरकार को लोकतंत्र में पूर्ण आस्था और विश्वास है और लोकतंत्र की प्रक्रियाओं को यह पूरी तरह से मजबूत करना चाहती है मान्यवर, राज्य सरकार के इस फैसले से पूरे प्रदेश की जनता ने सराहना करने का काम किया है। मान्यवर, विस्तार से निर्णय इस पर तभी लिया

जाएगा जब इस कमेटी की रिपोर्ट आएगी और कमेटी पर निर्धारित मैंने पहले ही बता दिया इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर विस्तार से निर्णय लेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मेरा स्पष्ट प्रश्न था कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार लिंगदोह कमेटी का गठन हुआ था और उसकी सिफारिश आ चुकी है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि उस कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप ही चुनाव कराया जाए। उसका उत्तर आपने नहीं दिया आपको क्या कठिनाई है उन सिफारिशों को मानकर उसके अनुरूप चुनाव कराने में। एक बार चुनाव हो भी चुका है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने बता दिया है कि एक कमेटी गठित है जो विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी। सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले को आधार मानते हुए और विभिन्न अन्य पहलुओं पर विचार करते हुए प्रदेश के लिए एक नीति बनाने के लिए जो संस्तुति करेगी उसके अनुसार कार्यवाही करी जाएगी।

श्री अध्यक्ष-

जो समितियां या उच्च न्यायालय के आदेश हैं उस परिप्रेक्ष्य में भी यह समीक्षा करेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ही लिंगदोह समिति का गठन हुआ था और उसकी सिफारिश आने के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिए थे कि उसके अनुसार चुनाव कराये जायें। मेरा प्रश्न यह है कि जब राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति का गठन हो चुका उसकी सिफारिश आ चुकी तो प्रदेश स्तर पर दूसरी कमेटी के गठन की आवश्यकता नहीं थी। जब एक कमेटी की सिफारिश आ चुकी तो उसको आप लागू क्यों नहीं कर रहे हैं उसमें क्या कमी थी ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने जवाब दे दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो समिति बनी है वह जो रिपोर्ट देगी उसके अनुसार प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, यह सरकार तो मंत्रियों से भी अधिक मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को मानती है तो माने। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर जज की अध्यक्षता में समिति बनी, उन्होंने पूरे देश में शिक्षाविदों, वाइस चांसलर्स से विचार-विमर्श करके एक रिपोर्ट दी। मान्यवर, हुकुम सिंह जी केवल इतना जानना चाहते हैं कि उस समिति में कौन सी कमी पायी गयी। अब आपने उसको लागू न करके मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बना दी। क्या वह समिति ज्यादा उपयुक्त होगी या यह सरकार कौन सा नियम डलवाना चाहती है वह बता दें कि लिंगदोह समिति को क्यों अपर्याप्त माना ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने स्पष्ट कहा कि प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए इस समिति का गठन किया गया है। इस समिति में दो कुलपति भी हैं। न्याय

विभाग के प्रमुख सचिव है और उच्च शिक्षा विभाग के भी अधिकारी हैं। यह समिति विचार करने के बाद जो संस्तुति देगी उसके अनुसार निर्णय लेने का काम किया जाएगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, यह सरकार छात्र विरोधी है, छात्र संघ विरोधी है, इसलिए चुनाव नहीं करवा रही है। मैं उनकी इस नीति के खिलाफ सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह सदन से बहिर्गमन कर गये)

प्रदेश में भारत सरकार के वित्त पोषण से नहरों पर प्रोजेक्ट स्थापित करने की कथित योजना

*1-श्री उदयभान करवरिया (अनुपस्थित)-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रदेश में भारत सरकार के वित्त पोषण से नहरों पर वर्टिकल फ्लोट प्लेटफार्म माइक्रोहाइडिल प्रोजेक्ट स्थापित करने की कोई योजना है ? इस योजना के अन्तर्गत जनपद बहराइच में नहरों पर माइक्रोहाइडिल प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिये कितने प्रस्ताव कितने मेगावाट के लम्बित हैं ? क्या सरकार इस योजना को लागू करने के कारगर उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अकबर हुसैन)-

जी नहीं।

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0 पी0 बोर्ड की नकल विहीन परीक्षा कराने की मांग

*2-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री के संज्ञान में है कि फर्रुखाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा इस वर्ष में तीन सांसदों के नाम पर हाईस्कूल के फार्म भरवाने एवं उनके स्थान पर दूसरे छात्रों द्वारा परीक्षा दिलवाने का मामला प्रकाश में आया है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराने एवं यू0पी0 बोर्ड की परीक्षा नकल विहीन तथा पारदर्शी बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)-

जी हां।

प्रकरण में जांचोपरान्त तीनों तथाकथित छात्रों का परीक्षाफल निरस्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है तथा उन्हें निलम्बित भी किया जा चुका है।

राज्य सरकार नकल विहीन परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु कटिबद्ध है।

परिषदीय परीक्षाओं में नकल की रोकथाम हेतु उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम) अधिनियम, 1998 प्रवृत्त है। साथ ही परीक्षाओं में नकल की रोकथाम

किये जाने तथा शांतिपूर्वक ढंग से परीक्षा सम्पन्न कराये जाने हेतु शासन द्वारा जनपदों में तैनात राजस्व अधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है तथा इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समस्त मण्डलायुक्त तथा समस्त जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, सरकार के उत्तर से स्पष्ट है कि प्रदेश में कोई रैकेट काम कर रहा है जो ठेके पर नकल भी कराते हैं और दूसरों के नाम पर दूसरों को परीक्षा में भी वह प्रवेश दिलाते हैं और वह परीक्षा देकर दूसरे लोग उत्तीर्ण हो जाते हैं और यह सरकार ने स्वीकार किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो तथाकथित सांसद के नाम पर परीक्षा दिलायी गयी है। इन तथाकथित माननीय सांसदों के क्या नाम है" और क्या सरकार के संज्ञान में जब यह बातें आयीं तो क्या सरकार ने उन माननीय तथाकथित सांसदों से कोई स्पष्टीकरण लिया अथवा नहीं लिया। मैं यह जानना चाहता हूं ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

माननीय सदस्य ने उन सांसदों का नाम जानना चाहा है, तो स्टार न्यूज की स्टिंग आपरेशन के अन्तर्गत यह मामला आया था। फर्रुखाबाद में गुरूदेव आदर्श इण्टर कालेज, कृष्णा नगर नदौरा तथा दूसरा श्री लाल बहादुर सिंह इण्टर कालेज, मनकापुर फर्रुखाबाद का जिसमें फर्जी अभिलेख तैयार कराकर पंजीकरण कराया गया था। उसमें जिन माननीय सदस्यों का नाम है वह है श्री विजयंत जय पान्डा, श्री मिलिन्द देवड़ा तथा श्री नवीन जिंदल। इनके नाम से फर्जी अभिलेख तैयार कराया था और उनके नाम से परीक्षा दी गयी। इसमें प्रधानाचार्यों ने गलत यह किया कि जो प्रवेश-पत्र पर फोटो चिपकायी गयी थी उनका उन परीक्षार्थियों से मिलान नहीं किया गया जिसके कारण यह स्टिंग आपरेशन सफल हुआ और परीक्षा उन लोगों ने दी। लेकिन इसमें कार्यवाही भी की गयी और ऐसी परीक्षा को निरस्त कर दिया। उन प्रधानाचार्यों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी और उन विद्यालयों की मान्यता के प्रत्याहरण की कार्यवाही की गयी। मान्यवर, जहां तक पूछने की बात है जब यह मालूम हो गया कि यह फर्जी है तो पूछने की आवश्यकता नहीं है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, जैसा कि मैंने कहा उससे स्पष्ट है कि इन्टर कालेज में यह मामला पकड़ा गया तथा इससे उच्च परीक्षाओं में भी यह पकड़ा जाता है और संज्ञान में आने के बाद कार्यवाही की जाती है। यह तो ठीक है कि पकड़ लिया गया, फोटो के जरिए स्टिंग आपरेशन हो गया। मेरा यह पूछना है कि किसी सांसद का जब इसमें नाम आ गया तो क्या यह उचित नहीं प्रतीत होता कि माननीय सांसद का क्या वक्तव्य है, यह आन रिकार्ड आ जाय।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, अगर सांसद ने परीक्षा दी होती तो पूछना उचित होता। यह तो फर्जी स्टिंग आपरेशन था और फर्जी काम किया गया था। इधर फर्जी स्टिंग आपरेशन का दौर चल रहा है इसलिए माननीय सांसद से पूछना हम गरिमा के अनुकूल नहीं समझते।

प्रदेश में क्षयरोग पर नियंत्रण हेतु बनायी गयी योजना

*3-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में क्षय रोग (ट्यूबर कुलोसिस) पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं. तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री अनन्त कुमार मिश्रा)-

क्षय रोग (ट्यूबर कुलोसिस) पर नियंत्रण हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार एवं राज्य सरकार के सहयोग से वर्ष 1968 से प्रदेश में राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम को और अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1995 से भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार एवं पूर्ण आर्थिक सहयोग से चरणबद्ध तरीके से प्रदेश में पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम लागू कर डाट्स प्रणाली द्वारा क्षय रोगियों की निःशुल्क उपचार प्रदान कर रोगी को रोग मुक्त किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि भारत सरकार पूर्ण आर्थिक सहयोग कर रही है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब केन्द्र सरकार आर्थिक सहयोग कर रही है तब क्या कारण है कि प्रदेश में क्षय रोग के मरीज बढ़ रहे हैं और यदि बढ़ रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी कहां तय होगी ?

इस डाट्स प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश में क्षय रोग के कितने मरीज हैं और डाट्स प्रणाली की पहुंच कुल कितने मरीजों तक है, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा। दूसरी चीज यह जो डाट्स प्रणाली हम लोग लागू कर रहे हैं जिसमें बार-बार मरीजों को आकर के दवा लेनी होती है, दवा का खर्चा और आने-जाने का खर्चा दोनों में खर्चा अधिक हो जाता है। केन्द्र सरकार तो आपको दवा का खर्चा देती है, क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है ? क्योंकि योजना के असफल होने का कारण भी यही है डाट्स प्रणाली में रेजिस्टेंस के केसेज सामान्य ट्रीटमेन्ट प्रणाली से अधिक इसीलिए पाये जा रहे हैं कि नानकम्प्लायंश होता है। क्या सरकार, क्षय रोग के मरीजों को जो आकर के इलाज कराते हैं उन्हें आकर के इलाज कराने हेतु आर्थिक सहयोग देगी या नहीं और तीसरी चीज टी0बी0 के सारे मरीज कुपोषण के शिकार होते हैं।.इलाज के माध्यम से यह भ्रम है कि हम बीमारी दूर करते हैं। बीमारी ठीक होती है पुनः हो जाती है। यह सारे मरीज कुपोषण के शिकार होते हैं, इन्हें पोषण मिल सके इनके परिवार को सही पोषण मिल सके वह जो क्षय रोग के मरीज हैं, क्या सरकार ऐसी किसी योजना पर विचार करेगी ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि जो आवागमन के विषय में माननीय सदस्य ने कहा है तो उसको कायदे से करने के लिए पांच लाख की आबादी पर एक

टी0बी0 यूनिट है, एक लाख की आबादी पर माइक्रोस्कोपी सेन्टर है और पांच से दस हजार की आबादी पर एक डाट्स केन्द्र है। कुल मिलाकर सभी जनपदों में यह योजना कार्यरत है। कुल टी0बी0 यूनिट 352 हैं, माइक्रोस्कोपी केन्द्र 1597 हैं, डाट्स केन्द्र 18567 हैं, मेडिकल कालेज हमारे 16 हैं, 195 एन0जी0ओ0 हैं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, इन आंकड़ों को हम सभी लोग जानते हैं, इन आंकड़ों में तो 12.20 हो जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने मरीज हैं जो डाट्स के अन्तर्गत कवर हो पाते हैं ? क्या कुपोषण का इलाज करने हेतु सरकार व्यवस्था करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब आपने सरकार की कार्य योजना पूछी, तो यह कार्य योजना बता रहे हैं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, कार्य योजना बताने में तो सारा समय चला जायेगा।

मान्यवर, यह सिर्फ यही बता दें कि क्या कुपोषण का इलाज करने हेतु ा पुष्टाहार की कमी के कारण जो टी0बी0 के मरीज हैं उनके परिवार को विशेष रूप से भोजन देने की व्यवस्था करने पर क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

आपने सरकार की कार्य योजना के बारे में पूछा और कार्य योजना के बारे में इन्होंने बता दिया। कितनी संख्या है, इसको आप बताये नहीं हैं। माननीय मंत्री जी कोई योजना ऐसी है जो इस तरह से जो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, इसके बारे में माननीय मंत्री जी किसी तरह का कोई विचार हो तो बता दें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, सौ प्रतिशत बीमारी का कारण कुपोषण ही है यही तो मैं कह रहा हूं क्योंकि दवा से ठीक नहीं होता है। एक मरीज जो टी0बी0 का आप ठीक करते हैं समाज में वापस जाने के बाद वह पुनः टी0बी0 का मरीज हो जाता है। ठीक करना है, तो इनकी जड़ों पर प्रहार करना पड़ेगा और जब तक हम उसके पोषण को ठीक नहीं करेंगे, उसके स्वास्थ्य को ठीक नहीं करेंगे, जिन देशों में टी0बी0 पर नियंत्रण हुआ है वह दवा से नहीं हुआ है, वह लाईफ स्टाईल, जीवन के स्टैण्डर्ड के परिवर्तन से उनके सही स्वास्थ्य से हुआ है। यही मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने की दृष्टि से आप कोई विशेष योजना बनायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

चीन द्वारा निर्मित खिलौनों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की मांग

*4-श्री हुकुम सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि चीन द्वारा निर्मित खिलौने जिनके निर्माण एवं पेंट में जहरीले पदार्थों का उपयोग किया गया है तथा जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त हानिकारक है ? यदि हां, तो क्या ऐसे खिलौनों की बिक्री पर सरकार तुरन्त प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

भारत सरकार के खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954/रूल्स 1955 एवं ड्रग एण्ड कास्मेटिक एक्ट 1940 के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य व्यवस्था के अनुरूप ही प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत जन विश्लेषक प्रयोगशाला में खाद्य पदार्थों एवं औषधियों की जांच की जाती है।

चूंकि प्रदेश की राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला में केवल खाद्य पदार्थों एवं औषधि में मिलावट की जांच ही की जाती है। अतः चीन द्वारा निर्मित खिलौनों के निर्माण में जहरीले पदार्थों या हानिकारक पेन्ट के उपयोग की जानकारी नहीं है। आयात का समस्त कार्य भारत सरकार का विषय है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के डिग्री कालेजों में सेल्फ फाइनेन्सिंग कोर्स का निर्धारण

*5-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0ए0/बी0एस0सी0 के लिए स्ववित्त पोषित कोर्स जो डिग्री कालेजों में खोले गये हैं उनमें फीस का कोई मानक निर्धारित है ? क्या मा0 मंत्री जी सेल्फ फाइनेन्सिंग कोर्स के अन्तर्गत विभिन्न कोर्सों के लिए ली जाने वाली फीस की अधिकतम सीमा निर्धारित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

जी हां।

शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 द्वारा स्ववित्त पोषित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क निर्धारित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

*6-डा0 अनिल चौधरी-

[दूसरे गुरुवार के तारा0 प्र0 सं0-12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में नकली दवाओं की रोकथाम की कार्यवाही

*7-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार नकली दवाओं की रोकथाम के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

सरकार द्वारा नकली दवाओं की रोकथाम के लिये कड़े कदम उठाये गये हैं। नकली दवाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए माह जुलाई, 2007 से 30 सितम्बर, 2007 तक प्रदेश के सभी जनपदों में विशेष छापामार अभियान चलाया गया।

प्रदेश के दवा व्यवसाय की बहुलता वाले 12 जनपदों में माह अक्टूबर, 2007 से 31 दिसम्बर, 2007 तक विशेष छापामार अभियान चलाया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन पर विचार

*8-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में स्नातक स्तर पर सायंकालीन कक्षाओं की तरह स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी सायंकालीन कक्षायें प्रारम्भ करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से भिन्न स्नातकोत्तर स्तरीय सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रमों यथा कला, वाणिज्य एवं विज्ञान के परम्परागत विषयों में शासनादेश संख्या-2555/सत्तर-2-2007-2 (166)/2003, दिनांक 25 जून, 2007 द्वारा स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति को अधिकृत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित रोगियों के लिये निःशुल्क उपचार

*9-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित रोगियों के निःशुल्क उपचार के लिए कोई कार्य योजना सरकार द्वारा बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित रोगियों की सरकार द्वारा निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की गयी है तथा मस्तिष्क ज्वर रोग पर नियंत्रण हेतु कार्य योजना बनाई गयी है। उक्त योजना के अन्तर्गत रोग वाहक पर नियंत्रण, टीकाकरण, सर्वेक्षण, निदान एवं उपचार, स्वास्थ्य शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास सम्मिलित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाली विधवाओं को पेंशन दिये जाने की योजना

*10-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 की गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाली विधवाओं को पेंशन दिये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (कु0 मायावती)-

महिला कल्याण विभाग द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में पति की मृत्योपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रही निराश्रित महिलाओं को पेंशन दिये जाने की योजना संचालित की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में सरकार द्वारा बढ़ायी गयी फीस को वापस लिये जाने की मांग

*11-श्री लालजी यादव-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की फीस वर्तमान सरकार द्वारा बढ़ा दी गयी है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? क्या सरकार बढ़ायी गयी फीस को वापस लेने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*12-श्री राम बिशुन आजाद-

[2सरे सोमवार के तारा0 प्र0सं0-10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में मलेरिया के बढ़ते प्रकोप की रोकथाम हेतु कार्य योजना

*13-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में प्रदेश में मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिये कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्रदेश में वर्ष 2007 में कतिपय क्षेत्र मलेरिया से प्रभावित हुए हैं।

जी हां।

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मलेरिया/वेक्टर बोर्न डिजीज नियंत्रण कार्य योजना, 2007 दिनांक 31 मई, 2007 को निर्गत की गयी है। उक्त कार्य योजना के अन्तर्गत

मलेरिया रोग पर नियंत्रण हेतु उपचारात्मक एवं निरोधात्मक कार्यवाही की जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर एवं जिला स्तर पर टीमें बनाकर क्षेत्र का भ्रमण कर रक्त पट्टिकायें बनायी जाती हैं एवं मलेरिया घनात्मक मामलों में शीघ्र उपचार उपलब्ध कराया जाता है। शहरी क्षेत्रों में एण्टीलार्वल छिड़काव एवं फागिंग कार्य किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में डी0डी0टी0, मैलाथियान 25 प्रतिशत, पायराथम 2 प्रतिशत, एक्सट्रेक्ट आदि का घरों में छिड़काव किया जाता है। प्रभावित क्षेत्रों में क्लोरोक्वीन एवं प्राइमाक्वीन की गोलियों का वितरण किया जाता है तथा स्वास्थ्य शिक्षा एवं उक्त बीमारी से बचाव हेतु क्या करें, क्या न करें के हैण्डबिल वृहद स्तर पर वितरित किये गये हैं। औषधियां एवं कीटनाशक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नकली दवाओं के कारोबार पर रोकथाम के उपाय

*14-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में नकली दवाओं का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिये विशेष अभियान चलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

प्रदेश में नकली दवाओं के कारोबार की रोकथाम के लिये सरकार द्वारा कठोर कदम उठाये गये हैं। नकली दवाओं के निर्माण/बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण के लिये माह जुलाई, 2007 से 30 सितम्बर, 2007 तक प्रदेश के सभी जनपदों में विशेष छापामार अभियान चलाया गया तथा प्रदेश के दवा व्यवसाय की बहुलता वाले 12 जनपदों में माह अक्टूबर, 2007 से 31 दिसम्बर, 2007 तक विशेष छापामार अभियान चलाया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में एम0बी0बी0एस0 के समकक्ष डिग्री रखने वाले आयुर्वेद एवं यूनानी डिग्री प्राप्त चिकित्सकों को संविदा पर रखे जाने की मांग

*15-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में चिकित्सकों की कमी को देखते हुए सरकार ने एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों की नियुक्ति संविदा पर करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या एम0बी0बी0एस0 के समकक्ष डिग्री रखने वाले आयुर्वेद और यूनानी डिग्री प्राप्त चिकित्सकों को भी संविदा पर रखा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां, परन्तु मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत इसे निरस्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 में चिकित्सकों की तैनाती हेतु न्यूनतम अर्हता एम0बी0बी0एस0 डिग्री है। इससे भिन्न डिग्रीधारकों को नियुक्त किये जाने का प्राविधान नहीं है।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों का वेतन माह के प्रथम सप्ताह तक उपलब्ध कराये जाने के निर्देश

*16-श्री मदन भैया-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन माह की 15 तारीख के बाद उनके खाते में जमा किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसके दोषी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनका वेतन माह के प्रथम सप्ताह तक उपलब्ध कराने हेतु आदेश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (डा0 धर्म सिंह सैनी)-

जी नहीं।

जी नहीं। वेतन का भुगतान प्रत्येक माह की 07 तारीख तक किये जाने हेतु पूर्व से ही निर्देश हैं ।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में कुष्ठ रोग की रोकथाम हेतु संचालित राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम योजना

1-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने पुरुष एवं महिलाओं को 31-8-07 तक कुष्ठ का रोगी चिन्हित किया गया है ? क्या सरकार कुष्ठ रोग की रोकथाम के लिये कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक पुरुष एवं महिलाओं को मिला कर लगभग 14.63 लाख कुष्ठ रोगियों को चिन्हित किया गया है।

प्रदेश में कुष्ठ रोग के निवारण हेतु योजना पहले से संचालित है।

प्रदेश में कुष्ठ रोग के रोकथाम हेतु राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम वर्ष 1955 से तथा कुष्ठ रोग के निवारण हेतु राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम वर्ष 1983 से संचालित है।

प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में मस्तिष्क ज्वर से ग्रसित मरीजों की संख्या

2-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह मई, 2007 से 18 सितम्बर, 07 तक प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में कुल कितने मस्तिष्क ज्वर के मरीज भर्ती हुए तथा उनमें कितनों की मृत्यु हुई तथा कितने बचाये जा सके ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

माह मई, 2007 से 18 सितम्बर, 07 तक प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में कुल 883 रोगी ग्रसित हुए तथा उनमें से 135 रोगियों की मृत्यु हुई तथा शेष 748 रोगियों को बचाया जा सका।

जनपद उन्नाव में लघु कृषकों हेतु निःशुल्क बोरिंग का निर्धारित लक्ष्य

3-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव में लघु कृषकों को फ्री-बोरिंग की सुविधा दिये जाने हेतु इस वर्ष का लक्ष्य क्या है और कितने कृषकों को इस वर्ष फ्री-बोरिंग का लाभ प्रदान किया गया और कितने शेष हैं ?

लघु सिंचाई राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री लखीराम नागर)-

निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत पृथक से लघु कृषकों हेतु लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किया जाता है निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत परिव्यय के अनुसार लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिये वर्ष 2007-08 हेतु 9000 बोरिंग का लक्ष्य निर्धारित है।

वर्ष 2007-08 में दिनांक 20-10-2007 तक 4254 कृषकों को निःशुल्क बोरिंग का लाभ प्रदान किया गया है और 4746 कृषकों को इस वित्तीय वर्ष में लाभ दिया जाना शेष है।

जनपद गोण्डा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मसकनवा को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने पर विचार

4-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मसकनवा को उच्चीकृत कर सी0एच0सी0 बनाने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद गोण्डा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मसकनवा को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने हेतु निर्माण कार्य चालू है।

निर्माण कार्य चालू है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया, मनकापुर, वजीरगंज आदि कतिपय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षों का निर्माण मानक के अनुरूप न होने पर कार्यवाही

5-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-गोण्डा के विकास खण्ड छपिया, मनकापुर, वजीरगंज, नवाबगंज में वर्ष 2006-2007 एवं 2007-2008 में प्राथमिक विद्यालयों के प्रांगण में कितने एकल कक्ष एवं कितने भूकम्प रोधी कक्षों का निर्माण कराया गया है ? क्या यह सही है कि निर्माण कार्य मानक के अनुसार नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया, मनकापुर, वजीरगंज तथा नवाबगंज में प्राथमिक विद्यालयों के प्रांगण में स्वीकृत/निर्मित किये गये भूकम्परोधी एकल कक्षा की संख्या निम्नवत् है :--

विकास खण्ड	प्राथमिक विद्यालय			
	वर्ष 2006-07		वर्ष 2007-08	
	स्वीकृत	निर्मित	स्वीकृत	निर्माणाधीन
मनकापुर	69	69	38	38
छपिया	63	62	23	23
वजीरगंज	96	87	29	29
नवाबगंज	80	80	31	31
योग	308	298	121	121

वर्ष 2006-07 में निर्मित कक्षों के स्थलीय सत्यापन में 5 का निर्माण मानक के अनुरूप नहीं पाया गया गया है।

उक्त 5 प्रकरणों में अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

जनपद कानपुर नगर में अनुसूचित जाति एवं अन्य वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने में हुए गबन की जांच

6-डा0 कौशल किशोर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 13-6-07 जो श्री सर्वेश तिवारी लिपिक शिक्षा विभाग द्वारा कानपुर नगर में अनु0 जाति एवं अन्य वर्गों के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के करोड़ों रुपये गबन किये जाने से सम्बन्धित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जांचोपरान्त सी0बी0आई0 के माध्यम से प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

निजी नर्सिंग संस्थानों के अवशिष्ट कचरे के उचित अपवर्जन की योजना

7-श्री उदयभान करवरिया-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निजी नर्सिंग संस्थानों के अवशिष्ट कचरे के उचित अपवर्जन कराने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना के अनुसार निजी नर्सिंग होमों द्वारा उत्सर्जित अवशिष्ट पदार्थों के अपवर्जन का दायित्व सम्बन्धित नर्सिंग होम का है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पुखरायां, कानपुर देहात के कार्यरत वरिष्ठ लिपिक श्री सर्वेश तिवारी की नियुक्ति की जांच

8-डा0 कौशल किशोर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-6-07 जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पुखरायां, कानपुर देहात में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक श्री सर्वेश तिवारी द्वारा जालसाजी एवं धोखाधड़ी करके शिक्षा विभाग में नियुक्ति पाये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

प्रकरण की जांच संयुक्त शिक्षा निदेशक, कानपुर मण्डल, कानपुर द्वारा करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कतिपय जनपदों के राजकीय पुस्तकालयों में तैनात जिल्दसाज को तकनीकी कर्मचारी माने जाने की मांग

9-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय पुस्तकालयों में बुक बाइन्डर (जिल्दसाज) के पद पर कार्य करने वालों को कटिंग मशीन, दाब मशीन, पंचिंग मशीन एवं शिकंजा मशीन पर कार्य करना पड़ता है, जो तकनीकी श्रेणी का कार्य है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिल्दसाजों को तकनीकी श्रेणी का कर्मचारी घोषित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

प्रदेश के 08 जनपदों-आगरा, मेरठ, मथुरा, बरेली, वाराणसी, कानपुर, झांसी तथा गोरखपुर के राजकीय जिला पुस्तकालयों में जिल्दसाज एवं पुस्तक प्रदाता का पद सृजित है परन्तु उक्त पदों के सापेक्ष कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है और न ही इन पुस्तकालयों में जिल्दसाजी से सम्बन्धित कोई मशीन है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिल्दसाज के पद पर कोई कर्मचारी कार्यरत न होने तथा यह पद तकनीकी श्रेणी का न होने के कारण इन्हें तकनीकी कर्मचारी घोषित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

जनपद अम्बेडकर नगर के भीटी विकास खण्ड में अतिरिक्त पी0एच0सी0 स्थापित करने की मांग

10-श्री लल्लू सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद अम्बेडकर नगर के भीटी विकास खण्ड में मात्र एक पी0एच0सी0 होने के कारण जनता को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विकास खण्ड में अतिरिक्त पी0एच0सी0 स्थापित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

विकास खण्ड भीटी में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रियाशील है।

एक अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति से अनुमोदित कराकर कार्यवाही प्रारम्भ कराये जाने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी, अम्बेडकर नगर को दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

11-श्री राजाराम त्यागी-

[2सरे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0-34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

12-श्री राजाराम त्यागी-

[2सरे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0-35 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शासन द्वारा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग में प्रवक्ता के सृजित पद एवं आरक्षण की व्यवस्था

13-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय विभाग एवं सूचना विज्ञान विभाग में लेक्चरर के कुल कितने पद सृजित हैं, सृजित पदों में कुल कितने पद अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित हैं ? आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शासन द्वारा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग में प्रवक्ता के कुल 07 पद सृजित हैं।

प्रश्नगत सृजित पदों में से प्रवक्ता का 01 पद अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित है।

उक्त आरक्षित पद पर अनुसूचित जाति के प्रवक्ता कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के असंतृप्त क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी को आवश्यक निर्देश

14-श्री राधेश्याम गुप्ता-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर, जनपद-फतेहपुर के सुदूर अंचलों में न्याय पंचायत जमुरांवा, मकनपुर, चितीसापुर, बेरागढ़ीवा, असनी,

रावतपुर मोहन खेड़ा कांधी, ढकौली, जगतपुर गाड़ा रमवा पथवा, सखियांव, मैथ्यापुर फर्सी लोहारी आदि में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र न होने के कारण लोगों को असुविधा होती है ? सरकार द्वारा उक्त न्याय पंचायतों में कब तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद फतेहपुर के असंतृप्त क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति से अनुमोदित कराकर उपलब्ध कराने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर को निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र स्थित पं0 दीनदयाल राजकीय कन्या महाविद्यालय में एल0एल0बी0 कक्षा प्रारम्भ करने की मांग

15-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य विधान सभा क्षेत्र लखनऊ स्थित पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय कन्या महाविद्यालय में एल0 एल0 बी0 की कक्षायें प्रारम्भ करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व से संचालित राजकीय महाविद्यालय में अतिरिक्त संकाय के रूप में विधि पाठ्यक्रम संचालित किये जाने की नीति सम्प्रति नहीं है।

जनपद लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं को आरम्भ किये जाने की मांग

16-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य विधान सभा क्षेत्र लखनऊ में स्थित पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं को शुरू करने की कार्यवाही विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या अगले शिक्षण-सत्र में स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारम्भ हो जायेंगी ? यदि हां, तो किन-किन विषयों में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी हां।

पद सृजन तथा सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही कक्षायें संचालित होंगी।

इतिहास, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं गृह विज्ञान विषयों में।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अम्बरपुर एवं इटरौर में निर्माण कार्य मानक के अनुरूप न होने पर जांच

17-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अम्बरपुर, ग्राम पंचायत इटरौर में एकल कक्ष एवं भूकम्प रोधी कक्षों के निर्माण में एक ही दीवार से मिलाकर छत लगायी गयी है ? यदि हां, तो क्या यह मानक के अनुसार सही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मा0 सदस्य द्वारा की गई शिकायतों की जांच अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा की जा रही है।

जांचोपरान्त नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापना की मांग

18-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

जनपद प्रतापगढ़ के आस-पास के जनपद जौनपुर, फैजाबाद, वाराणसी एवं इलाहाबाद में राज्य एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय संचालित हैं। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश की कठिन अर्थोपाय को दृष्टिगत रखते हुए सम्प्रति जनपद-प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में श्री राम अजोर चौरसिया राजकीय कन्या इण्टर कालेज में स्टाफ एवं लैब सामग्री मानक के अनुरूप उपलब्ध कराने की मांग

19-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में राम अजोर चौरसिया राजकीय कन्या इण्टर कालेज पट्टी में शिक्षक, प्राचार्य, प्रयोगशाला सहायक एवं उपकरण, लैब रूम, शौचालय, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी मानकों के अनुसार उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

विद्यालय वर्ष 1987-88 में हाई स्कूल स्तर पर संचालित हुआ तथा वर्ष 2004 में इण्टर स्तर पर उच्चीकृत हुआ। स्नातक वेतनक्रम के अध्यापकों की नियुक्ति से सम्बन्धित प्रकरण मा0 सर्वोच्च

न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण नियुक्ति की कार्यवाही अवरुद्ध है। प्रवक्ता के रिक्त पदों को भरने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 को भेजा गया है।

लखनऊ स्थित प्रियदर्शिनी पब्लिक स्कूल में छात्रवृत्ति घोटाले एवं शिक्षिकाओं के उत्पीड़न विषयक शिकायती-पत्र पर जांच

20-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री मिथिलेश नारायण सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 16 अगस्त, 2007 जो साउथ सिटी (लखनऊ) स्थित प्रियदर्शिनी पब्लिक स्कूल में छात्रवृत्ति घोटाले, शिक्षिकाओं का उत्पीड़न आदि विषयक था, जो मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित एवं बेसिक शिक्षा मंत्री को पृष्ठांकित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्र में अंकित तथ्यों की जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या रहे ? क्या सरकार उक्त विद्यालय की मान्यता समाप्त करके प्रबन्धन के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जांच की गयी। जांच में आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के जूनियर हाई स्कूल कजियारा में श्री हमीदुल हसन अंसारी को प्रबन्धक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर रोक

21-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद में मुस्लिम जूनियर हाई स्कूल कजियारा, पुराना-सीतापुर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर के आदेश दिनांक 9 अप्रैल, 2007 एवं मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ के आदेश दिनांक 16-1-07 के अनुपालन में विद्यालय की प्रबंध समिति ने रफीक अहमद अंसारी की जगह हमीदुल हसन अंसारी को प्रबन्धक पद का कार्यभार दिला दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

श्री हमीदुल हसन अंसारी को प्रबन्धक पद का कार्यभार ग्रहण कराने सम्बन्धी आदेश को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31-7-2007 द्वारा स्टे कर दिया गया है।

जिला सहकारी बैंक सिद्धार्थनगर से जमाकर्ता के धन वापसी की मांग

22-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2007 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-8 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला सहकारी बैंक "अ" सिद्धार्थनगर

जमाकर्ताओं का धन वापस नहीं दे पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार बैंक के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करायेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जिला सहकारी बैंक "अ" सिद्धार्थनगर पर राज्य सरकार का किसी प्रकार का नियंत्रण है ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि सरकार समय-समय पर उक्त बैंक पर अपना प्रशासक नियुक्त करती है तथा दिनांक 7-9-07 को जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर को प्रशासक नियुक्त किया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

सहकारिता मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

जी नहीं।

जिला सहकारी बैंक लि0 सिद्धार्थनगर (अ) उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत निबन्धित एक स्वायत्तशासी संस्था है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के प्राविधानों एवं रिजर्व बैंक के निर्देशों के अन्तर्गत कार्य करता है।

जी हां।

उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 एवं उ0 प्र0 सहकारी समिति नियमावली, 1968 के प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार का नियंत्रण है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

निबन्धक सहकारी समितियां द्वारा उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 एवं सहकारी समिति नियमावली 1968 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

जनपद बलिया में स्वीकृत प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों की संख्या एवं विद्यालयों के मरम्मत एवं नव निर्माण पर हुए खर्च का विवरण

23-श्री लालजी यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में प्राथमिक विद्यालयों व जूनियर हाई स्कूल के कितने नये विद्यालय वर्ष 2007 में स्वीकृत हुए हैं तथा कितने विद्यालयों की मरम्मत व नव निर्माण का कार्य वर्ष 2006-07 व 2007-08 में हुआ है तथा उस पर कितना धन व्यय हुआ है ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद बलिया में वर्ष 2007-08 में 08 प्राथमिक विद्यालय तथा 45 जूनियर हाईस्कूल स्वीकृत हुए हैं।

वर्ष 2006-07 में 50 नवीन स्वीकृत प्रा0 वि0 के लक्ष्य के सापेक्ष 49 विद्यालय भवन पूर्ण एवं 01 प्राथमिक विद्यालय निर्माणाधीन हैं तथा 70 उच्च प्राथमिक विद्यालय के लक्ष्य के सापेक्ष 68 विद्यालय भवन पूर्ण तथा 02 निर्माणाधीन हैं। उक्त विद्यालयों के निर्माण कार्य पर रु0 5,60,60,000/- की धनराशि व्यय हुई है। वर्ष 2007-08 में 08 प्राथमिक विद्यालय, 45 उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवनों के निर्माण कार्य का लक्ष्य निर्धारित है जिसके सापेक्ष निर्माण कार्य पर रु0 68,63,000/- धनराशि व्यय हुई है।

जनपद बलिया में वर्ष 2006-07 में शून्य एवं वर्ष 2007-08 में 929 विद्यालयों में मरम्मत करायी गयी जिस पर कुल रु0 79,86,000/- की धनराशि व्यय हुई है।

उ0प्र0 सहकारी विधायन एवं शीत गृह संघ लि0 लखनऊ में प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या

24-श्री लालजी यादव-

क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि उ0 प्र0 शीतगृह संघ विधायन एवं शीत गृह संघ लि0, लखनऊ में प्रतिनियुक्ति पर कितने अधिकारी व कर्मचारी तैनात हैं, और उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि कब तक है ? क्या सरकार उन अधिकारियों/कर्मचारियों को तत्काल हटाने का निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

उ0प्र0 सहकारी विधायन एवं शीतगृह संघ लि0, लखनऊ में 21 अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं। इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि सामान्यतः 5 वर्ष होती है, किन्तु शासन द्वारा समय-समय पर इस अवधि में वृद्धि भी की जाती है।

जी हां।

आवश्यकतानुसार तैनात किये गये हैं।

जनपद खीरी के सुश्री मायावती कन्या इण्टर कालेज दाउदपुर को अनुदान अवमुक्त कराने की मांग

25-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि असेवित विकास खण्डों में कन्या विद्यालयों की स्थापना योजनान्तर्गत सुश्री मायावती कन्या इण्टर कालेज, दाउदपुर वि0 खं0 बिजुआ खीरी को अनुदान अवमुक्त किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

तत्समय पुनः विज्ञापन का निर्णय लिया गया था।

प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही

26-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सृजित कई पद वर्षों से रिक्त चल रहे हैं ? यदि हां, तो प्रवक्ता के रिक्त पदों को भरने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

इन रिक्त पदों को भरने हेतु अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत विषय विशेषज्ञों के आमेलन से एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयन की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश के माध्यमिक कालेजों में प्रवक्ता के रिक्त पद पर चयन बोर्ड द्वारा नियुक्ति की कार्यवाही

27-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयनित वर्तमान में कुल कितने प्रवक्ता महिला एवं पुरुष हैं, जिन्हें अभी तक किसी विद्यालय में नियुक्ति प्रदान नहीं की गयी है ? सरकार इनको नियुक्ति प्रदान करने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

वर्तमान में चयन बोर्ड द्वारा चयनित 41 प्रवक्ता महिला एवं 611 प्रवक्ता पुरुष हैं।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण उक्त चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कार्यवाही रुकी हुई है। अध्यक्ष चयन बोर्ड के नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में नियंत्रण हेतु कार्य योजना

28-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या सरकार की जानकारी है कि जनपद-मैनपुरी से वर्तमान में व्यापक रूप से मलेरिया का प्रकोप है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिये कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

माह सितम्बर एवं अक्टूबर, 2007 में जनपद मैनपुरी में कतिपय क्षेत्र मलेरिया से प्रभावित हुए थे। वर्तमान में स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है।

मलेरिया नियंत्रण हेतु कार्ययोजना, 2007 के अन्तर्गत उपचारात्मक एवं निरोधात्मक कार्यवाही की जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर एवं जिला स्तर पर टीमें बनाकर क्षेत्र का भ्रमण कर रक्त पट्टिकायें बनायी जाती हैं एवं मलेरिया धनात्मक मामलों में शीघ्र उपचार उपलब्ध कराया जाता है। औषधियों एवं कीटनाशक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मलेरिया रोग पर नियंत्रण हेतु डी0डी0टी0 का फोकल स्प्रे, थर्मल फागिंग, प्रभावित क्षेत्रों में क्लोरोक्वीन की गोलियों का वितरण किया गया है तथा स्वास्थ्य शिक्षा एवं उक्त बीमारी से बचाव हेतु क्या करे, क्या न करें के हैण्डबिल वृहद स्तर पर वितरित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में सी0एच0सी0 भवन निर्माण की भूमि

29-श्री राम विशुन आजाद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में सी0 एच0 सी0 भवन का निर्माण स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिस भूमि पर कराया जा रहा है क्या वह

स्वास्थ्य विभाग के नाम अभिलेखों में दर्ज है ? यदि नहीं तो उक्त निर्माण किस आधार पर कराया जा रहा है ? क्या व्यय की गयी धनराशि सम्बन्धित अधिकारियों से वसूली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

भूमि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नाम रजिस्टर्ड है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के चयनित अम्बेडकर ग्रामों के प्राथमिक पाठशालाओं के मरम्मत हेतु आवंटित धनराशि

30-श्री राम विशुन आजाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-मनकापुर, छपिया, वजीरगंज, नवाबगंज में चयनित अम्बेडकर ग्रामों की प्राइमरी पाठशालाओं की मरम्मत, रंगाई, शौचालयों हेतु वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में अब तक कितना-कितना धन आवंटित किया गया है ? क्या आवंटित धनराशि सम्बन्धित मदों में व्यय की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार विभागीय समिति गठित कर जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड मनकापुर, छपिया, वजीरगंज, नवाबगंज में चयनित अम्बेडकर ग्रामों की प्राइमरी पाठशालाओं की मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में प्रतिवर्ष प्रति विद्यालय रु0 5000/-की दर से धनराशि दी गयी है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के राजकीय महाविद्यालय ढिबई में विधि-संकाय खोले जाने की मांग

31-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महाविद्यालय ढिबई (प्रतापगढ़) में विधि संकाय की स्थापना की स्वीकृति दिये जाने का आदेश प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व से संचालित महाविद्यालय में अतिरिक्त संकाय के रूप में विधि पाठ्यक्रम संचालित किये जाने की व्यवस्था नहीं है।

जनपद बाराबंकी के राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में तैनात अधीक्षिका के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

32-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी बाराबंकी को सम्बोधित शिकायती-पत्र दिनांक 29-09-2007 जो महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोरी) में तैनात सहायक अधीक्षिका के द्वारा की जा रही गड़बड़ियों के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

शिकायती-पत्र की जांच कराने पर शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई। इसलिये कार्यवाही करने का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर में डा0 जी0 के0 जेटली इण्टर कालेज अकबरपुर के प्रधानाचार्या को नियमानुसार मानदेय उपलब्ध कराने का निर्देश

33-श्री शेर बहादुर सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मित्र लाल, अपर निदेशक, व्यवसायिक शिक्षा, शिक्षा निदेशालय उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, अम्बेडकर नगर को पत्रांक 1508/2007-08 दिनांक 20 जुलाई, 07 डा0 जी0 के0 जेटली इण्टर कालेज, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर में व्यवसायिक योजना के अन्तर्गत ट्रेडों में अध्यापन के सम्बन्ध में लिखा गया है ? यदि हां, तो जिला विद्यालय निरीक्षक अम्बेडकरनगर द्वारा उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

जिला विद्यालय निरीक्षक, अम्बेडकर नगर द्वारा उक्त पत्र पर प्रधानाचार्य, डा0 जेटली इण्टर कालेज अकबरपुर अम्बेडकर नगर को मानदेय भुगतान विषयक की गयी शिकायत के सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या साक्ष्यों सहित उपलब्ध कराने तथा मानदेय का भुगतान नियमानुसार सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी में संचालित महिला कल्याण विभाग की संस्थाओं में पुरुष अनुदेशक के स्थान पर महिला अनुदेशक नियुक्त करने की मांग

34-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बाराबंकी में संचालित महिला कल्याण विभाग की संस्थाओं में पुरुष अनुदेशकों की तैनाती की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार

संस्थाओं में पुरुष अनुदेशकों को हटाकर महिला अनुदेशकों को तैनात करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

विभागीय संस्थाओं में पुरुष अनुदेशकों (क्राफ्ट प्रशिक्षण) की तैनाती प्रतिबन्धित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आर0 के0 इण्टर कालेज, शामली मुजफ्फरनगर में सह जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रबन्धक संचालन के पद पर नियुक्त करने पर विचार

35-श्री हुकुम सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आर0 के0 इण्टर कालेज, शामली मुजफ्फरनगर में विगत लगभग 12 वर्ष से कोई प्रबन्ध समिति नहीं है तथा वर्तमान में न कोई प्रशासक है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रबन्ध समिति के चुनाव सम्पन्न होने तक अन्तरिम व्यवस्था के रूप में किसी प्रशासनिक अधिकारी को प्रशासक नियुक्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

वर्तमान में सह जिला विद्यालय निरीक्षक, मुजफ्फरनगर उक्त विद्यालय में प्रबन्ध संचालक के रूप में कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के गरीब एवं दलित छात्र/छात्राओं को सरकारी खर्चे पर विदेशों में शिक्षा दिलाये जाने की मांग

36-श्री राम विशुन आजाद-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के गरीब एवं दलित छात्र/छात्राओं को सरकारी खर्चे पर विदेशों में उच्च शिक्षा दिलाये जाने हेतु सरकार कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

कठिन अर्थोपाय स्थिति के कारण।

जनपद गोण्डा के उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र, मनकापुर में एम्बुलेन्स पर व्यय की गई धनराशि का विवरण

37-श्री राम विशुन आजाद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-गोण्डा के उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र, मनकापुर में एम्बुलेन्स पर वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं जून, 2007 तक कितनी धनराशि पेट्रोल एवं मरम्मत पर व्यय की गयी ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद-गोण्डा के उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनकापुर में वाहन संख्या-यू0पी0-32 ए एन 1626 पर पी0ओ0एल0 एवं मरम्मत पर निम्न धनराशि व्यय की गई :-

वर्ष	सर्विस/मरम्मत	पी0 ओ0 एल0
2005-06	2276.00	25403.00
2006-07	4027.00	35700.00
2007-08	--	1010.00
योग-	6,303.00	62,113,00

प्रदेश में शिक्षामित्रों के चयन की नीति

38-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा मित्रों के चयन किये जाने के सम्बन्ध में वर्तमान में क्या नीति है ? क्या जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा, पट्टी, मंगरौरा एवं बाबा बेलखरनाथ धाम की ग्राम सभा भनईपुर, होशियारपुर, परसण्डा, सेतापुर में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं अध्यक्ष के निर्णय के विपरीत उप जिलाधिकारी, पट्टी द्वारा चयन के सम्बन्ध में संस्तुति की गयी है जिसके विरुद्ध जिलाधिकारी/बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़ को ग्राम भनईपुर ब्लाक आसपुर देवसरा, ग्राम होशियारपुर ब्लाक बेलखरनाथ धाम सहित उपरोक्त ग्रामों के शिक्षा समिति अध्यक्षों द्वारा माह जुलाई/अगस्त, 2007 में शिकायती-पत्र प्रस्तुत किया गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

शिक्षामित्रों के चयन सम्बन्धी वर्तमान नीति निम्नवत् है :-

1-ग्राम सभा का निवासी होना चाहिए।

2-प्रथम पद पर, जिस श्रेणी की ग्राम सभा होगी, उसी श्रेणी का शिक्षामित्र चयनित होगा।

3-50 प्रतिशत महिला शिक्षामित्र का चयन होना अनिवार्य है।

4-शिक्षामित्र की न्यूनतम योग्यता इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण हो।

5-अधिकतम आयु 35 वर्ष की हो जिसमें विकलांग, विधवा, तलाकशुदा को आयु में 5 वर्ष की छूट है।

6-अनौपचारिक योजना में कार्यरत रहे अनुदेशक/पर्यवेक्षकों को प्रथम वरीयता दी जायेगी।

ग्राम शिक्षा समिति से उक्त मानक के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर मेरिट के आधार पर जिला परियोजना समिति द्वारा अनुमोदन दिए जाने का प्राविधान है।

जी नहीं। उप जिलाधिकारी, पट्टी द्वारा मात्र ग्राम भनईपुर परसण्डा के शिक्षामित्रों के नवीनीकरण हेतु संस्तुति की गयी है।

ग्राम प्रधान भनईपुर का शिकायती-पत्र दिनांक 25-8-2007 जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को प्रस्तुत किया गया है जो शिक्षामित्रों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में है।

शिक्षामित्रों के नवीनीकरण में शिकायती-पत्र के परीक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि भनईपुर ग्राम सभा की ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष (ग्राम प्रधान) द्वारा अकारण अवरोध उत्पन्न किया जा रहा था। फलस्वरूप शासनादेश दिनांक 23-8-2006 के परिप्रेक्ष्य में इसे उनके कर्तव्यों की अपेक्षा मानकर जिलाधिकारी द्वारा शिक्षामित्रों का नवीनीकरण अनुमोदित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के ब्लाक-बरनाहल में स्वीकृत अस्पताल के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने का निर्देश

39-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी के ब्लाक-बरनाहल में वर्ष 2004-2005 में 30 शैय्या के अस्पताल हेतु 133.26 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे ? यदि हां, तो सरकार इसको कब तक पूर्ण करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

निर्माण कार्य, दिसम्बर, 2007 तक पूर्ण करने हेतु कार्यदायी संस्था को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

40-श्री रमापति उर्फ रमाकान्त-

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया।]

प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में यू0पी0डी0पी0एल0 कम्पनी से फर्जी अनुबन्ध के आधार पर दवा खरीदने के प्रकरण की जांच

41-श्री लालजी यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य विभाग उ0 प्र0 यू0पी0डी0पी0एल0 कम्पनी से फर्जी अनुबन्ध के आधार पर दवायें खरीदने का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो इसमें स्वास्थ्य विभाग व यू0पी0डी0पी0एल0 के कौन-कौन से अधिकारी दोषी पाये गये हैं ? उनके विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

जनपद गाजीपुर के जिला महिला चिकित्सालय से सम्बिन्धत एक प्रकरण जो कि मेसर्स निर्मल एजेन्सीज एण्ड कम्पनी पनकी, कानपुर के लाइजनिंग एजेण्ट श्री बाबू खान निवासी सैय्यदबाड़ा गाजीपुर द्वारा संदिग्ध प्रकृति की औषधियों की आपूर्ति मेसर्स यू0पी0डी0पी0एल0 के मेसर्स निर्मल एजेन्सीज एण्ड कम्पनी पनकी, कानपुर के फर्जी बिल बाउचर प्रस्तुत करके अनधिकृत रूप से राजकीय बैंक ड्राफ्ट प्राप्त किये जाने का प्रयास किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग व यू0पी0डी0पी0एल0 के कौन-कौन से अधिकारी दोषी हैं, के सम्बन्ध में विभाग एवं पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा विभाग उ0 प्र0 में सरकारी दवायें खरीदने हेतु अनुबन्धित सरकारी फर्मों के नाम एवं गैर अनुबन्धित फर्मों से दवायें खरीदने का प्रकरण

42-श्री लालजी यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि चिकित्सा विभाग, उ0 प्र0 में कौन-कौन सी फर्में सरकारी दवायें खरीदने हेतु विगत 5 वर्षों से अब तक अनुबन्धित हैं ? क्या वर्तमान समय में गैर अनुबन्धित फर्मों से दवायें खरीदने का प्रकरण प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

चिकित्सा विभाग, उ0 प्र0 में सरकारी दवाएं खरीदने हेतु विगत 05 वर्षों में अब तक दर अनुबंध के आधार पर जिन-जिन फर्मों को अनुबन्धित किया गया है, उनके सम्बन्ध में सूची पटल कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

जी हां।

प्रकरण की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा से करायी जा रही है। दोष सिद्ध पाये जाने पर सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा की बी0एस0सी0 (बायोटेक) की परीक्षाएं

43-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा की बी0एस0सी0 बायोटेक की वर्ष 2006-07 की परीक्षायें अभी तक नहीं हुई हैं ? यदि हां, तो उक्त परीक्षायें कब तक करायी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की वर्ष 2006-07 की बी0एस0सी0 बायोटेक की परीक्षायें दिनांक 31-10-2007 से प्रारम्भ होकर दिनांक 24-11-2007 को सम्पन्न हो चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र औछा के भवन निर्माण हेतु कथित रूप से धन का आवंटन

44-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी में वर्ष 2005-06 में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र औछा मैनपुरी में भवन निर्माण के लिये 36.84 लाख रुपया स्वीकृत हुआ था ? उक्त

क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य वर्तमान में अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

45-श्री आलोक कुमार शाक्य-

[मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद-सिद्धार्थनगर के प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा आर0 सी0 एच0 कैम्प के आयोजन पर व्यय की गई धनराशि

46-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर में जनवरी, 2006 से मार्च, 2007 तक प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा किन-किन स्थानों पर आर0सी0एच0 कैम्प का आयोजन किया गया और प्रत्येक कैम्प पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी ?

कु0 मायावती-

जनपद-सिद्धार्थनगर में माह जनवरी, 2006 से मार्च, 2007 तक सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के मुख्यालय पर 134 कैम्पों का आयोजन किया गया, जिस पर कुल रु0 2,14,400/- (रुपये दो लाख चौदह हजार चार सौ मात्र) का व्यय हुआ। प्रत्येक कैम्प पर रु0 1600/-का व्यय किया गया, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	सामु0/प्रा0 स्वा0 केन्द्र का नाम	कैम्पों की संख्या	व्यय की गई धनराशि (रुपये में)
1	2	3	4
1	बांसी	2	3200/-
2	मिठवल	12	19,200/-
3	खेसरहा	12	19,200/-
4	डुमरियागंज	12	19,200/-
5	भनवापुर	12	19,200/-
6	इटवा	12	19,200/-
7	खनियांवा	12	19,200/-
8	नौगढ़	12	19,200/-
9	उसका	12	19,200/-

10	जोगिया	12	19,200/-
11	बर्डपुर	12	19,200/-
12	बढ़नी	12	19,200/-
	कुल योग	134	2,14,400/-

47-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद गोण्डा के विकास खण्डों में खोले गये प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों का विवरण

48-श्री राम विशुन आजाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-गोण्डा में वर्ष 2004 से 2007 में अब तक किन-किन विकास खण्डों में कितने-कितने प्राइमरी पाठशाला एवं जू0 हाई स्कूल स्वीकृत किये गये ? क्या उक्त समस्त स्वीकृत ग्रामों में जू0 हाई स्कूल एवं प्राथमिक विद्यालय खोल दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां। जनपद गोण्डा में वर्ष 2004 से 2007 तक विकास खण्डवार स्वीकृत प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल की संख्या निम्नवत् है:-

विकास खण्ड	वर्ष 2004-05		वर्ष 2005-06		वर्ष 2006-07	
	प्रा0 पा0	जू0हा0 स्कूल	प्रा0 पा0	जू0हा0 स्कूल	प्रा0 पा0	जू0हा0 स्कूल
1-रुपईडीहा	12	10	0	0	5	3
2-झांझरी	10	8	1	0	4	5
3-इटियाथोक	6	5	0	2	3	1
4-बमनजोत	3	6	1	0	1	0
5-बेलसर	4	6	0	0	7	3
6-कर्नलगंज	4	9	3	0	1	3
7-कटरा बाजार	6	5	1	0	4	1
8-मुजेहना	1	4	1	1	0	3
9-मनकापुर	3	11	0	0	2	1
10-हलधरमऊ	6	6	0	0	2	4
11-पण्डरीकृपाल	3	4	0	2	0	4
12-परसपुर	9	12	2	0	4	2

13-छपिया	3	5	1	0	1	3
14-वजीरगंज	8	8	0	0	3	2
15-तरबगंज	5	11	0	0	3	3
16-नवाबगंज	6	8	0	0	0	3
योग :	89	118	10	5	40	41

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में निर्माणाधीन ट्रामा सेन्टर हेतु अनुमोदित नक्शा

49-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर जिला अस्पताल में निर्माणाधीन ट्रामा सेन्टर का बिना नक्शा पारित कराये एवं बिना इस्टीमेट फाइनल किये पी0डब्लू0डी0 के द्वारा निर्माण किये जाने की शिकायत स्वास्थ्य विभाग के तकनीकी विशेषज्ञों ने की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

शाहजहांपुर जिला अस्पताल में ट्रामा सेन्टर का निर्माण, जनपद रायबरेली में निर्मित ट्रामा सेन्टर हेतु अनुमोदित नक्शा के अनुरूप अधिशासी अभियन्ता शाहजहांपुर द्वारा नक्शा अनुमोदित किये जाने के पश्चात् कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ब्लाक देवसरा मंगरौरा तथा बाबा बेल्खर को ग्रे विकास खण्ड की श्रेणी में लाने हेतु कार्यवाही

50-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बाढ़ नियंत्रण तथा जलोत्सारण योजना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ब्लाक पट्टी, आसपुर देवसरा, मंगरौरा, बाबा बेल्खर नाथ धाम में किन-किन को डार्क ब्लाक घोषित किया गया है और क्यों ? क्या डार्क विकास खण्डों को ग्रे विकास खण्ड की श्रेणी में लाने हेतु सरकार कोई कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बाढ़ नियन्त्रण तथा जलोत्सारण योजना, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयवीर सिंह)-

भू-जल आकलन समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों /संस्तुतियों के अन्तर्गत विकास खण्डों को डार्क श्रेणी आदि में वर्गीकृत किये जाने की प्रक्रिया को परिवर्तित कर विकास खण्डों को भू-जल उपलब्धता/विकास दर एवं भू-जल स्तर में गिरावट के आधार पर अतिदोहित, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल अथवा सुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

इस प्रकार भू-जल उपलब्धता आकलन के अनुसार प्रतापगढ़ जनपद के विधान सभा क्षेत्र के पट्टी, आसपुर देवसरा, मंगरौरा, बाबा बेल्खर नाथ धाम में से किसी भी विकास खण्ड को अतिदोहित/क्रिटिकल/सेमी क्रिटिकल श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राष्ट्रीय/राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत शिक्षकों को परिवहन निगम की बसों से निःशुल्क यात्रा सुविधा सम्बन्धी-पत्र

51-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-9-2007 जो राष्ट्रीय/राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को राज्य परिवहन निगम की बसों में एक हजार कि0मी0 तक की निःशुल्क यात्रा की सुविधा के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को 1000 कि0मी0 प्रति वर्ष राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देय है। इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को 1000 कि0मी0 तक की निःशुल्क यात्रा सुविधा हेतु कूपन उनके आवेदन पर जारी किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गिरते हुए जल स्तर को रोकने के विभिन्न स्तर के उपाय

52-श्री राम विशुन आजाद-

क्या बाढ़ नियंत्रण तथा जलोत्सारण योजना मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने जनपद ऐसे हैं जिनको डार्क एरिया घोषित किया गया है ? सरकार उक्त जनपदों में गिरते हुए जल स्तर को रोकने हेतु क्या उपाय कर रही है ?

श्री जयवीर सिंह-

प्रदेश के किसी जनपद को डार्क एरिया घोषित नहीं किया गया है। वर्तमान में विकास खण्डों को भू-जल उपलब्धता/विकास दर के आधार पर अतिदोहित, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल अथवा सुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अनुक्रम में भू-जल उपलब्धता ऑकलन के अनुसार प्रदेश के 20 जनपदों में अवस्थित 37 विकास खण्ड अतिदोहित एवं 13 विकास खण्ड क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत किये गये हैं।

उक्त जनपदों में गिरते हुए भू-जल स्तर की समस्या के निदान हेतु बहुआयामी रणनीति अपनायी जा रही है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अर्धान भू-जल संवर्द्धन हेतु विभिन्न कार्य कराये जाते हैं। इसमें तालाबों के जीर्णोद्धार/निर्माण, चेकडेम का निर्माण, रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति आदि योजनायें सम्मिलित हैं।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न रिचार्ज पद्धतियों के माध्यम से अधिक से अधिक वर्षा जल संचयन एवं रिचार्ज किये जाने के नीतिगत निर्णय लिये गये हैं तथा इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश एवं व्यवस्थायें/प्राविधान किये गये हैं :-

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन एवं भू-जल रिचार्ज की दृष्टि से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अधिक से अधिक तालाबों का जीर्णोद्धार एवं नये तालाबों के निर्माण कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं,

(ii) शासन द्वारा यह व्यवस्था भी की गयी है कि प्रत्येक जनपद में ऐसे तालाब/जल स्रोत जिन पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हुआ है, उनसे अतिक्रमण हटाया जाय। साथ ही प्रत्येक जनपद में अवस्थित तालाबों/पोखरों एवं अन्य परम्परागत जल स्रोतों की सफाई करने के निर्देश दिये गये हैं,

(iii) नगरीय क्षेत्रों की महायोजना/जोनल प्लान में प्राकृतिक जलाशयों/तालाबों का संरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है,

(iv) नगरीय क्षेत्रों में 20 एकड़ अथवा अधिक क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं के लेआउट प्लान्स में 5 प्रतिशत भूमि पर तालाब/जलाशय निर्मित किये जाने की व्यवस्था की गयी है,

(v) पार्कों में पक्का निर्माण 5 प्रतिशत तक ही सीमित रखने को अनिवार्य कर दिया गया है,

(vi) शासकीय अभिकरणों/निजी विकासकर्ताओं/सहकारी समितियों द्वारा विकसित योजनाओं में 100 वर्गमी0 अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के सभी प्रकार के भू-खण्डों में रेन वाटर हार्वेटिंग पद्धति की स्थापना किया जाना अनिवार्य होगा, किन्तु, 200 वर्गमी0 से कम क्षेत्रफल के भू-खण्डों पर निर्मित होने वाले भवन के सम्बन्ध में मात्र यह बाध्यता होगी कि भवनों की छत से वर्षा जल का सामूहिक रिचार्ज योजना के नेटवर्क में ही प्रवाहित किया जाए, जबकि 200 वर्गमी0 अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के भू-खण्डों में यदि सामूहिक रिचार्ज नेटवर्क नहीं हो तो भवन स्वामी को स्वयं ही इस पद्धति की स्थापना करना अनिवार्य होगा,

(vii) पूर्व में निर्मित शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों तथा भविष्य में निर्मित होने वाले शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों में रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति स्थापित किये जाने को अनिवार्य कर दिया गया है,

(viii) प्रत्येक जनपद हेतु वर्षा जल संचयन एवं भू-जल रिचार्ज योजनाओं तकनीकी समन्वय तथा प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय 'तकनीकी समन्वय समिति' का गठन किया गया है,.

(ix) भू-गर्भ जल के प्रबंधन, संतुलित उपयोग तथा संरक्षण के प्रति जन मानस में जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 10 जून को "भू-गर्भ जल दिवस"

शासकीय दिवस के रूप में सम्पूर्ण प्रदेश में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा

(x) ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "आदर्श जलाशय योजना" आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक तालाब/जलाशय का निर्माण अथवा सुदृढ़ीकरण/जीर्णोद्धार कराया जा रहा है।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाकों का श्रेणियों में वर्गीकरण

53-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बाढ़ नियंत्रण तथा जलोत्सारण योजना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा, पट्टी, मंगरौरा में कौन-कौन से ब्लाक डार्क, ग्रीन एवं ब्लैक घोषित किये गये हैं और उसका आधार क्या है ?

श्री जयवीर सिंह-

भूजल आकलन समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों/संस्तुतियों के अन्तर्गत विकास खण्डों को डार्क श्रेणी आदि में वर्गीकृत किये जाने की प्रक्रिया को परिवर्तित कर विकास खण्डों को भूजल उपलब्धता/विकास दर के आधार पर अतिदोहित, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल अथवा सुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

इस प्रकार भूजल उपलब्धता आकलन के अनुसार जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा, पट्टी, मंगरौरा में से किसी भी विकास खण्ड को अतिदोहित, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

चौहान मेडिकल स्टोर कस्बा मीरगंज, जनपद बरेली के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्र पर जांच

54-श्री सुल्तान बेग-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र कम्प्यूटर सं0 सी 10162777 पत्र संख्या-सी0एच0/वि0को0/एम-162777/2007 जो चौहान मेडिकल स्टोर एवं न्यू चौहान मेडिकल स्टोर कस्बा मीरगंज, तहसील व थाना मीरगंज जनपद बरेली के विरुद्ध फर्जी प्रमाण-पत्र तथा एक ही प्रमाण-पत्र पर दो-दो मेडिकल स्टोर की दुकानें चलाने और फर्जी डाक्टर बनकर जनजीवन से खिलवाड़ करने सम्बन्धी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई गई ? जांच के उपरान्त दोषी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

जी हां।

जांच के उपरान्त यह पाया गया कि चौहान मेडिकल स्टोर एवं न्यू चौहान मेडिकल स्टोर कस्बा, तहसील व थाना मीरगंज, जनपद बरेली को पृथक-पृथक औषधि विक्रय लाइसेंस प्रदत्त किया गया है एवं उनमें अनुमोदित फार्मासिस्ट भी भिन्न हैं। दोनों मेडिकल स्टोर पर दुकान मालिक चिकित्सा उपचार करते नहीं पाये गये। मै0 चौहान मेडिकल हाल पर फार्मासिस्ट उपस्थित नहीं था, जिसके सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। न्यू चौहान मेडिकल स्टोर पर कोई अनियमितता नहीं पायी गयी। प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अनुदान प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों के पदों पर आमेलन की कार्यवाही

55-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में अनुदान प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों के वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? क्या इन रिक्त पदों को भरे जाने की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शासनादेश संख्या-1521/79-वि0-1-01 (क) 42-2006, दिनांक 11 दिसम्बर, 2006 के अनुसार मानदेय पर कार्यरत विषय-विशेषज्ञों का मौलिक रिक्त पदों पर आमेलन किया जा रहा है जिससे रिक्त पदों की वास्तविक संख्या दिया जाना सम्भव नहीं है।

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर चयन उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है। जो कि एक सतत् प्रक्रिया है।

आज की कार्य सूची के तारांकित प्रश्न संख्या-5 न आने पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय खन्ना साहब, जब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया तो आप खड़े हुए हैं। इसमें व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आज नत्थी-ग में पांचवा सवाल मेरा था। 11-09-2007 को मैंनें लगाया था, तीन महीने इन्तजार करने के बाद आज बड़ी मुश्किल से इसका नम्बर आया। जुलाई से मैं इसकी प्रतीक्षा कर रहा था कि जुलाई से एडमीशन्स होते हैं, जब यह विधान सभा में उठायेंगे तो उससे छात्रों को कुछ निजात मिलेगी। जो ज्यादा फीस ले रहे हैं सेल्फ फाईनेन्सिंग पोस्ट के नाम पर।

श्री अध्यक्ष-

इसमें व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसमें व्यवस्था का प्रश्न यह है कि एक घण्टे में मान्यवर, 20 सवाल पूछे जाने चाहिए, नियमावली में मान्यवर व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष-

इधर से पूछ लीजिए, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं।

श्री अध्यक्ष-

वह तो हैं। आपको सहयोग चाहिए न।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप संरक्षक हैं, मान्यवर कम से कम ऐसे सवाल 16 हैं आज की कार्य-सूची में और मात्र पांच सवाल आज उत्तरित हुए हैं उसमें से भी पहले सवाल में करवरिया जी थे नहीं केवल चार सवाल उत्तरित हुए हैं एक घण्टे में। मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं सभी लोगों के साथ एक सा व्यवहार हो सभी लोगों को उसका मौका मिले खासतौर से जिन्होंनें कार्य-सूची में अपना प्रश्न दिया। महीनों इन्तजार करने के बाद उनके उत्तर की उन्हें प्रतीक्षा रहती है कि अब हमारा उत्तर मिलेगा और उससे कुछ समाधान होगा। मान्यवर, यह उम्मीद थी कि आज हमारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा उसका समाधान होगा और उससे कुछ लोग लाभान्वित होंगे। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इसकी पुनरावृत्ति न हो।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग थोड़ा सहयोग कर दें। कुछ प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न ज्यादा हो जा रहे हैं इसलिए आपका प्रश्न नहीं आ पाया है। आपका प्रश्न आना चाहिए था।

विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री किशन लाल तथा प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री किशन लाल का 13 नवम्बर, 2007 को निधन हो गया। वे लगभग 80 वर्ष के थे। श्री किशन लाल का जन्म 14 नवम्बर, 1927 को ग्राम चापेड़ा, जिला पीलीभीत में हुआ था।

श्री किशन लाल सर्वप्रथम वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र बरखेड़ा, जिला पीलीभीत से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1969, 1974 में पुनः जनसंघ, वर्ष 1977 में जनता पार्टी तथा वर्ष 1985, 1991 तथा 1993 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र बरखेड़ा (अ0जा0), जिला पीलीभीत से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री किशन लाल देश में आपातकाल लागू किये जाने पर उसके विरोध में पीलीभीत तथा सेंट्रल जेल, बरेली में लगभग आठ माह बन्दी रहे थे। वे वर्ष 1971 में गन्ना आन्दोलन के दौरान भी जेल गये थे। प्रदेश में स्कूलों, सड़कों के विकास तथा जन-समस्याओं के निवारण में उनकी विशेष रुचि थी। उन्हें खेती का कार्य प्रिय था।

श्री किशन लाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर का 16 नवम्बर, 2007 को निधन हो गया। वे लगभग 49 वर्ष के थे।

प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर का जन्म 2 मार्च, 1958 को ग्राम पिपलों, जिला सहारनपुर में हुआ था। उन्होंने एम0एस0सी0, पी0एच0डी0 तक शिक्षा ग्रहण की थी। प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर वर्ष 1993, 1996 तथा 2002 में निर्वाचन क्षेत्र सरधना, जिला मेरट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर वर्ष 1993 में श्री राम जन्मभूमि आन्दोलन में जिला कारागार, मेरठ में 12 घण्टें बन्दी रहे तथा समय-समय पर अनेक राजनैतिक आन्दोलनों में भाग लेते रहे और जेल जाते रहे। वे मेरठ कालेज, मेरठ में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे। सामाजिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी।

प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। सदन की संवेदनायें दिवंगत आत्माओं के शोक संतप्त परिजनों तक पहुंचा दी जायेंगी।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया दिवंगत आत्माओं की शांति के लिये दो मिनट खड़े होकर मौन धारण करने का कष्ट करें।

(सदन में दो मिनट का मौन धारण किया गया)

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं :--

पहली	श्री विशम्भर प्रसाद निषाद	की	जनपद बांदा में नये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय बनाये जाने एवं नवनिर्मित भवनों का निर्माण गुणवत्ता से कराये जाने के सम्बन्ध में।
दूसरी	श्री प्रदीप जैन "आदित्य"	की	मेडिकल कालेज झांसी के कैंसर विभाग में स्टाफ एवं चिकित्सक तैनात करने के सम्बन्ध में।
तीसरी	डा0 अजय तोमर	की	जनपद बागपत के राजकीय चिकित्सालयों में एन0टी0रैबीज इन्जेक्शन की पर्याप्त उपलब्धता के सम्बन्ध में। (उपस्थित नहीं हैं)
चौथी	श्री हुकुम सिंह	की	महिला पालिटेक्निक कालेज शामली, जनपद मुजफ्फरनगर के सभी ब्रांचों में रिक्त पदों पर व्याख्याताओं की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में।

पांचवीं श्री सुरेश कुमार खन्ना	की	शाहजहांपुर जिला चिकित्सालय में बैकलाग में समूह घ के अन्तर्गत चयनित कर्मचारियों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में।
छठी श्री सुन्दर लाल लोधी	की	जनपद उन्नाव के प्रधान मंत्री सड़क ग्रामीण योजना में स्वीकृत अचलगंज से पुरवा क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में।
सातवीं डा0 आर0 ए0 उस्मानी	की	प्रदेश में डी0ए0पी0 एवं अन्य खादों तथा बीज की अनुपलब्धता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
आठवीं डा0 अनिल चौधरी	की	जनपद हाथरस (महामायानगर) के सादाबाद क्षेत्रान्तर्गत पेयजल समस्या के निदान के सम्बन्ध में।
नौवीं श्री उदय राज यादव	की	जनपद उन्नाव के मौरावां-बछरांवा 7 कि0मी0 स्वीकृत मार्ग के अवशेष कार्य को शीर्ष पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।
दसवीं डा0 पी0 के0 राय	की	जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज में बने ए0पी0 तटबन्ध के टूटने से हुये नुकसान की भरपायी करने के सम्बन्ध में।
ग्यारहवीं श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह	की	प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से स्वीकृत मार्गों का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
बारहवीं श्री मदन चौहान	की	गौतमबुद्धनगर के नोएडा प्राधिकरण में अस्थायी रूप से कार्यरत लगभग 4,000 कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के सम्बन्ध में।
तेरहवीं श्री जगन प्रसाद गर्ग	की	जनपद आगरा में प्रदूषित जलापूर्ति की समस्या का निदान करने के सम्बन्ध में।
चौदहवीं श्री किशुन	की	जनपद चन्दौली के चन्धासी कैथा टंडिया क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में तथा
पन्द्रहवीं श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल	की	कांशीराम शहरी समग्र विकास योजना में मेरठ नगर निगम को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

उन मा0 सदस्यों के नाम जिनकी सूचनायें अस्वीकृत की गयीं :--

1. श्री अनूप कुमार गुप्ता
2. श्री सुन्दर सिंह
3. चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी तथा
4. श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भैया।

सदन की सहमति से उपस्थित सदस्यों की सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं।

ज़नपद बांदा में नये प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय बनाये जाने एवं नव निर्मित भवन एवं एकल कक्षों का निर्माण गुणवत्ता से कराये जाने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान लोक महत्व के विषय की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं। जनपद बांदा के दर्जनों गांवों में प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय न होने से हजारों बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। बांदा जनपद के ब्लाक तिन्दवारी के अन्तर्गत खप्टिहा कला में अहिरन डेरा में प्रा0 विद्यालय एवं पैलानी के पडोहरा पार डेरा तथा माझा डेरा (खाड़ी) में प्राथमिक विद्यालय एवं पैलानी के काछिन डेरा में प्राथमिक विद्यालय तथा ब्लाक बड़ोखरखुर्द के लोधी पुरवा पुरानी बस्ती में प्रा0 विद्यालय तथा पहाड़िया बस्ती में तथा ग्राम दुरेड़ी के बजवा डेरा में प्रा0 विद्यालय तथा दौलतपुर दुरेड़ी में उच्च प्राथमिक विद्यालय बैजू डेरा (कनवारा) में उच्च प्राथमिक विद्यालय, डिघवट में उच्च प्रा0 विद्यालय (तिन्दवारी) तथा बरहेटा के मजरा दिपाडेरा में उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा खप्टिहा कला के मजरा शिवपाल डेरा में उच्च प्राथमिक विद्यालय, उसरा मजरा खैरेई में उच्च प्राथमिक विद्यालय, क्योटरा बहिरा में उच्च प्राथमिक विद्यालय की मांग चली आ रही है। शासन के आबादी एवं दूरी का मानक उपरोक्त पूरा करते हैं। इस समय जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसमें निम्न कोटि का निर्माण होने से छत टूट रही है। गडरिया प्रा0 प्रा0 भाग 2 में एकल कक्ष का निर्माण हुआ और छत टूट रही है तथा ग्राम रामपुर के उजगरा डेरा के भवन निर्माण की धांधली की गयी है जो अभी तक विद्यालय नहीं बना है, जांच आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के विषय पर कार्यवाही कराकर शासन का ध्यान आकृष्ट कराने का कष्ट करें।]

मेडिकल कालेज झांसी के कैंसर विभाग में स्टाफ एवं चिकित्सक तैनात करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

[बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत जनपद झांसी अत्यन्त ही अविकसित एवं पिछड़ा हुआ जनपद है जहां पर सुविधाओं का अत्यंत अभाव है। वर्ष 1968 में इस जनपद में एक मेडिकल कालेज की स्थापना की गयी थी, जो जनपद झांसी का एकमात्र मेडिकल कालेज है। इस मेडिकल कालेज में कैंसर विभाग तो स्थित है किन्तु उसमें चिकित्सक एवं स्टाफ की नियुक्ति अभी तक नहीं की गयी है जिससे इस असाध्य रोग से पीड़ित मरीजों को समय से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है ऐसी परिस्थिति में मरीजों की प्रायः मौत हो जाया करती है। जबकि इस मेडिकल कालेज में कैंसर विभाग में उपकरण इत्यादि उपलब्ध हैं किन्तु स्टाफ एवं चिकित्सक नहीं हैं। जनहित में यहां पर स्टाफ एवं चिकित्सक कैंसर विभाग में नियुक्त किया जाना अति आवश्यक है जिससे इस रोग से ग्रसित मरीजों को समय से समुचित मात्रा में चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो सके।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

महिला पालीटेक्निक कालेज शामली मुज़फ्फरनगर के सभी ब्रान्चों में रिक्त पदों पर व्याख्याताओं की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हुकुम सिंह-

[महोदय, शामली जनपद मुजफ्फरनगर में महिला पॉलिटेक्निक कालेज की स्थापना 1989 में हुई थी। वर्तमान में संस्था में 4 ब्रांच (इलेक्ट्रानिक, कम्प्यूटर साइंस, फैशन डिजाईनिंग एवं मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट) स्वीकृत है तथा बालिकाओं का प्रवेश भी प्रशिक्षण हेतु उक्त चारों ब्रांचों में नियमानुसार हो रहा है परन्तु दुर्भाग्य से फैशन डिजाईनिंग के पद पर नियुक्ति तो दूर अभी तक विभाग द्वारा पद भी सृजित नहीं किया गया है। इसी प्रकार मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट हेतु 4 पद स्वीकृत हैं जबकि नियुक्ति केवल एक ही पद पर है। कम्प्यूटर साइंस हेतु 4 पद स्वीकृत हैं परन्तु नियुक्ति अभी तक एक पद पर भी नहीं हुई है। इस प्रकार 660 बालिकाओं का भविष्य पूर्णतः अंधकार में है। व्याख्याताओं के 17 पदों में से केवल 4 पदों पर ही नियुक्ति है। छात्राओं में भारी असंतोष व्याप्त है। यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है। सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सभी रिक्त पदों पर अविलम्ब उक्त उपयुक्त व्याख्याताओं की नियुक्ति की जाए।]

शाहजहांपुर जिला चिकित्सालय में बैकलाग में समूह 'घ' के अन्तर्गत चयनित कर्मचारियों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[मान्यवर, शाहजहांपुर के जिला चिकित्सालय में समूह 'घ' की सीधी भर्ती बैकलाग को पूर्ण करने के उद्देश्य से 5 कर्मचारियों की नियुक्ति महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ0प्र0 के पत्रांक-4 फ/ए/172/2001/4508-17 लखनऊ दिनांक 4-12-2002 एवं पत्रांक-प4 फ/ए/बैकलाग/2101/दिनांक 10-6-2003 में निहित निर्देशानुसार की गयी थी। यह भर्तियां अस्पताल के रोजमर्रा के कार्य के संचालन में कमी को देखते हुए मरीजों की सुविधा के लिये जनहित में की गई थीं। परन्तु पिछली सरकार के द्वारा जांच कराई गई, जांच के निष्कर्ष से स्पष्ट है कि नियुक्तियां सही प्रक्रिया अपनाते हुए की गईं। पुनः न्याय विभाग व कार्मिक विभाग के परीक्षण के बाद मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी के आदेशों के बाद दिनांक 9-9-2007 को पत्रावली चिकित्सा अनुभाग-4 को भेजी गई जो अनावश्यक रूप से रोके हैं। इन समूह 'घ' के चयनित कर्मचारियों को नियुक्त न करने के कारण जिला अस्पताल का कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। अतः जनहित में चयनित कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना आवश्यक है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा अनुमोदित 9-9-2007 के अनुपालन में बैकलाग में समूह 'घ' के अन्तर्गत चयनित कर्मचारियों को तत्काल शाहजहांपुर जिला चिकित्सालय में नियुक्त कराया जावे।]

जनपद उन्नाव के प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना में स्वीकृत अचलगंज से पुरवा क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुन्दर लाल लोधी-

[महोदय, उन्नाव में प्रधान मंत्री सड़क ग्रामीण योजना उन्नाव के अन्तर्गत विगत वर्ष अचलगंज पुरवा मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृत हुआ जिसकी लम्बाई 28 कि0मी0 है। यह सड़क अत्यधिक टूटी/गड्ढा युक्त है और आवागमन के लिए अनेक ग्रामों को जोड़ती है। परन्तु अभी तक इसका निर्माण न होने से जनपद के निवासियों को आवागमन की बहुत समस्या पैदा है। न बनने के कारण क्षेत्रीय जनता में असन्तोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर,वक्तव्य दिलाने का कष्ट करें।]

प्रदेश में डी0 ए0 पी0 एवं अन्य खादों तथा बीज की अनुपलब्धता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि पूरे उ0 प्र0 में इस समय गेहूं की बुआई चल रही है जिसमें प्रयुक्त होने वाली खादें डी0 ए0 पी0, एन0 पी0 के0 तथा अन्य खादें बाजारों से नदारद हैं। सहकारी गोदामों में भी खाद तथा बीज का टोटा है जिससे जनता में जनाक्रोश/आक्रोश है। जनता के हित में किसानों को तत्काल खाद एवं बीज को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

अतः मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार इस दिशा में कठोर कदम उठाकर किसानों को खाद तथा बीज उपलब्ध कराये एवं मार्केट में जो नकली खाद बिक रही है उस पर प्रभावी अंकुश लगाये।]

जनपद हाथरस (महामायानगर) के सादाबाद क्षेत्रान्तर्गत पेयजल समस्या के निदान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अनिल चौधरी-

विधान सभा क्षेत्र सादाबाद के वि0 खं0 सादाबाद जनपद हाथरस (महामायानगर) व विकास खण्ड बल्देव जनपद मथुरा के अन्तर्गत आने वाले ग्राम गम्भीर पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। इन ग्रामों में पानी खारा होने के कारण पीने के योग्य नहीं है। साथ ही पानी में फ्लोराइड, आर्सेनिक, मैगनीशियम, कापर, आयरन इत्यादि की मात्रा भी पेयजल के मानकों से अधिक है ग्रामीणों को तीन कि0मी0 की दूरी तक से पेयजल की व्यवस्था करनी पड़ रही है विशेष रूप से प्रभावित विकास खण्ड बल्देव (मथुरा) के माद्यौर नगला पेंट गड़ी खांडा नगला गुखरौली, गडी सुक्खा, रदोई व बुर्ज तथा विकास खण्ड सादाबाद (हाथरस) के कुरसण्डा, नगला काठ, नगला ध्यान, अनगदा, भदूरी, नगला मोहना, नगला सदारी, गढ़ी आशा, कजरोटी, पल्हावत्, नगला भूतिया, गिजरौला, जंगला, पोदा, कंजौली, गोविन्दपुर, नर्सारपुर, रसमई, नगला मियां, पचावरी, नगला मोहकम, सुमरा, विसावर, नगला छत्ती,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नगला शेखा, तसींगा गढ़ी अन्ता, गढ़, बनगढ़, मिढावली, गढ़ी हरिया, गढ़ी बैरू, नगला दुरजिया, नौगांव नगला चौधरी, नगला धनी, ढकरई, नगला कल्हू, नगला हीरा, नगला हरिया, नगला बबूल, नगला रद्दू, गढ़उमराव, बिलारा, गुखरौली, गहचौली, ताजपुर, भुर्रका, करसौरा, गढ़ीनौकस, लालगढ़ी, नगला मोहकम (बेदई) आदि हैं।

उपरोक्त गांवों में विशेष कार्य योजना बनाकर पेयजल समस्या का निदान जन स्वास्थ्य के मद्देनजर प्राथमिकता पर अपेक्षित है। साथ ही सादाबाद तहसील की निष्प्रभावी हो चुकी "ग्रामीण पेयजल समूह योजना" की निम्नलिखित टंकियों व इनकी लाइनों का अनुरक्षण भी प्राथमिकता पर किया जाना जरूरी है।

1-सुसाइन, जारऊ, कजरोटी, मनस्यां, आरोहा, मिढावली, नौगवां, कुरसण्डा, मई, कंजौली, विसावर, सीस्ता, तसींगा, धाधऊ, सलेमपुर, रसगंवा, राजनगर, गुतहैरा, कोकना कलां।

अतएव इस अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत कर जनपद महामायानगर की विकास खण्ड सादाबाद व जनपद मथुरा के विकास खण्ड बल्देव के पेयजल समस्या से ग्रस्त गांव में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराने की मांग करता हूं।

जनपद उन्नाव के मौरावां-बछरावां मार्ग के मौरावां से हिलौली तक 7 कि0 मी0 मार्ग का अवशेष कार्य पूर्ण न कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री उदयराज-

[महोदय, अवगत कराना है कि वर्ष 2006-2007 में मौरावां-बछरावां का 7 कि0 मी0 मार्ग मौरावां से हिलौली तक चौड़ीकरण तथा शुद्धीकरण हेतु स्वीकृत हुआ था। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि जारी कर दी गयी थी विभागीय लापरवाही के कारण मार्ग पर लगभग 10 प्रतिशत कार्य ही अब तक कराया गया है। मार्ग कुछ स्थानों पर खुदा होने के कारण तथा अत्यन्त खराब होने के कारण क्षेत्रीय लोगों को आवागमन में अत्यन्त कठिनाई होती है।

कृपया वक्तव्य दिलाने का कष्ट करें।]

जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज में ए0 पी0 तटबन्ध के टूटने से हुये नुकसान की भरपायी करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 पी0 के0 राय-

[महोदय, जनपद कुशीनगर तहसील तमकुहीराज में 1 अगस्त, 2000 को आयी बाढ़ से गण्डक नदी से बचाव हेतु बने ए0 पी0 तटबन्ध के टूटने के कारण दर्जनों गांव हजारों एकड़ फसल प्रभावित हुयी जिससे की गन्ना एवं धान की फसल नष्ट हो गयी लोग बेघर हो गये। अभी तक सभी पात्र बाढ़ पीड़ितों को शासनादेश के अनुरूप अहेतुक सहायता घर गिरायी एवं फसल का मुआवजा का वितरण नहीं किया जा सका है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस अत्यन्त लोक महत्व और अविलम्बनीय प्रश्न के तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सभी बाढ़ पीड़ितों को महामाया आवास एवं इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराना एवं फसल का मुआवजा दिलाने हेतु सरकार से शीघ्र कार्यवाही एवं वक्तव्य की मांग करता हूं।]

प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत पूर्वान्चल विकास निधि के राज्यांश से स्वीकृत मार्गों का कार्य पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[मान्यवर, जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में जुलाई वर्ष 2003 तक पूर्वान्चल विकास निधि के राज्यांश से स्वीकृत किये गये मार्ग आज तक धनाभाव एवं अवशेष धनराशि अवमुक्त न हो पाने के कारण अपूर्ण हैं तथा कराया गया कार्य भी लगभग समाप्त हो रहा है। पूर्ववर्ती सरकार ने धन अवमुक्त नहीं किया। लोक निर्माण अनुभाग-14 द्वारा अधूरे उपरोक्त अवधि के कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में पुनरीक्षित आगणन एवं अपेक्षित धनराशि हेतु मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ से अपेक्षा की है जो शासन को अवश्य प्राप्त हो गया होगा। कार्य अपूर्ण रहने से कई हजार लोगों का सुगम आवागमन प्रभावित है, जनता में गहरा आक्रोश है और व्यवस्था के प्रति तरह-तरह की आशंकायें व्यक्त की जी रही हैं।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में जुलाई वर्ष 2003 तक पूर्वान्चल विकास निधि के राज्यांश से स्वीकृत किये गये कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त करने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद गौतमबुद्ध नगर के नोएडा प्राधिकरण के गेट पर हड़ताल पर बैठे अस्थायी कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान-

[मान्यवर, जनपद गौतमबुद्धनगर के नोएडा प्राधिकरण में लगभग चार हजार कर्मचारी 22 वर्षों से अस्थाई रूप से कार्यरत हैं। नोएडा के विकास में भारी योगदान किया है। आज 22 वर्षों के बाद भी नियमित नहीं हैं। कई महीनों से भूख हड़ताल पर विभिन्न प्रकार से प्राधिकरण के मेन गेट पर हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन अधिकारियों द्वारा उन पर मुकदमें दायर किये जा रहे हैं, किसी भी अधिकारी ने उनकी सुध नहीं ली है। आज उनके परिवार भूखों मर रहे हैं। सरकार से अनुरोध है कि उनकी मांगों पर विचार कर स्थाई करने पर विचार करने की कृपा करें क्योंकि चार हजार कर्मचारियों के जन्म मरण का प्रश्न है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।]

धन्यवाद।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आगरा में प्रदूषित जलापूर्ति की समस्या का निदान करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जनपद आगरा में प्रदूषित जलापूर्ति की समस्या से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद आगरा में विगत एक माह से प्रदूषित एवं कीड़ा युक्त बदबूदार पानी की सप्लाई की जा रही है। यमुना नदी का जल भी प्रदूषित हो गया है, हजारों की संख्या में मछलियां प्रदूषित जल के कारण मर गयी हैं परन्तु सरकार एवं प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नही दे रहा है। प्रदूषित जलापूर्ति के कारण विगत दो वर्ष पूर्व आगरा में खटिक पाड़ा क्षेत्र में मौतें भी हो चुकी हैं। यदि शासन एवं प्रशासन द्वारा इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो प्रदूषित जलापूर्ति के कारण जनपद आगरा में भयंकर बीमारी फैल सकती है। समस्या के निदान हेतु शुद्ध पेय जल की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु बल्देव रजवाह के माध्यम से यमुना नदी में गंगा जल छोड़े जाने की व्यवस्था शासन द्वारा कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद आगरा में प्रदूषित जलापूर्ति को रोकने एवं यमुना नदी के जल को प्रदूषण मुक्त कराने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद चन्दौली के चन्धासी कैथा टंडिया क्षतिग्रस्त मार्ग को जनहित में निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री किशुन-

[महोदय, सादर निवेदन करना है कि जनपद चन्दौली के अन्तर्गत चन्धासी कैथ टंडिया मार्ग विगत कई वर्षों से ध्वस्त एवं जर्जर हो गया है, जिस पर चलना मुश्किल हो गया है। यह मार्ग नगर पालिका परिषद् के बाहर से बाईपास का काम करता है। कई दर्जनों गांव इस पर स्थित हैं तथा प्रतिदिन हजारों लोगों का आना-जाना रहता है। कोयला मण्डी चन्धासी से सम्बन्धित है, जी0टी0 रोड चन्धासी से निकल कर यह मार्ग कैली चन्दौसी मार्ग से मिलता हुआ जिला मुख्यालय से सीधा जुड़ा होता है। आवागमन के दृष्टिकोण से यह मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है। परन्तु खराब-जर्जर हो जाने से जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। पिछले कई वर्षों से खराब हो गया है। लोक निर्माण विभाग के ध्यान न देने से यह मार्ग की हालत और भी बत्तर हो गयी है। लोक महत्व का विषय है जनहित में निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर आपके माध्यम से अनुरोध करना है कि चन्धासी कैथा टंडिया मार्ग को तत्काल बनवाये जाने का आदेश देने की कृपा करें।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-।] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

काशीराम शहरी समग्र विकास योजना में मेरठ नगर निगम को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

[महोदय, शासन द्वारा प्रदेश के सभी नगर निगमों में काशीराम शहरी समग्र विकास योजना की शुरूआत की है इस योजना के अनुसार प्रथम चरण में मेरठ नगर के 4 वार्डों को माडल वार्ड के रूप में विकसित किये जाने का प्रस्ताव है जिसमें सड़क, पानी, बिजली, सीवर, ड्रैनेज एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार का प्राविधान किया गया है। मेरठ नगर निगम द्वारा इन 4 वार्डों में उपरोक्त योजना के अनुसार 200 करोड़ रुपये के कार्य होने हैं। जिसमें नगर निगम का अंश 38 करोड़ रुपये है। लेकिन नगर निगम मेरठ के पास इतना धन नहीं है। अगर नगर निगम, मेरठ का एक वर्ष का पूरा बजट इन 4 वार्डों में खर्च हो जायेगा तो बाकी समस्त शहर (76 वार्ड) का विकास कैसे हो पायेगा।

मेरठ के पड़ोसी जिले गाजियाबाद नगर निगम को काशीराम शहरी समग्र विकास योजना के तहत 35 करोड़ रुपये की राशि शासन ने स्वीकृत की है लेकिन मेरठ नगर निगम को एक रुपये की भी धनराशि उपरोक्त योजना में नहीं दी है। शासन काशीराम शहरी समग्र विकास योजना हेतु समस्त धनराशि स्वयं वहन करे नहीं तो शहर की 95 प्रतिशत आम जनता के साथ अन्याय होगा।

मैं इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 4 दिसम्बर, 2007 को नियम 300 के अन्तर्गत कुल 5 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की, दूसरी सूचना श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल की तीसरी सूचना चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, डा0 अजय तोमर एवं श्री वारिस अली खां की, चौथी सूचना श्री उदय राज की तथा पांचवी सूचना डा0 आर0 ए0 उस्मानी की है।

विधान सभा के वर्तमान सत्र का स्थगन जन-गण-मन ..... के द्वारा किये जाने के पश्चात् सत्रावसान की सिफारिश श्री राज्यपाल से न करके पुनः 14 दिसम्बर, 2007 को सदन की बैठक बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की विधान सभा का वर्तमान सत्र का स्थगन जन-गण-मन .. के द्वारा कर दिये जाने के पश्चात् सत्रावसान की सिफारिश महामहिम श्री राज्यपाल से न करके पुनः आज दिनांक 4 दिसम्बर, 2007 को सदन की बैठक बुलाये जाने के सम्बन्ध में है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, भारत के संविधान के 174 के अनुसार राज्य के विधान मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन की प्रक्रिया निश्चित की गयी है। मान्यवर, जिसके अनुसार राज्यपाल समय-समय पर राज्य के विधान मण्डल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझें, अधिवेशन के लिये आहूत करेगा, किन्तु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिये नियत तारीख के बीच 6 मास का अन्तर नहीं होगा।

मान्यवर, मेरा आशय 174(2) से है। राज्यपाल, समय-समय पर सदन का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा। मान्यवर, सामान्य प्रक्रिया यह है कि जिस दिन सत्रावसान होने वाला होता है उसके अंतिम दिन राष्ट्रीय गान जन-गण-मन अधिनायक ... का पाठ होता है। मान्यवर, मैं यह परम्परा की बात कर रहा हूं, मैं नियम और संविधान की बात नहीं कर रहा हूं। 6 नवम्बर को सदन जब उठने लगा तो आपके निर्देश पर कार्य-मंत्रणा समिति में यह छपा हुआ था राष्ट्र गान, मान्यवर, आपने निर्देशित किया और हम सभी ने राष्ट्रगान का पाठ किया और रोज राष्ट्रगान का पाठ हो अनुचित नहीं है उसका स्वागत है मान्यवर, लेकिन वह यह इंगित करता है कि सरकार की इच्छा, सदन की इच्छा, कार्य-मंत्रणा समिति की इच्छा और सर्वोपरि आपकी इच्छा है कि अब सरकार का सदन में कोई विजनेस नहीं रह गया है इसलिये सदन का सत्रावसान करना चाहिये। मान्यवर, हम सब इसी आशय और अपेक्षा के साथ सदन से उठे। मान्यवर, फिर आपका एक आदेश प्राप्त हुआ कि इस सदन की बैठक फिर 4 तारीख को बुला ली गयी। मान्यवर, संविधान का कहीं सीधा उल्लंघन नहीं होता परन्तु परम्पराओं और नियमावली का कहीं न कहीं से मान्यवर, औचित्य के रूप से, स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गयीं ? राष्ट्रगान के उपरान्त कैबिनेट की बैठक होनी चाहिये थी वह महामहिम राज्यपाल से सिफारिश करता कि आप सत्रावसान की घोषणा कर दीजिये। उसके बाद अगर सरकार को यह लगता कि सरकार के पास बिजनेस कुछ और है तो वह महामहिम राज्यपाल जी से अनुरोध करती और महामहिम राज्यपाल जी सदन की बैठक आहूत करते। लेकिन महामहिम राज्यपाल जी को बीच में न लाकर, फिर से आपको कष्ट दिया गया और आपने बैठक आहूत कर दी। मान्यवर, एक बार फिर हम उठेंगे फिर राष्ट्रगान होगा। मैं औचित्य प्रश्न के माध्यम से सिर्फ यह जानना चाहता हूं मैं स्पष्ट कर दूं कि इसमें संविधान का सीधा उल्लंघन कहीं नहीं हो रहा है लेकिन परम्पराओं का उल्लंघन अवश्य होता है। एक बार सरकार ने ऐसी नीति बना ली, सरकार ने ऐसी इच्छा जाहिर कर दी, क्या यह सरकार की अनिश्चितता नहीं दर्शाता कि सरकार उस समय कुछ और सोच रही थी और इस समय कुछ और सोच रही है। सरकार को सोचने का अधिकार है तो क्या सरकार इस सदन को विश्वास में लेकर यह बताने की कृपा करेगी, औचित्य के माध्यम से यही मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गयीं कि दुबारा सदन को बिना महामहिम राज्यपाल को विश्वास में लिये, बुलाने के लिये इस प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ा, यही मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने स्वतः इस बात को उल्लिखित किया है कि यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता। मान्यवर, संविधान में भी सत्रावसान के लिये व्यवस्था है और सत्रावसान के बगैर किसी तरह से यह मानने का अधिकार नहीं है कि सत्र का सत्रावसान हो गया है। इसलिये जब सत्रावसान नहीं हुआ है तो सदन का उपवेशन फिर से बुलाने का अधिकार मान्यवर, आपमें निहित है, नियमावली के नियम-17 के अन्तर्गत। जिसमें यह कहा गया है कि अध्यक्ष स्वयं अथवा सभा के तद्विषयक प्रस्ताव पर, सभा के उपवेशन को स्थगित कर सकेंगे, किन्तु यदि सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो तो सभा के पुनः समवेत् होने की तिथि की सूचना सदस्यों को साधारणतया दस दिन पूर्व दी जायेगी। मान्यवर, इस तरह से इस नियम के अनुसार चूंकि सत्रावसान नहीं हुआ था और उसके आधार पर आपको पूरा अधिकार है और उस अधिकार के तहत यह सदन आहूत किया गया है। इसमें कहीं भी औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है इसलिये मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि किसी नियम का नहीं बल्कि इससे परम्पराओं का उल्लंघन हुआ है, इसलिये नियम का उल्लेख करके परम्पराओं के उल्लंघन को जस्टीफाई करना, उसका औचित्य सिद्ध करना यह सदन की परम्परा नहीं रही है और विश्व में जहां भी लोकतंत्र है, उसकी संसदीय कार्यवाही नियम से ज्यादा परम्पराओं से चलती है। इंग्लैण्ड जहां से यह लिया गया वहां सब कुछ परम्परा पर आधारित है। मान्यवर, राष्ट्रगान कराने के बाद यह अवधारणा बनती है और यही परम्परा रही है कि सत्रावसान कर दिया गया। यहां उसकी घोषणा बाकी रह जाती है। सत्रावसान या राष्ट्रगान करना कोई विपक्ष की मांग नहीं थी, न विपक्ष के प्रस्ताव से यह हुआ था। जो परम्परा अब तक सदन की थी, उसके अनुसार राष्ट्रगान होने के अर्थ यही है कि सत्रावसान होगा। उसकी एक औपचारिक घोषणा हो जायेगी। तो राष्ट्रगान पिछली बार हुआ था, इस बार के एजेन्डे में न तो वन्देमातरम् और न तो अंत में राष्ट्रगान का उल्लेख है, अब पता नहीं कि इस बार भी सत्रावसान होगा कि नहीं होगा ? यह परम्परा रही है कि जब सत्र प्रारम्भ होता है तो वन्देमातरम् होता है और जब सत्रावसान होता है तो राष्ट्रगान होता है। इसमें एजेन्डे में दोनों नहीं है। इसलिये कुछ समझ में नहीं आया कि आगे क्या होगा कि सत्र चलता रहेगा कि इसका अवसान होगा। आपने परम्परा का उल्लंघन किया है, अगर चूक हो गयी कि यह मंशा थी, लेकिन एकाएक कार्यक्रम आ गया क्योंकि विधेयक आपको पास कराना है, विधान परिषद् से जो प्रवर समिति को चला गया था, उसे पास कराना है। तथ्य को, सत्य को स्वीकार कर लेने में आप परम्परा के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं लेकिन यदि परम्परा के ऊपर बिल्कुल आप पर्दा डाल देते हैं कि जो कुछ हमने किया है औचित्यपूर्ण है तो इसका मतलब है कि आप परम्परा का उल्लंघन करने जा रहे हैं और परम्पराओं के प्रति आपका सम्मान नहीं है, मेरा भी यही कहना है और मा0 तिवारी जी का भी यही कहना है। आवश्यकतायें एक-आध उत्पन्न

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होती हैं, आप उम्मीद किये होंगे कि हम सत्रावसान कर देंगे लेकिन ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई। तो आपको यह स्वीकार करना चाहिये कि मेरा परम्पराओं के प्रति पूरा सम्मान है लेकिन एकाएक आवश्यकता पड़ गई, इस कारण अप्रत्याशित ढंग से करना पड़ा, परम्पराओं का पालन नहीं हो सका और भविष्य में इसका पालन होगा, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। यह कह करके आप परम्परा का सम्मान प्रकट करते हैं और अगर आप इतना नहीं कह सकते तो आज हमारा यह आरोप होगा और धारणा भी बनेगी कि परम्पराओं का आदर करने के प्रति जागरूक नहीं हैं, सचेष्ट नहीं हैं, परम्पराओं का पालन करने के प्रति आपके मन में कोई सम्मान नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह सरकार परम्राओं, नियमों और संविधान का पूरी तरह से आदर करती है। मान्यवर, विभिन्न अवसरों पर, मा0 हाईकोर्ट के भी और मा0 विधान सभा के अध्यक्षों के भी ऐसे फैसले आये हैं कि राज्यपाल द्वारा जारी सत्रावसान के ऐसे आदेश के अभाव में सत्र चलता हुआ माना जायेगा ओर मान्यवर, उसी के परिप्रेक्ष्य में आवश्यकतानुसार जैसा कि आपने भी महसूस किया, उसके आधार पर आपको सत्र को आहूत करने का पूरा अधिकार है। मान्यवर इसमें न तो किसी परम्परा का उल्लंघन हुआ है और न ही किन्हीं नियमों का उल्लंघन हुआ है। जहां तक राष्ट्रीयगान का सवाल है तो राष्ट्रीयगान अगर हम करते हैं तो यह तो हम उसके प्रति और आदर समर्पित कर रहे हैं। अगर दो बार राष्ट्रीयगान हो जायेगा तो इससे कौन सा परम्परा का उल्लंघन हो रहा है और जब सत्र चलता हुआ माना जा रहा है तब तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिये क्योंकि सत्र चलता हुआ माना गया है इसलिये प्रारम्भ वन्दे मातंरम् से होने का आज कोई औचित्य नहीं था। क्योंकि उसमें व्यवस्था थी कि सत्र के प्रथम दिन की कार्यवाही वन्देमातरम् से प्रारम्भ होगी। मान्यवर, चूंकि आज प्रथम दिन नहीं है और उसके आधार पर ऐसा निर्णय लिया गया है और जब 6 तारीख को हम उठेंगे तो उस दिन 6 तारीख के एजेण्डे में राष्ट्रीयगान होगा, उसके पहले राष्ट्रीयगान का एजेण्डे में होने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री प्रमोद तिवारी जी को और श्री ओम प्रकाश सिंह जी को सुना, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-17 के अन्तर्गत यह कार्यवाही की गई है। यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं है, इसलिये मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान 30 अगस्त, 2007 तक न करने वाले मिल मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की घोषणा गन्ना विकास मंत्री द्वारा सदन में किये जाने के बावजूद अभी तक कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना मा0 नरेश चन्द्र अग्रवाल जी की दिनांक 30 अगस्त, 2007 तक प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान न करने वाले मिल-मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने की घोषणा मा0 गन्ना विकास मंत्री द्वारा सदन में किये जाने के बावजूद उस पर कार्रवाई न हो पाने के सम्बन्ध में है।

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, इस सदन का कार्य उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के विभिन्न नियमों के अन्तर्गत ही होता है और अधिकतर हम सदस्यगण नियम-29, नियम-30 ....

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाह रहा हूं। मान्यवर, जो प्रश्न आपके सामने आया है और आपने पढ़कर सुनाया है तो यह प्रश्न सारे उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित है, किसानों से सम्बन्धित है और सदन में पहले भी उठाया जा चुका है। क्योंकि आज यह औचित्य के रूप में उठाया जा रहा है तो मेरा आग्रह आपसे यह है कि जब औचित्य के रूप में आप सुन रहे हैं तो बाकी सदस्यों को भी मौका दें इस विषय पर बोलने का।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

औचित्य के रूप में नहीं उठ रहा है।

श्री हुकुम सिंह-

आपके सामने उठ रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग तो जानकार हैं। आपको नहीं उठाना चाहिये था।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मैं तो इसके औचित्य को आपके सामने रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

यह केवल औचित्य का प्रश्न है कि एक घोषणा हुई थी और उसका अनुपालन नहीं हुआ समय के अन्दर, केवल इतना ही मामला है। जहां तक गन्ना किसानों की आम चर्चा की बात है तो पिछली बार भी चर्चा हो गई। एक सूचना आज भी आई थी सम्भवतः गन्ना किसानों के भुगतान के बारे में किसी माननीय सदस्य ने दिया है नियम-56 में।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, औचित्य के प्रश्न के बारे में जब आयेगा तो तथ्यात्मक बात भी आयेगी और तथ्यात्मक बात पर हमें भी विचार करने का अवसर दिया जाए, यह मेरा आग्रह है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 अग्रवाल साहब, हुकुम सिंह जी ने कहा कि नियम-56 के अन्तर्गत भी आज गन्ना किसानों के बकाया मूल्य के सन्दर्भ में एक सूचना हमें मिली है जिसका मैंने चयन किया है। केवल एक औचित्य का सवाल उठा है कि जब मा0 मंत्री जी सदन में कोई घोषणा करते हैं कि इतने समय से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसका अनुपालन हो जाएगा, आज उस पर औचित्य का सवाल है कि भुगतान हुआ है कि नहीं ? औचित्य इस बात का है। मैंने हुकुम सिंह जी से निवेदन कर लिया है कि आगे अन्य सूचनाओं पर इस पर चर्चा कर लीजिए।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के नियम-29, 30, 51, 52, 56, 300, 301, 311 आदि नियमों के तहत सदस्य अपनी समस्याएं सदन के समक्ष रखते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

अध्यक्ष महोदय, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल ने जो नोटिस दिया है उसके अन्तिम पैरे को पढ़ लें उसमें लिखा है कि ''स्वीकार करके चर्चा एवं कार्यवाही कराने का कष्ट करें।'' क्या नियम-300 में इस पर चर्चा हो सकती है। नियम 300 औचित्य का प्रश्न होता है।

श्री अध्यक्ष-

सदस्यों से लिखने में कुछ कमियां हो जाती हैं। वरिष्ट सदस्य अगर लैंग्वेज का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा नए सदस्य उसको पढ़ेंगे।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

पिछले सदन में जब इस सरकार का गठन हुआ था तो पिछले सत्र में गन्ना मंत्री ने सदन में घोषणा करी थी अभी अम्बिका चौधरी उस घोषणा को पढ़ देंगे कि अगर 30 अगस्त, 2002 तक गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान न हुआ तो ऐसे मिल मालिकों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और उसके बाद अगर भुगतान न किया गया तो उन्हें मय ब्याज का भुगतान दिलाया जायेगा। श्रीमन् मंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा की थी कि भुगतान कराया जायेगा लेकिन अभी यह दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी भी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों ने 70 प्रतिशत से अधिक बकाये का भुगतान नहीं किया है जो चीनी मिल चली भी वह बिना भुगतान करे चली। आज उत्तर प्रदेश में किसान अपना गन्ना 50 रुपये में बेच रहे हैं। जो गन्ना मूल्य सरकार की ओर से घोषित भी किया गया उसे भी चीनी मिल मालिकों ने मानने से इन्कार कर दिया और वह उच्च न्यायालय गए उच्च न्यायालय ने 130 रुपये से घटाकर 110 रुपये प्रति कुन्तल कर दिया। उसमें सरकार की मिली भगत थी अगर सरकार का सहयोग न होता तो सरकार कार्यवाही करती। उस 110 रुपये का भुगतान भी गन्ना किसानों को नहीं मिल रहा है। रोज हम लोग पढ़ रहे हैं कि गन्ने का खेत जलाया जा रहा है इससे कानून व्यवस्था की भी स्थिति खराब हो गई है। यहां पर परम्परा सी बन गई है कि घोषणा कर दी जाती है लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं होती संसदीय कार्य मंत्री ने घोषणा की थी कि पूर्व विधायकों को मांगने पर 10 प्रतिशत चार्ज पर गनर दिया जाएगा लेकिन उस पर भी कार्यवाही नहीं हुई। अभी प्रमोद तिवारी ने कहा कि उनके सदस्य की सुरक्षा के लिए संसदीय कार्य मंत्री ने घोषणा की थी लेकिन आज तक सदस्य को सुरक्षा नहीं दी गई। यह गम्भीर बात है। आज ही अखबार में छपा है कि चीनी निगम और चीनी संघ की मिलें हैं उनको सरकार नहीं चलाने जा रही है। इस मारे नहीं चलाया जा रहा है कि उनसे घाटा होगा दूसरी तरफ उन्हें बेचना भी है। निगम की बहुत सी चीनी मिलों में मरम्मत का काम भी नहीं शुरू हुआ है।

निजी मिल मालिकों ने मिल चालू करने की घोषणा तो कर दी लेकिन कहते हैं कि अभी मिल की सफाई नहीं हुई। अभी देखना पड़ रहा है। बहुत से सदस्य यहां बैठे हैं, जो कि सत्ता पक्ष के विधायक हैं, वे चिन्तित हैं। बोल नहीं सकते बेचारे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। मुझसे कभी-कभी बात हो जाती है। आज पश्चिमांचल, मध्यांचल, पूर्वांचल जहां गन्ना ही किसानों का मुख्य रूप से रोजी रोटी है, वहां पर आज किसानों की दयनीय स्थिति है कि उनको पिछला बकाया मिल नहीं रहा, नये मूल्य तय नहीं हो पा रहे हैं, मिलें चल नहीं रहीं। गन्ना किसान मजबूर है कि किसी तरह से गन्ना बेचकर अपने खेत में गेहूं बोये। गेहूं बोने के कारण उसको डी0ए0पी0 नहीं मिल पा रही है। गेहूं बो नहीं पा रहा। एक अजीब स्थिति उनके सामने पैदा हो गयी है। श्रीमन्, अगर यही स्थिति प्रदेश में पैदा रही तो ऐसे में कानून व्यवस्था की स्थिति अपने आप खराब होगी। आज यह चिन्ता का विषय है। हम चाहते है कि आज इस पर चर्चा हो, सभी सदस्य इसमें भाग लें। लेकिन औचित्य का प्रश्न है और इस पर चर्चा नहीं हो सकती, इसको मैं स्वीकार करता हूं। यह औचित्य का विषय है और इसलिये यह औचित्य का प्रश्न बना है श्रीमन्, क्योंकि सदन की घोषणा इस सदन की प्रापर्टी हो गई। सदन में कोई घोषणा हो जाने के बाद यदि उस पर कार्यवाही नहीं होती है तो आपका अधिकार हो जाता है कि आप उस पर एक्शन लें, कार्यवाही करायें। अब यह सरकार का अधिकार क्षेत्र नहीं रहा। यह अब आपका अधिकार क्षेत्र हो गया। सदन में स्पष्ट घोषणा के बावजूद भी अगर सरकार मनमानी करे। माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश को सरकार न माने तो इसके मतलब हम विपक्ष का अधिकार क्या रह जायेगा ? हमें संरक्षण कहां मिलेगा ? और इस सदन का औचित्य क्या रह जायेगा। श्रीमन्, आश्वासन तो आश्वासन समिति में चला जायेगा लेकिन जो घोषणा होगी उसके लिये कौन सी समिति है, वह कौन सी समिति में जायेगी। घोषणा के लिये तो कोई समिति बनी नहीं है। घोषणा के लिये तो सर्वोपरि आप हैं। आपका अधिकार क्षेत्र है। तो मैं तो सिर्फ अधिकार क्षेत्र को चेताने के लिये आपसे कहने आया हूं कि आज प्रदेश की जो भयावह स्थिति है चाहे वह बीज की हो, खाद की हो, पानी की हो या गन्ना मूल्य को लेकर हो। आज जो प्रदेश की स्थिति है, उस पर यदि कार्यवाही नहीं की गई तो प्रदेश जिस स्थिति में जा रहा है वह स्थिति सबसे दयनीय स्थिति होगी। इस मारे मैंने इसको उजागर किया कि आप इस पर कोई कार्यवाही करने की घोषणा करेंगे।

*श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, मैं प्रयास करूंगा कि एक वाक्य भी मैं वो न दोहराऊं जो नरेश जी ने कहा है। मैं अपनी सूचना पर बल देने के लिए संक्षेप में यह निवेदन करूंगा कि यह सदन इस प्रदेश का सर्वोच्च सदन है। प्रदेश की जनता हमसे अपेक्षा करती है वह यह कहती है कि सदन में राजनीतिक घोषणाओं से काम न चलाया जाय। यहां पर जो भी सदस्य बोलें पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात कहें। यह एक धारणा है कि प्रत्येक सदस्य चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, सरकार के मंत्रि-मण्डल का जो बोलता है वह सत्य होता है जब तक कि वह बात गलत साबित न हो जाय। इसके अलावा अगर सरकार का दिया गया वक्तव्य, सरकार द्वारा दी गयी सूचना, गुमराह करने वाली हो, मिथ्या हो और

---

*वक्ता से भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, अपने आचरण से और उस वाक्य और उच्चारण से कोई ताल मेल ही नहीं हो तो इस सदन का औचित्य ही पूरी तरह से समाप्त हो जायेगा। हम लोगों की सबकी विश्वसनीयता मान्यवर, संकट में होगी। आप हमारे संरक्षक हैं, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं। औचित्य का प्रश्न इसलिए है। मैं किसी घटना का उल्लेख नहीं करूंगा माननीय नरेश अग्रवाल जी ने बहुत गम्भीर समस्याओं की ओर दृष्टिपात किया है इसलिए मैं उस ओर नहीं जाना चाहता। मान्यवर, आज औचित्य के प्रश्न के रूप में जो बात मैं रखना चाहता हूं वह यह है कि मान्यवर, 4 जुलाई, 2007 को विधान सभा के द्वितीय सत्र 2007 के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्न संख्या-3 था और इसका उत्तर था कि 31-8-2007 तक चरणबद्ध रूप से अनिवार्यतः अद्यावधिक ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दे दिया गया है। मान्यवर, यह 4 जुलाई, 2007 को तारांकित प्रश्न संख्या-3 का उत्तर था। मान्यवर, इसके बाद श्रीमन्, इसी सदन में माननीय मंत्री जी ने बहुत उत्तर दिया जो बहुत लम्बा है, मैं उसको नहीं पढ़ूंगा 5 जुलाई को माननीय नसीमुद्दीन जी जो कि विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 31 अगस्त तक भुगतान कराने के आदेश दे दिये गये हैं और जो आपकी जिज्ञासा है कि सहकारी चीनी मिलें और निगम की चीनी मिलें उनके बारे में उत्तर नहीं दिया गया है तो जो निर्देश निजी चीनी मिलों को दिये गये हैं वही निर्देश सहकारी और निगम की चीनी मिलों को भी दिये गये हैं और मान्यवर, आपने तो कहा ही मुख्य मंत्री को भी लपेटे में ले लिया। मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी भी चिन्तित हैं और समय-समय पर वह प्रतिदिन इस सम्बन्ध में मुझसे जानकारी लेती हैं। माननीय मंत्री जी अकेले नहीं हैं मुख्य मंत्री जी भी हैं। इसके अलावा उन्होंने जो बातें कहीं कि गन्ना किसानों का एक-एक पैसा, यह मैं सिर्फ कार्यवाही का अंश पढ़ रहा हूं एक भी शब्द अपना नहीं है उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर गन्ना उत्पादन ज्यादा होता है और एक-एक पैसा समयबद्ध भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। यह मान्यवर, 5 जुलाई को मा0 मंत्री जी ने कहा कि 31 अगस्त तक कर दिया जायेगा। श्रीमन् उसके बाद 31 जुलाई बीत गयी, 31 अगस्त बीत गया, सितम्बर बीत गया, पूरा अक्टूबर बीत गया और 31 अक्टूबर को पुनः मंत्री जी ने दुबारा इस सदन में कहा कि हां, तिथि 31 अगस्त रखी गयी थी यह सही है जो मिल है उन मिलों को भुगतान की तिथि 31 अगस्त दी गयी थी और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं मेरठ गया, सहारनपुर गया, मुरादाबाद गया, लखीमपुर खीरी गया और कह रहे हैं कि जो समस्या है उस चीज को दोहराने से कोई फायदा नहीं है। मान्यवर, भुगतान नहीं करेंगे और मान्यवर, आपने दुबारा कहा कि आपने 31 अगस्त तक कहा था तो मंत्री जी को बुरा लगता है कह रहे हैं उसको दोहराने की जरूरत नहीं है जो समस्या है उसको। जिन चीनी मिलों में कमिटमेंट करने के बाद 31 अगस्त तक भुगतान नहीं किया उन 64 चीनी मिलों के खिलाफ प्रदेश सरकार ने आर0सी0 जारी की और खाली आर0सी0 जारी नहीं की निरन्तर दबाव बनाया और मान्यवर, फिर कहा कि भुगतान शेष है और मैं 31 अक्टूबर की फीगर जो माननीय मंत्री जी ने आपके सामने रखी उसको आपके सामने रखना चाहता हूं उन्होंने पूरे प्रदेश में टोटल बकाया 1412.41 करोड़ श्रीमन् निगम की चीनी मिलों पर 154.94 करोड़, सहकारी चीनी मिलों पर 183.04 करोड़ और निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर 1074.43 करोड़ रुपया बकाया 29 अक्टूबर तक स्वीकार करते हुए इस सदन में वक्तव्य दिया। मान्यवर, स्थिति क्या हुई जिस दिन 5 जुलाई को कहा, उस दिन, जिस दिन 31 अक्टूबर को कहा उस

दिन और आज मान्यवर, जब मैं औचित्य का प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं उस दिन के मध्य एक रुपये का भी भुगतान निजी चीनी मिलों ने किसानों का नहीं किया है। कल की स्थिति — शेष में मान्यवर बकाया है 1260 करोड़ रुपया, भुगतान किसने किया ?

निगम की चीनी मिलों ने और सहकारी चीनी मिलों ने थोड़ा भुगतान किया, उन पर भी बकाया है मान्यवर उन पर भी मान्यवर डेढ़ सौ करोड़ रुपया बकाया है। जितना 1074 करोड़ रुपये की जो बकाया राशि थी निजी चीनी मिलों पर, उनमें से एक नया पैसा भी भुगतान नहीं हुआ किसानों का। यह स्थिति है। हम औचित्य का प्रश्न लेकर आपके सामने इसलिए आये हैं जब मुख्य मंत्री जी चिन्तित हैं ऐसा अवगत माननीय मंत्री जी करते हैं डे टू डे मानीटरिंग कर रही हैं। मा0 मंत्री जी इतने चिन्तित हैं कि उनका कलेजा फटा जा रहा है, खाली लखनऊ से नहीं देखते। जहां-जहां गन्ना पैदा होता है वहां-वहां मंत्री जी दौरा भी करते हैं पूरे प्रदेश में। दबाव भी बनायेंगे आर0सी0 मात्र जारी नहीं किया कठोर दबाव भी मिलों पर बना रहे हैं, उसके बाद भी एक रुपये का भुगतान गन्ना बकाया का, किसान को मिले यह निजी मिलें नहीं कर रही हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए और अगर मंत्री ऐसी घोषणा करेंगे सरकार की ओर से, माननीय मंत्री मंत्री जी कोई घोषणा करेंगी श्रीमन् अगर हम कोई तथ्य दें और वह असत्य हो तो मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाया जा सकता है, कार्यवाही की जा सकती है। यह सदन मिथ्या भाषण के लिए नहीं है कि जो चाहे फीगर आप बता दीजिए। कोई फीगर आप बता दें चाहे वह सत्य हो या असत्य हो। उसका कोई तालमेल हो या नहीं हो। आप 31 अगस्त घोषणा कर दीजिए। फिर 31 अक्टूबर को कहिए कि बार-बार याद मत दिलाइए हम तो सख्त कार्यवाही कर रहे हैं। जब हम आज 4 दिसम्बर को आपके सम्मुख हों तो आप कहें कि अक्टूबर की बात दिसम्बर में कहने का क्या औचित्य है ? यह तो औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है मान्यवर, मेरी जानकारी थोड़ी कम हो सकती है संसदीय कार्य मंत्री जी बड़े विद्वान हैं नियमावली के भी जानकार हैं और मान्यवर मंत्री हैं तो ज्ञान काफी होगा इसलिए औचित्य का प्रश्न बनता है या नहीं बनता हैं मैं नहीं जानता। लेकिन जितना मैं जानता हूं कि अगर यह औचित्य का प्रश्न नहीं है जिसमें सदन की गरिमा ही औचित्य के घेरे में खड़ी हो गयी हो जिसमें मा0 मंत्री जी का एक कमिटमेंट सरकार की ओर से और उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी की सहमति की मोहर उनकी ओर से स्वंय लगायी गयी हो। मान्यवर, जिस दिन यह बात स्थापित हो जाएगी कि मंत्री की घोषणा का कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई प्रभाव नहीं है तो इस सदन की गरिमा, इस सदन की अपनी पहचान और इस सदन की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। मान्यवर, यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है और मैं इस पर आपसे आग्रह करूंगा कि मंत्री जी के कमिटमेंट को पूरा करने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। यह सरकार मिल मालिकों से मिली हुई है और गन्ना किसानों को पूरी तरह से तबाह करने में लगी हुई है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, व्यवस्था यह है कि सदन की गरिमा का ध्यान रखना सबका दायित्व है। हर सदस्य की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस सदन की गरिमा का ध्यान रखे और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका सरकार और सरकार के मंत्रियों की होती है। अगर सरकार के मंत्री ही इस बात का ध्यान

नहीं कर सकते तो निश्चित रूप से सदन की गरिमा घटेगी। इस बारे में कई बार कहा गया। बार-बार कार्य-स्थगन में भी कई बार सवाल उठाये गये और प्रदेश सरकर के मंत्री कहते हैं कि फलां तारीख तक भुगतान कर दिया जाएगा। अगर उस तारीख तक भुगतान नहीं किया जाएगा तो ब्याज भी दिलाया जाएगा। लेकिन उनकी इस बात का पालन नहीं होता है। मान्यवर, आप हमारी परम्पराओं के संरक्षक हैं. नियमों के ज्ञाता हैं। सारी बातों पर विचार करें। अगर कोई साधारण सदस्य यह कहता तो आप भर्त्सना भी करते लेकिन जब प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने ही ऐसी बात कही हो तो ऐसा लगता है कि वह इस सदन के प्रति गम्भीर नहीं हैं। बार-बार कहा जा रहा है और यह आरोप लगाया जा रहा है कि यह सरकार मिल वालों से मिली हुई है और उनकी सुविधानुसार कार्य कर रही है। तो उन किसानों का क्या होगा जिनका एक साल से गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। दोबारा पेराई सत्र शुरू हो गया है, बेटी की शादी भी करनी है, बुवाई भी करनी है, नलकूप का पैसा भी निकालना है। वह यह सब कैसे करेगा। एक साल से वह भुगतान नहीं करा पाये। मान्यवर, आज प्रदेश में खाद की भी कमी है। मान्यवर, मेरा कहना है कि सदन में कही बात का अगर महत्व नहीं रहेगा तो लोकतंत्र पर प्रश्नचिन्ह लगकर रह जाएगा कि हम किसलिए जनप्रतिनिधि को चुनकर भेजते है। अखबारों में छपता है लेकिन उसका कोई महत्व नहीं रहता है। जिन मंत्री जी ने इस सदन में घोषणा की और उसके पालन के लिए कोई कदम नहीं उठाया तो मेरा आपसे आग्रह है कि उन्हें इस सदन में खड़ा करके उनसे पूछा जाये क्या उनके मन में इस सदन का महत्व यही है। वह क्यों ऐसी बातें कहते हैं, क्यों भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं ? मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करें जैसे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन जी ने किया था। आप आज माननीय मंत्री जी को खड़ा करें यहां पर और उनसे पूछा जाये कि उन्हें इस सदन का उपहास बनाने का अधिकार किसने दिया। यही आपसे मेरा आग्रह है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, श्री पासवान जी हमारे महाराजगंज के विधायक हैं। मान्यवर, इनके लिए सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था। अगर एक सम्मानित विधायक यह आग्रह कर रहा हो कि मेरे ऊपर गोली चली है तो आप स्वयं आग्रह करें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कि माननीय सदस्य को सुरक्षा उपलब्ध करायी जाये। माननीय मंत्री जी खुद भी जानते हैं, उन्होंने कहा था कि इस संदर्भ में जरूर देखेंगे लेकिन एक माह बीत गया है जिस पर गोली चल चुकी हो उसको अगर सुरक्षा उपलब्ध नहीं करायेंगे तो कहीं न कहीं जो सरकार दुबारा आश्वासन दिया गया है उस पर प्रश्नचिन्ह लगता है। क्या यही सदन की गरिमा है। अगर मंत्री जी अपना आश्वासन पूरा नहीं करते हैं तो यह सदन की अवमानना नहीं है ? मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्रश्न हुकुम सिंह जी ने उठाया है वह निश्चित रूप से गम्भीर है और उसका निराकरण आज ही हो जाना चाहिए, किसी भी स्वरूप में इसका निराकरण हो जाय, साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि पासवान जी को दिये गये आश्वासन के बाद तीन महीने तक उन्हें सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराना कहीं न कहीं सरकार की तरफ से इस सदन की अवमानना हो रही है।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, औचित्य का एक सवाल उठाया गया था उसको सुना गया, इस पर कोई चर्चा नहीं करा रहे हैं। मा0 सदस्य आप बैठ जायें। क्या सरकार ने किया, क्या नहीं किया इसका सदन से कोई मतलब नहीं है। आप नियम-56 जब आयेगा तो बोलियेगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। एक तो औचित्य का प्रश्न आया उस पर आप निर्णय करेंगे लेकिन सबको मिलाकर एक ऐसा विषय सामने आया जिसमें हम सबके अधिकार का, इस सदन की गरिमा का और जनता का इस सदन के प्रति विश्वास का प्रश्न जुड़ा हुआ है। मान्यवर, गन्ने की बात उठी, दस प्रतिशत सभी विधायकों को दिया जायेगा इसकी उठी, तीस तारीख को पिछली बार बताया गया कि पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड विकास निधि के लिए आदेश जारी कर दिया गया, मैं परसों पूछा हूं लेकिन अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है माननीय सदस्य की सुरक्षा के बारे में प्रमोद तिवारी ने उठाया, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जो सरकार की तरफ से जनहित या सुरक्षा के विषय में सुनिश्चित आदेश जारी हो रहे हैं, जो सुनिश्चित घोषणाएं हो रही हैं, आश्वासन दिये जा रहे हैं, वचन दिये जा रहे हैं उस पर सरकार का क्या दायित्व निर्धारित होना चाहिए इस पर आप व्यवस्था दें। सरकार तो आश्वासन देकर विषय को टाल दे रही है और हम लोगों के अधिकारों का और हम लोगों के माध्यम से जनता के विश्वास की रक्षा कौन करेगा इस पर हम समझते हैं कि आप व्यवस्था दें। कुछ तो निर्देश देंगे आप सरकार को व्यवस्था के माध्यम से। तो मैंने चार उदाहरण दिये है इसी सदन में दिये हैं। आज जब यह गन्ने की बात हुई थी तब से लेकर पचास प्रतिशत भुगतान हुआ है। 31 अगस्त के बाद भी आज 1260 करोड़ रुपया बकाया है। जिस दिन आश्वासन दिया गया था उस दिन पचीस सौ करोड़ बाकी था आज उसका आधा बाकी है। यानि आश्वासन के तीन महीने बीत जाने के बाद भी पचास प्रतिशत नहीं हुआ तो इन आश्वासनों का क्या मतलब हुआ। फिर आप कहेंगे कि सदन शांति से चलायें, सहयोग से चलना चाहिए। हम लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं होगी और आप भी रक्षा करने में असमर्थ होंगे तो हम क्या करेंगे ? कितने शांति से व्यवहार करेंगे मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो प्रश्न माननीय नरेश अग्रवाल जी ने औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाया मान्यवर, इसका जहां तक औचित्य का प्रश्न का सवाल है आप स्वयं अपनी उदारता के परिचायक है कि इस औचित्य के प्रश्न के रूप में इस बिन्दु को उठाने की आपने अनुमति दे दी।

* श्री ओम प्रकाश सिंह-

आप आश्वासन देते हैं उसके बाद कहते हैं कि नियम नहीं है तो किस नियम के अन्तर्गत यह आता है, आप ही बतायें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आप इतना आक्रोशित होंगे तो और माननीय सदस्यों पर इसका असर पड़ जायेगा। आप शान्तिपूर्वक बैठें। सरकार का पक्ष सुन लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अगर वरिष्ट सदस्य भी नियमों और परम्पराओं की अनदेखी करने का काम करेंगे तो यह उचित नहीं प्रतीत होता है। माननीय नेता भाजपा आप जैसा वरिष्ट सदस्य अगर बीच-बीच में खड़ा होकर इस तरह की बात करेगा तो हम लोग जवाब कैसे दे पायेंगे ?

मान्यवर, जो नोटिस है अगर इसका अन्तिम पैरा ही देख लें जो चर्चा से सम्बन्धित है। मान्यवर, चर्चा कराने का औचित्य का प्रश्न में वाद-विवाद का विषय नहीं उठाया जा सकता है और इसलिए मान्यवर, औचित्य का प्रश्न तो यह बनता नहीं। मान्यवर, जहां तक माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ने कहा कि बार-बार आश्वासन देने के बाद कार्यवाही न होना, मान्यवर, सरकार निर्णय लेती है, निर्देश जारी करती हैं, नियमों के अनुसार उसको हम पालन कराने का कार्य करते हैं। मान्यवर, प्रदेश सरकार पूरी तरह से गन्ना किसानों के ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण किसानों की पक्षधर है और उनकी हितैषी है।

(विपक्ष के कई सदस्यों ने झूट-झूठ कह कर इस बात का विरोध किया)

श्री लालजी वर्मा-

किसानों के हितों की अनेदखी नहीं होने देगी यह सरकार। मैं मान्यवर, इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

अगर ऐसा है तो तथ्यों समेत अपनी बात रखें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं तथ्य रख रहा हूं आप किस लिये विचलित हो रहे हैं। मैं तो बीच में नहीं खड़ा हुआ। मैंने तो बीच में खड़ा होने का काम नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब, आप पहले पूरी बात तो सुन लें, इस तरह से बीच में न खड़े हों।

श्री लालजी वर्मा-

आप कार्यवाही का उद्धरण दे करके और औचित्य का प्रश्न साबित करना चाहें तो यह कहां सार्थक होता है ? कार्यवाही का जो उद्धरण है उसमें जो बातें कही गई हैं वह नियमों के अनुसार कही गई हैं और नियमों के अनुसार उस पर कार्यवाही हो रही है।

श्री अम्बिका चौधरी-

क्या कार्यवाही हो रही है ? यह भी बता दें। यह सदन जानना चाहता है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह फिर बीच में खड़े हो गये, तो हम कैसे बतायेंगे ? अगर इस तरह से यह बीच-बीच में खड़े होंगे तो उचित नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब आप पहले इनकी पूरी बात तो सुन लें और इनकी जो बात ग्राह्य न हो उसके बारे में आप बाद में कुछ कह सकते हैं लेकिन पहले यह अपनी बात को पूरा स्पष्ट कर लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं कि बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बनी हुई यह बहुजन समाज पार्टी की सरकार किसानों की हितैषी है और किसानों के हितों के लिए प्रत्येक कार्यवाही करने के लिए कार्यवाही कर रही है। जहां तक मान्यवर, गन्ना किसानों के बकाये का सवाल है मान्यवर, प्रदेश सरकार द्वारा सतत् प्रयास के अनुसार जो 3-12-2007 की स्थिति है मैं उसको मान्यवर, स्पष्ट करना चाहता हूं। निजी क्षेत्र में कुल देय था 9091.94 करोड़ रुपया, उसके सापेक्ष भुगतान हुआ है 8057.78 करोड़ रुपया। सहकारी क्षेत्र में कुल देय था 1306.19 करोड़ रुपया भुगतान हुआ है 1176.15 यानी 90 प्रतिशत, निगम क्षेत्र में थ' कुल देय 612.71 करोड़ भुगतान हुआ है 538.09।

मान्यवर, 87.82 प्रतिशत, कुल जो भुगतान होना था वह था 11010.84 करोड़ रु0 और उसके सापेक्ष कुल भुगतान हुआ है 9772.02 करोड़ रु0, यह 88.75 प्रतिशत है। मान्यवर, कुल अवशेष बकाया है 1238.82 करोड़ रु0। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी चीनी मिलों को दिनांक 31-8-2007 तक शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये थे। निर्धारित तिथि तक शत-प्रतिशत भुगतान करने में रुचि न लेने वाली 18 चीनी मिलों के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये। दिनांक 31-8-2007 तक शत-प्रतिशत भुगतान न करने वाली 46 अन्य चीनी मिलों के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं। बकाया गन्ना मूल्य वसूली हेतु विधि अनुमन्य कार्यवाही की जा रही है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, यह विधि अनुमन्य क्या है और दूसरे जो 31-8-2007 के बाद भुगतान हुआ है वह मय ब्याज के भुगतान हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

आप विधि नहीं जानते हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, बहुत सी विधियां हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, निजी क्षेत्र की 07 चीनी मिलों गोला, पलिया, बरखेड़ा, थानाभवन, किनौनी तथा मीरगंज के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के कारण वसूली की उत्पीड़नात्मक कार्यवाही प्रतिबंधित है।

मान्यवर, वर्तमान में निगम/सहकारी क्षेत्र की मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु उक्त धनराशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, जिसे यथाशीघ्र मिलों को उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।

मान्यवर, जहां तक मूल्य निर्धारित करने का सवाल है सरकार द्वारा 122.50 रु0 प्रति कुन्टल अनुपयुक्त घोषित प्रजातियों के लिये, साधारण प्रजातियों के लिये 125 रु0 प्रति कुन्टल और अगेती प्रजाति के लिए 130 रु0 प्रति कुन्टल मूल्य घोषित किया गया था। यह सरकार द्वारा घोषित गन्ना मूल्य था। निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा इसको माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 15-11-2007 द्वारा चीनी मिलों को रु0 110/-प्रति कुन्टल की दर से भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये थे। माननीय उच्च न्यायालय के इस अंतरिम आदेश के विरुद्ध सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर किये जाने की कार्यवाही कर रही है।

मान्यवर, निश्चित तौर पर यह सरकार पूरी तरह से किसानों की हितैषी है और किसानों के हितों की किसी भी दशा में अनदेखी नहीं होने देगी। शत-प्रतिशत उनको विधि अनुमन्य भुगतान कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। कहीं भी किसी भी परम्परा का उल्लंघन नहीं किया गया है और न ही किसी घोषणा का उल्लंघन किया गया है। जो हमारे अधिकार क्षेत्र में कार्यवाही है उस कार्यवाही को प्रदेश सरकार पूरे दबाव के साथ करने का काम करेगी। जहां तक मान्यवर, इस औचित्य के प्रश्न का सवाल है मुझे आश्चर्य है कि माननीय ओम प्रकाश सिंह जी जैसे माननीय सदस्य भी खड़े होकर औचित्य के प्रश्न के नियमों की धज्जियां उड़ाने लगते हैं जो कानून के विशेषज्ञ हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, बिल्कुल असत्य बात हो रही है। यह तो आपके अधिकारों को चुनौती दी जा रही है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो फीगर दी जा रही है प्रस्तुत की गयी है वह पूरे दावे के साथ प्रस्तुत की गयी है। अगर बात असत्य है तो नियमों के अन्तर्गत आप विशेषाधिकार के हनन का प्रस्ताव भी ला सकते हैं।

(व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य भारतीय जनता पार्टी के श्री ओम प्रकाश सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ यह कहते हुए सदन का बहिगर्मन कर चले गये कि "गन्ना मूल्य के शत-प्रतिशत भुगतान का कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। भूतपूर्व सदस्यों को गनर दिये जाने की घोषणा का अनुपालन नहीं हो रहा है। वर्तमान सदस्यों की सुरक्षा व्यवस्था की कोई बात नहीं हो रही है। पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड विकास निधि के सम्बन्ध में की गयी घोषणाओं का अनुपालन नहीं हो रहा है।")

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत पूरी तरह से अग्राह्य करने योग्य है। किसानों के हितों के लिये पूरी तरह से कार्यवाही की जा रही है उनको शत-प्रतिशत भुगतान कराया जायेगा उसमें किसी तरह से कोई व्यवधान नहीं होगा।

(दो सदस्यों द्वारा सदन के वेल में आने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कहां जा रहे हैं ? दोनों लोग आप कहां जा रहे हैं ?

(सदन के वेल में श्री मदन चौहान, श्री अम्बिका चौधरी, श्री महमूद अली, डा0 पी0के0 राय तथा श्री विश्वनाथ आदि सदस्यों द्वारा आकर बोलने का प्रयास करने एवं नारे लगाने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अम्बिका चौधरी (सदन के वेल से)-

मान्यवर, मैंने जो फीगर रखा उसको संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है। यह एक साल का लेखा-जोखा रख रहे हैं आप 5 साल का रख दीजिए। मान्यवर, यह जवाब नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना और चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, डा0 अजय तोमर एवं श्री वारिस अली खां को सुना, यह नियम-300 में नहीं आता है उसको निरस्त करता हूं।

मैंने सूचना को अग्राह्य कर दिया है, अब बैठिये। (व्यवधान)

यह सूचना अग्राह्य हो गयी। माननीय नरेश अग्रवाल को सुना और माननीय सदस्यों को सुना गया वह अग्राह्य की गयी। चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, डा0 तोमर और वारिस अली का गन्ना भुगतान से सम्बन्धित नहीं है इसलिए इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी (वेल से)-

माननीय अध्यक्ष जी, सदन को गुमराह करने वाले मंत्री को दण्डित करें। मान्यवर, गन्ना किसानों का भुगतान कराया जाय। प्रदेश के मिल मालिकों से मिलकर गन्ना किसानों का अहित करने वाले मंत्री को दण्डित करें। मान्यवर, यह सदन की घोषणा है, खबर नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट स्थिति बात दिया है।

एक माननीय सदस्य की सुरक्षा का सवाल है, माननीय मंत्री जी उसको दिखवा लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपका आदेश शिरोधार्य है।

श्री अम्बिका चौधरी (वेल से)-

माननीय अध्यक्ष जी, पुवायां के बारे में मिथलेश जी ने जो बात कही है, माननीय मंत्री जी की सदन में घोषणा है उसका अनुपालन नहीं होगा तो हम कहां जायेंगे ? 31 अक्टूबर के बाद एक भी रुपये का भुगतान नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि जो मैं फीगर दे रहा हूं एक भी गलत हो तो विशेषाधिकार ले आयें।

आप जल्दबाजी मत कीजिए। मैं सुन रहा हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यहां से क्यों कह रहे हैं, सीट पर जाकर कहें ?

श्री अध्यक्ष-

आप यही बात वहां से कहें, सबकी पीठ पर क्यों हाथ लगा रहे हैं चौधरी साहब ? आप वहीं पर चल करके यह बात कह दीजिए।

श्री अम्बिका चौधरी (वेल से)-

मान्यवर, अगर आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा ?

श्री अध्यक्ष-

यह तरीका यहां से सुनने का क्या है ? आप वहीं से जाकर कह दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, सब खामोश हो गये।

माननीय अध्यक्ष जी, स्थिति की गम्भीरता से आप अच्छी तरह से वाकिफ हो गये। सारे दिन की कार्यवाही से आपको यह अन्दाजा हुआ होगा कि किसान किस हद तक परेशान है। गन्ना किसानों के भुगतान के बारे में, चीनी मिल चलाये जाने के बारे में यहां स्पष्ट घोषणा की गयी। ऐसे में एक ही प्रश्न आपके सामने है। आपका संरक्षण हमें मिलता है इसमें कोई इंकार नहीं है।

आप हम सबसे ऊपर उच्च स्थान पर बैठे हैं, यह भी सच है, आपसे ही आखिरी उम्मीद बाकी है, यह भी सच है। मान्यवर, ऐसी स्थिति में, जब सरकार ने स्पष्ट घोषणा की हो कि फलां तारीख तक भुगतान हो जायेगा, फलां मिल फलां तारीख तक चल जायेगी, उक्त व्यक्ति को सुरक्षा दे दी जायेगी। अगर उसका पालन न हो तो यह सदन कहां जाये या यह विपक्ष कहां जाये ? उत्तर प्रदेश की जनता किससे उम्मीद रखे, यह एक सवाल बड़ा गम्भीर है मान्यवर। आपको यर्काकन अच्छा नहीं लग रहा होगा कि सदस्य वेल में आ गये, किसानों के मामले को लेकर बर्हिगमन हो गया लेकिन यह भी जानना चाहेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे कि आखिर क्या करें, क्या तरीका हो, चलती ऐसी शुगर मिल, जिस पर सरकार का पैसा लग रहा हो उसे बीच में बन्द कर दिया जाय, पैसा वापस ले लिया जाय जो पैसा सरकार का लग गया हो, वह भी व्यर्थ में जाये ऐसी स्थिति में विपक्ष क्या करे और सत्ता पक्ष के वह सदस्य जो कुछ नहीं बोल सकते, प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आखिर वह भी क्या करें ? ऐसे में मान्यवर, बस एक ही प्रश्न है कि सदन में जो स्पष्ट घोषणायें की गयी, तारीख तय कर दी गयी, उस पर अगर अमल नहीं होता और सरकार अपने वायदों पर पूरी नहीं उतरती तो हम आपसे क्या अपेक्षा करें, क्या उम्मीद रखें ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय आजम खां साहब, अपने माननीय सदस्यों को बैठा लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा बस एक छोटा सा प्रश्न है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, नियम-300 का प्रश्न है, इसकी एक सीमा है और कौन से प्रश्न 300 में उठाये जायेंगे, यह भी तय है। मान्यवर, अगर आपकी इस उदारता के बाद भी सदन में ऐसा हो तो इस उदारता का मतलब क्या हुआ। आपने उदारता भी इसलिये दिखाया कि सदन चले। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि आपकी उदारता का सम्मान करें। जो विषय 300 में नहीं उठ सकता, उसको भी सुनने का आपने अवसर दिया तो आपके प्रति सम्मान करते हुये इन लोगों को वेल से अलग हटकर अपनी सीटों पर जाना चाहिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न आपसे है।

श्री अध्यक्ष-

आज आप सदन चलाये हैं, तभी तो आपकी बात आई है। यह किसानों से जुड़ा मसला था, इसीलिये मैंने इसे नियम-300 में सुन लिया। अग्राह्य भी कर दिया। लेकिन मैं इसको दिखवा लेता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, मात्र तीन दिन का सदन है, एक दिन आज हो गया, एक दिन कल और फिर 6 दिसम्बर, इस तीन दिन के सदन में हम आपसे क्या उम्मीद करें ?

श्री अध्यक्ष-

सहयोग करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

तो हम भी आपसे सहयोग चाहते हैं। हम आपसे यह सहयोग चाहते हैं कि आप हमें इतना जवाब दें और बड़ी कृपा करें। आखिर विपक्ष कहां जाये ? जो घोषणायें इस सदन में सरकार ने कीं, तारीखवार की उनके लिये सदन कहां जाये, आपसे उम्मीद न करें तो किससे करे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, आप लोग बैठ लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपसे जवाब की अपेक्षा करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैं निवेदन करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, नियमों में हर चीज की व्यवस्था है और उस अनुसार जनहित के विषय उठाये जाने के नियम बने हैं। उस नियमों के अनुसार आपको अधिकार है और आप अवसर देते हैं।

(बीच में नेता विपक्ष के कुछ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय आजम खां साहब, मैं भी पूरे भरोसे के साथ बैठता हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। जो भी सरकार की जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन करे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, सदन की कार्यवाही आपसे प्रमाणित होती है। आपने सदन की कार्यवाही सुन ली। सदन की कार्यवाही जो पूर्व में कहा गया, आपने वह सुन लिया। वह आपसे प्रमाणित है। आप चाहें तो आप कार्यवाही मंगाकर देख लें।

सरकार ने जो आश्वासन दिया उस पर मा0 अध्यक्ष महोदय से हम यह जानना चाहते हैं कि हम अब उम्मीद किससे करें और आपके क्या अधिकार हैं और आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल कब करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

इतना निराश होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बराबर निवेदन कर रहा हूं कि सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों अपनी-अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। सदन के अन्दर यदि कोई बात होती है तो उसका अनुपालन करने के लिए सरकार सजग रहे। जिस मा0 सदस्य की सुरक्षा का सवाल है उस पर मैंने निवेदन किया है कि इसको जरूर दिखवा लें।

(सदन के फ्लोर पर आये सदस्यगण वापस अपने-अपने स्थानों पर चले गये।)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, निवेदन नहीं, आपका आदेश होता है।

श्री अध्यक्ष-

चलिये ठीक है। जहां तक सवाल है सरकार की घोषणाओं का, तो परम्परा के अन्तर्गत यदि सदन में कोई बात कही जाती है तो उसका अनुपालन हो, मैं इसका पक्षधर हूं। अब आप सभी माननीय सदस्यगण अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लें, इसे मैं नियम-300 के अन्तर्गत अग्राह्य कर चुका हूं।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

तीसरी सूचना श्री0 सत्येन्द्र मोलंकी, डा0 अजय तोमर और मो0 वारिस अली खां की है, जो कि मा0 नरेश चन्द्र अग्रवाल जी से मिलती-जुलती है, इसलिए मैं इसे भी अग्राह्य कर चुका हूं।

चौथी सूचना श्री उदयराज यादव जी की प्रदेश के घोषित अम्बेडकर ग्रामों के लिए अतिरिक्त धन न दिये जाने एवं सम्बन्धित ग्रामों में कार्यरत कर्मचारियों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में है, इसे मैं अग्राह्य कर चुका हूं।

पांचवी सूचना डा0 आर0ए0 उस्मानी जी की प्रदेश में वर्कचार्ज एवं दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में है, इस सूचना को भी मैं अग्राह्य कर चुका हूं।

(मा0 सदस्य आर0ए0 उस्मानी एवं समाजवादी पार्टी के अन्य मा0 सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहते रहे।)

(व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा नियमावली, 2005 †

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा नियमावली, 2005 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 05 नवम्बर, 2007 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 08 नवम्बर, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 05 नवम्बर, 2007 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 08 नवम्बर, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2007, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 05 नवम्बर, 2007 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 08 नवम्बर, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2007, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 05 नवम्बर, 2007 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 08 नवम्बर, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

नोट :- † छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 05 नवम्बर, 2007 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 08 नवम्बर, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 05 नवम्बर, 2007 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 08 नवम्बर, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 06 नवम्बर, 2007 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 नवम्बर, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 06 नवम्बर, 2007 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 नवम्बर, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हू कि-

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2007, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 06 नवम्बर, 2007 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 नवम्बर, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2007, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 06 नवम्बर, 2007 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 नवम्बर, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास (निरसन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश ज्येष्ट अधिकारी आवास (निरसन) विधेयक, 2007, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 06 नवम्बर, 2007 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 नवम्बर, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 06 नवम्बर, 2007 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 नवम्बर, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 फरवरी, 2007 के उपवेशन में पारित

किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 27 फरवरी, 2007 की बैठक में पारित किया था और जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत श्री राज्यपाल से इस सचिवालय को पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 06 नवम्बर, 2007 के उपवेशन में पुनः अग्रतर संशोधनों सहित पारित किया था तथा जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 07 नवम्बर, 2007 की बैठक में पुनः पारित किया था, पारित होने के उपरान्त दिनांक 14 नवम्बर, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2007 के उपवेशन में पारित किया था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 की बैठक में संशोधनों सहित पारित किया था और उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 06 नवम्बर, 2007 के उपवेशन में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से असहमत होते हुए उसे पुनः अग्रतर संशोधनों सहित पारित किया था तथा जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 07 नवम्बर, 2007 की बैठक में उसी रूप में, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 06 नवम्बर, 2007 को पुनः पारित किया गया था, पारित होने के उपरान्त दिनांक 14 नवम्बर, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-150(1) के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 05 नवम्बर, 2007 को पारित किया गया था और जिसे पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 06 नवम्बर, 2007 की बैठक में अस्वीकार हो गया, दिनांक 08 नवम्बर, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-150(1) के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 05 नवम्बर, 2007 को पारित किया गया था और जिसे पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 06 नवम्बर, 2007 की बैठक में अस्वीकार हो गया, दिनांक 08 नवम्बर, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-150(1) के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 06 नवम्बर, 2007 को पारित किया गया था और जिसे पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 07 नवम्बर, 2007 की बैठक में अस्वीकार हो गया, दिनांक 13 नवम्बर, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2007-2008 का अनुपूरक) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह घोषित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश विनियोग (2007-2008 का अनुपूरक) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 के उपवेशन में पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने बिना किसी सिफारिश के दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 03 नवम्बर, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का पच्चीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह घोषित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 05 नवम्बर, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 06 नवम्बर, 2007 की बैठक में पारित किया था, , राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 नवम्बर, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का छब्बीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह घोषित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 06 नवम्बर, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 07 नवम्बर, 2007 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 नवम्बर, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का सत्ताईसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह घोषित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 06 नवम्बर, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 07 नवम्बर, 2007 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 नवम्बर, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का अट्ठाईसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह घोषित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 05 नवम्बर, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 06 नवम्बर, 2007 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 नवम्बर, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का उन्तीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह घोषित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 06 नवम्बर, 2007 के उपदेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 07 नवम्बर, 2007 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 नवम्बर, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का तीसवां अधिनियम बन गया।

छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह घोषित करता हूं कि-.

छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 05 नवम्बर, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 06 नवम्बर, 2007 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 नवम्बर, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का इक्तीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह घोषित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 06 नवम्बर, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 07 नवम्बर, 2007 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 नवम्बर, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का बत्तीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह घोषित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 06 नवम्बर, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 07 नवम्बर, 2007 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 नवम्बर, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का तैंतीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह घोषित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 05 नवम्बर, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 06 नवम्बर, 2007 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 नवम्बर, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का चौंतीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह घोषित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश कृषि तथा प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 05 नवम्बर, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 06 नवम्बर, 2007 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 नवम्बर, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का पैंतीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास (निरसन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह घोषित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास (निरसन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 06 नवम्बर, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 07 नवम्बर, 2007 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 नवम्बर, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का छत्तीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह घोषित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 फरवरी, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 27 फरवरी, 2007 की बैठक में पारित किया था और जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत श्री राज्यपाल से इस सचिवालय को पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 06 नवम्बर, 2007 के उपवेशन में पुनः अग्रतर संशोधनों सहित पारित किया था तथा जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 07 नवम्बर, 2007 की बैठक में पुनः पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 नवम्बर, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का सैंतीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह घोषित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 05 नवम्बर, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 06 नवम्बर, 2007 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 नवम्बर, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का अड़तीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह घोषित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 06 नवम्बर, 2007 के उपवेशन

में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 07 नवम्बर, 2007 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 नवम्बर, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का उन्तालीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह घोषित करता हूं कि-उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 जुलाई, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 की बैठक में संशोधनों सहित पारित किया था और उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 06 नवम्बर, 2007 के उपवेशन में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से असहमत होते हुए उसे पुनः अग्रतर संशोधनों सहित पारित किया था तथा जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 07 नवम्बर, 2007 की बैठक में उसी रूप में जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 06 नवम्बर, 2007 को पुनः पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 नवम्बर, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का चालीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह घोषित करता हूं कि-उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 जुलाई, 2007 के उपवेशन में पारित किया था और जिसे पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 24 जुलाई, 2007 की बैठक में अस्वीकृत हो जाने पर उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 05 नवम्बर, 2007 को उसी रूप में, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 2007 को मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 07 नवम्बर, 2007 की बैठक में, उसी रूप में, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 05 नवम्बर, 2007 को पुनः पारित किया गया था, पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 नवम्बर, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का इक्तालीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 जुलाई, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 की बैठक में संशोधनों सहित पारित किया था और उत्तर प्रदेश विधान सभा ने

दिनांक 06 नवम्बर, 2007 के उपवेशन में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से असहमत होते हुए उसे पुनः अग्रतर संशोधनों सहित पारित किया था तथा जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 07 नवम्बर, 2007 की बैठक में, उसी रूप में, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 06 नवम्बर, 2007 को पुनः पारित किया गया था, पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 नवम्बर, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का बयालीसवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-7 और 8 में कुछ नहीं है।

विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 से 06 दिसम्बर, 2007 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :--

(1) दिनांक 5 व 6 दिसम्बर, 2007 को भी सदन के उपवेशन हों।

(2) दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 से 06 दिसम्बर, 2007 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :--

दिसम्बर, 2007

04 मंगलवार 1-उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए निम्नलिखित विधेयकों का पुनः पारण--

(क) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्विती य संशोधन) विधेयक, 2007, जो इस सदन द्वारा दिनांक 5 नवम्बर, 2007 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ भेजा गया था और जिसके पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 06 नवम्बर, 2007 की बैठक में अस्वीकार कर दिया गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2007, जो इस सदन द्वारा दिनांक 5 नवम्बर, 2007 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ भेजा गया था और जिसके पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 06 नवम्बर, 2007 की बैठक में अस्वीकार कर दिया गया है।

(ग) उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2007, जो इस सदन द्वारा दिनांक 6 नवम्बर, 2007 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ भेजा गया था और जिसके पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 07 नवम्बर, 2007 की बैठक में अस्वीकार कर दिया गया है।

2-उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :--

(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007 (आधा घण्टा)

(ख) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2007 (आधा घण्टा)

05 बुधवार

1- श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री विनोद चतुर्वेदी तथा श्री विवेक कुमार सिंह, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 5 नवम्बर, 2007 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :--

"यह सदन केन्द्र सरकार से यह सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के बुन्देलखण्ड क्षेत्र (जनपद-झांसी, ललितपुर, बांदा, जालौन, हमीरपुर, महोबा एवं चित्रकूट) को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करके एक पृथक राज्य का गठन किया जाय।"

2-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 6 नवम्बर, 2007 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :--

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक सामान्य नीति बनायी जाय तथा उसे बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के सभी नागरिकों पर समान रूप से कड़ाई से लागू किया जाय।"

06 गुरुवार

उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन आदित्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की अग्रतर चर्चा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति विषयक जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

इसमें कुछ नहीं है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2007†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 को नियम 311 में प्राप्त 6 सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयी हैं। प्रथम 2 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना (1) श्री श्यामदेव राय चौधरी की नियम (नियम 311 में प्राप्त) प्रदेश के न्यायालय परिसर फैजाबाद, वाराणसी एवं लखनऊ में हुए बम धमाकों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। (2) श्री हुकुम सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री लल्लू सिंह, श्री यशपाल सिंह चौहान, श्रीमती कृष्णा राज की (नियम 311

---

† दिनांक 19-12-07 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

में प्राप्त), (3) श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की (नियम 311 में प्राप्त), (4) श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री गौरी शंकर एडवोकेट तथा श्री अम्बिका चौधरी की (नियम 311 में प्राप्त), (5) श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री अशोक सिंह, श्री माधव पासवान, श्री संजीव दरियाबादी, श्री शिव गणेश लोधी, श्री पंकज मलिक, श्री संजय कपूर, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, श्री अजय पाल सिंह, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्रीमती अमीता सिंह और श्री गौरी शंकर एडवोकेट की सूचना प्राप्त हुई है। इसके बाद दूसरी सूचना श्री अब्दुल वारिस खां, डा0 अजय तोमर, श्री कौकब हमीद की प्रदेश में चीनी मिलों का पेराई सत्र शुरू न होने एवं गन्ना किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना डा0 धर्मपाल सिंह की जनपद आगरा में यमुना नदी के प्रदूषित जल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना डा0 आर0 ए0 उस्मानी की माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में खोले जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुईं अतः अस्वीकृत हुईं :-श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्रीमती अमीता सिंह, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री अजय पाल सिंह, श्री संजीव दरियाबादी, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, श्री शिव गणेश लोधी, श्री अशोक सिंह, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री संजय कपूर, श्री पंकज मलिक, श्री माधव पासवान की (नियम 311 में प्राप्त)। इसके बाद श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री अम्बिका चौधरी, श्री सुन्दर सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री आरिफ अनवर हाशमी, श्री सुन्दर लाल लोधी, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री मदन चौहान, श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद और (नियम 311 में प्राप्त) डा0 आर0 ए0 उस्मानी।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अग्राह्य हुई हैं यह किसानों से सम्बन्धित थीं जिसमें खाद की समस्या के बारे में भी थी। सब सूचनाएं कल ली जायेंगी। प्रथम नम्बर पर चयनित की जायेंगी। आज बम ब्लास्ट पर प्रथम लिया गया है। कल किसानों के मसले पर लिया जायेगा।

* श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक बहुत ही गम्भीर और हृदय विदारक घटना का उल्लेख करना चाहता हूं, इससे पहले कि 23 नवम्बर की घटना का मैं उल्लेख करूं, मैं वाराणसी के विषय में कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। मान्यवर, इसी सदन में मेरे एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने स्वीकार किया है कि प्रदेश के लगभग आधे जिले यानी 34 जिले सम्वेदनशील हैं और उन 34 जिलों में अतिसम्वेदनशील वाराणसी भी है जहां आतंकवादी संगठन सक्रिय है और उनका नेटवर्क चल रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि वाराणसी में सबसे पहले सन् 1999 में एक रिक्शे पर विस्फोट हुआ और उसके बाद 23 फरवरी, 2005 को दशाश्वमेध घाट पर एक चाय की दुकान में ब्लास्ट हुआ जिसमें सात लोगों की मृत्यु हो गई, चीथड़े उड़ गये बहुत दूर तक जा कर के गिरे और दर्जनों लोग घायल हो गये। मुझे अफसोस है कि उस समय की सरकार ने जब मैं यहां खड़ा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो करके उस घटना का उल्लेख कर रहा था तो बताया गया कि यह सिलेण्डर विस्फोट की घटना है और आतंकवादी घटना नहीं है जबकि उसकी कोई जांच नहीं हुई थी। लेकिन कालान्तर में प्रशासन द्वारा यह स्वीकार किया गया कि वह घटना भी आर0डी0एक्स0 के द्वारा घटित हुई थी। उसके बाद मान्यवर, 07 मार्च, 06 को संकट मोचन मन्दिर में और कैण्ट स्टेशन में एक बहुत ही गम्भीर इसी तरह का ब्लास्ट हुआ और उसमें 18 लोगों की मृत्यु हो गई और कई दर्जन गम्भीर रूप से घायल हो गये। इसके बाद मान्यवर, श्रमजीवी एक्सप्रेस में भी विस्फोट हुआ, जिसमें भी कई लोग मारे गये और दर्जनों लोग घायल हो गये और इस घटना के सिलसिले में 23 नवम्बर के दिन वह काला शुक्रवार जिस दिन आतंकवादियों ने एक नियोजित तरीके से न्यायालय परिसर को चुना और मेरे ख्याल से उस न्यायालय परिसर को चुनने के पीछे के भी कारण हैं। न्यायालय परिसर के अन्दर वाराणसी में भी हुआ, न्यायालय परिसर के अन्दर फैजाबाद में हुआ, न्यायालय परिसर के अन्दर लखनऊ में भी हुआ। घटनाओं में एक साम्य है, साम्य यह है कि हर जगह दो ब्लास्ट हुए। और जो ब्लास्ट का मैटेरियल था वह एक पैकेट में बांधकर साइकिल में लटकाकर यह ब्लास्ट हुआ।

(इस समय 1 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 राधामोहन दास अग्रवाल पीठासीन हुए।)

वाराणसी में 23 तारीख को जो ब्लास्ट हुआ उसमें अब तक तीन वकील सहित 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लगभग 53 लोग गम्भीर रूप से घायल हैं और साधारण घायल हैं। अभी भी अस्पताल में तीन लोग एक वकील सहित जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी घटना से यह साबित होता है कि इस बार आतंकवादियों ने न्यायालय परिसर को चुना। वाराणसी में आतंकवादियों की पैरवी करने के लिये वकीलों ने मना किया, फिर फैजाबाद में इसका विरोध हुआ और लखनऊ में भी वकीलों ने मना किया और उन्हें मारा गया। इस कारण से मुझे लगता है कि आतंकवादियों ने जो वकील समुदाय है उन्हें सबक देने की गरज से तीन जगह पर पन्द्रह मिनट के अंतराल पर विस्फोट किया। मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और सरकार स्वयं मान रही है कि प्रदेश के चौंतीस जिले आतंकवादी गतिविधियों से लिप्त हैं वहां पर कभी भी घटना हो सकती है। लेकिन बड़े खेद का विषय है कि हमारे प्रदेश का जो स्थानीय अभिसूचना तंत्र है उसका कोई अस्तित्व नहीं हैं उसकी क्या उपयोगिता है ? उसको घटना से पहले कुछ भी पता नहीं चलता है। केन्द्रीय राज्य मंत्री का बयान आता है कि हमने प्रदेश को तीन चार दिन पहले सूचना दे दी थी कि यह घटना हो सकती है। अगर यह बात सच है तो प्रदेश सरकार ने कोई प्रिवेन्टिव मेजर्स क्यों नहीं अपनाया। उसकी अभिसूचना इकाई एल0 आई0 यू0 क्या करती रही। मगर प्रदेश सरकार कह रही है कि ऐसी कोई सूचना नहीं दी गयीं मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे साथ यह प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है कि आतंकवादी जो घटनाएं हो रही हैं उससे मुकाबला करने के लिये, उनका नेटवर्क ध्वस्त करने के लिये, उनके मनोबल को तोड़ने के लिये, तहस नहस करने के लिये राज्य सरकार क्या कार्य कर रही है ? माननीय मुख्य मंत्री का बयान पढ़ा कि इसके लिये केन्द्र सरकार पूरी तरह से दोषी है क्योंकि जो सीमाएं हैं उसकी सुरक्षा करने में वह पूरी तरह से विफल है। हो सकता है कि ऐसा हो, प्रदेश की सीमाएं केन्द्र सरकार सील करेगी लेकिन राज्य सरकार की भी तो जिम्मेदारी होती है कि वह अपने प्रदेश की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। इसलिये मैं यह मानता हूं कि प्रदेश सरकार को

ऐसा कोई तंत्र विकसित करना चाहिए जो इन आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है उससे मुकाबला वह करे अन्यथा जैसा मैंने बताया कि वाराणसी में लगातार सिलसिलेवार हुआ, 1999 में हुआ, 23 फरवरी को हुआ फिर 7 मार्च को हुआ, श्रमजीवी एक्सप्रेस की घटना हुई मान्यवर, यह थमे, इसके लिये आपको कुछ उपाय करने होंगे। मान्यवर, इसकी जो गम्भीरता है, मैं उस पर बल देता हूं और मैं यह मांग करता हूं कि प्रदेश सरकार अविलम्ब इस पर पूरी तरह से गम्भीर होकर कार्यवाही करे और प्रदेश के लोगों की जान माल की हिफाजत के लिये कुछ गम्भीर कार्यवाही करे। मान्यवर, जो प्रदेश के विकास की बात है वह बिना सुरक्षा और संरक्षा के किसी भी देश और प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। अगर हम इसी में उलझे रहेंगे तो यहां उद्योग धंधे कैसे लगेंगे कैसे तरक्की होगी ? यह घटना बहुत ही गम्भीर है। मान्यवर, यह सवाल लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, प्रदेश सरकार के दायित्व से जुड़ा हुआ है इस पर मैं बल देता हूं। मान्यवर, यह प्रश्न अत्यन्त अविलम्बनीय है और लोक महत्व का है इस पर तो बिल्कुल नियम 311 के अन्तर्गत चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन मान्यवर, माननीय अध्यक्ष ने इसकी उस समय अनुमति नहीं दी थी। मैं इस पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, सभी दलों के लोगों को बारी-बारी से बुला लेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, विषय बहुत ही गम्भीर है और देश तथा उत्तर प्रदेश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। मान्यवर, केन्द्र सरकार की तरफ से यह बयान आया है कि जानकारी दी गयी थी। अगर केन्द्र सरकार को इस बात की सुनिश्चित जानकारी थी तो केन्द्र सरकार के पास भी अपनी मशीनरी है आई0 बी0 से लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित तंत्र है उनके माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराते। निश्चित तौर पर यह उदासीनता उनकी तरफ से भी हुई है। उनको जानकारी थी और केवल जानकारी दे देना ही पर्याप्त नहीं था। उनको इस सम्बन्ध में प्रभावी कदम उठाने चाहिए थे।

मान्यवर, यहां पर तमाम तरह की घोषणायें की जा रही हैं कि अतिरिक्त बल के गठन का कानून बनाया जा रहा है, संगठित गिरोहों के सम्बन्ध में एक अलग से कानून बनाया जा रहा है। वह आपके अतिरिक्त बल और अतिरिक्त कानून क्या काम कर रहे हैं। केन्द्र सरकार ने आपको सुनिश्चित जानकारी दी और उसके बाद में भी यहां पर इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो यह तो प्रदेश सरकार की नाकामयाबी कही जायेगी। सरकार की विफलता आज चरम सीमा पर है मान्यवर, आप देखें चाहे केन्द्र सरकार की हो या प्रदेश की सरकार हो दोनों दल एक दूसरे के समर्थक हैं। दोनों सरकारें एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम भी नहीं करती हैं। जब आपके पास उनकी तरफ से स्पष्ट जानकारी आ गयी थी तो वह जानकारी अब गोपनीय प्रकृति की नहीं हो सकती है। हां, आगे कोई नीतिगत बात जो है वह गोपनीय हो सकती है। लेकिन जो सूचना आ गयी थी और घटना घट गयी तो यह सदन को जानकारी सरकार की ओर से दी जाय कि वह सूचना वहां से आयी थी या नहीं आयी थी और अगर वह सूचना आयी थी तो वह क्या थी। एक स्पष्ट बात सदन में आ जाये केवल एक दूसरे पर जिम्मेदारी को डालकर समस्या को पर्दे से ढकने से तो काम नहीं चलेगा।

मान्यवर, हम सब जानते हैं कि कुछ समय पूर्व दो आतंकवादी पकड़े गये थे वह न्यायालय में पेश होने के लिये जा रहे थे, स्वाभाविक है कि वहां वकील बंधु आक्रोशित हुए थे क्योंकि उनसे प्रदेश और देश की जनता को खतरा बना हुआ था। उस आक्रोश में कुछ कार्यवाही हुई है। मान्यवर, जो घटनाएं हुई हैं उससे निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि आतंकवादी कैसे हमला कर रहे हैं। वह अपनी सोच के हिसाब से घटना के स्थान पर जायेंगे, अपनी सोच के हिसाब से उसका समय तय करेंगे और अपनी सोच के हिसाब से अपनी गतिविधियां तय करेंगे। आज आप देखें कि किस तरह से देश की सीमाओं पर आतंकवादी प्रभावी रूप से अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि उत्तर प्रदेश के जिन जगहों पर यह घटनायें हुई हैं वह सीमाओं पर स्थित नहीं है। लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद उस हिसाब से तो सुरक्षित जगहें होनी चाहिए थीं लेकिन वह इन जगहों पर विस्फोट करते हैं। आज आतंकवादी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर किस सीमा तक जा सकते हैं यह उसके उदाहरण हैं। क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां उन आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिये सक्षम नहीं हैं इसकी समीक्षा होनी चाहिए। फलां के कार्यकाल में यह हुआ था वह इस बात का समाधान नहीं होगा। इस घटना से हम सबके लिये बहुत चिन्ता की बात पैदा हो गयी है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह परम्परा रही है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की कुर्सी कभी खाली नहीं रहती है। कोई मंत्री आ जाया करता है उनकी अनुपस्थिति में। ठीक है, नकुल दुबे जी अब बैठ गये हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आज चिन्ता की बात है कि आज समस्त प्रदेश की सुरक्षा का मामला हो, आतंकवाद जैसे विषय पर चर्चा हो, समस्त विपक्ष ने 311 और 56 में सूचना दी हो और प्रदेश की माननीय मुख्य मंत्री इस सदन में उपस्थित न हों, कितनी उदासीनता है और किस तरह से सदन को गम्भीरता से लिया जा रहा है इस बात को सोचें आप। नेता सदन को अगर आज इस सदन में नहीं होना चाहिए तो कब होना चाहिए। अगर इस प्रश्न को गम्भीरता से नहीं लिया जायेगा तो किस प्रश्न को लिया जायेगा और दूसरी बात मैं आगे बढ़ने से पहले इसमें जरूर टिप्पणी करना चाहूंगा समस्याओं से यह प्रदेश घिरा हुआ है उन समस्याओं का मैं उल्लेख नहीं करना चाहता हूं जिनकी चर्चा आज हुई है और कल फिर होने वाली है। लेकिन जहां पर आतंकवाद का सिर इतना ऊपर उठ गया है कि हमारे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया हो वहां पर कम से कम इस प्रदेश को पूर्णकालिक मुख्य मंत्री की आवश्यकता है। इस प्रदेश को कितना समय मिल पा रहा है क्योंकि जिस प्रकार से प्रशासनतंत्र को जकड़ लिया गया है और तो किसी की हिम्मत नहीं यह वास्तविकता है किसी माननीय मुख्य मंत्री की मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन जो वस्तुस्थिति है उसको मैं रखना चाहता हूं, मुख्य मंत्री के अलावा किसी मंत्री, किसी संगठन की या किसी संस्था की कोई हैसियत है नहीं जवाब है मुख्य मंत्री को समय नहीं, क्योंकि उन्हें देश की राजनीति करनी है। 18 करोड़ का प्रदेश आज किसकी देखरेख में है। मैं चिन्ता व्यक्त कर रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कि और काम बाद में होने चाहिए, चुनाव प्रचार भी बाद का होना चाहिए, दूसरे राज्यों के दौरे भी बाद में होने चाहिए, सर्वोच्च प्राथमिकता इस प्रदेश

की सुरक्षा की होनी चाहिए, जो नहीं है। जो हमारे प्रदेश की स्थिति है आज उनकी अनुपस्थिति दर्शाती है कि वह बिल्कुल भी इस बात के लिये चिन्तित नहीं हैं।

मान्यवर, जैसा मैं अपने विषय पर कह रहा था कि केवल बदले की भावना से हमको सबक सिखाने के लिये हमको बताने के लिए कि हम इतने सक्षम हैं कि भले ही आपका लाखों का पुलिस बल हो हम जहां चाहेंगे घटना कर देंगे और मान्यवर, हम लोग आज उसको बता दें एक सुरक्षा बल गठित होने जा रहा है सुरक्षा बल आपके पास पहले से है कभी आपने सोचा कि उन सुरक्षा बलों की स्थिति क्या है केवल अधिकारियों को निलम्बित करके और उनको बहाल करके सुरक्षा बल नहीं मजबूत हो जायेगा। आवश्यकता इस बात की है कि आप समीक्षा करें कि थानों की स्थिति क्या है ? 3 प्रमुख स्थान है वाराणसी, लखनऊ और फैजाबाद लेकिन यह छोटे स्थान हैं जब चाहें 4 आतंकवादी आ करके घटना कर सकते हैं। मान्यवर, थानों की स्थिति क्या है अगर किसी पुलिस अधीक्षक से बात करें किसी जिले से तो मान्यवर, थानों में 6-7 सिपाही बच पाते हैं, कोई है नहीं, भर्ती कभी निरस्त हो रही है, कभी की जा रही है इसी में सारा प्रदेश लगा हुआ है। मैं आग्रह कर देना चाहता हूं सत्ता पक्ष से, विशेष रूप से मंत्रिपरिषद् से कि आज आतंकवादियों ने हमको सबसे बड़ी चेतावनी [illegible] त की दी है कि उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश इस देश का है वहां वह कोई भी कार्यवाह[illegible] में सक्षम है और हम रोकने में अक्षम हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि आपकी कार्ययोजना इन घटनाओं के बाद में क्या है। कम से कम सदन को तो विश्वास में लें हमें बतायें तो सही कि यह है। केवल अखबार में बयान आ गया कैबिनेट सेक्रेट्री का कि सुरक्षा बल गठित किया जायेगा। कब तक गठित किया जायेगा, जब तक वह गठित किया जायेगा इसका प्रशिक्षण होगा, ट्रेनिंग होगी 3 साल के बाद में, 3 साल के अन्दर वह न जाने क्या कार्यवाही कर देंगे। आपके पास पुलिस बल की कमी है तो आप अतिरिक्त बल मांग सकते हैं, केन्द्र सरकार से मांग सकते हैं, उनके पास प्रशिक्षित लोग हैं ऐसा तो है नहीं कि केन्द्र सरकार ने आपको मना किया हो लेकिन मांगे तो जब इस प्रश्न पर चिन्तन हो। मांगे तो तब जब इस पर प्राथमिकता हो, यह प्राथमिकता का विषय नहीं रहा, चिन्ता का विषय घटना का उल्लेख कर दिया गया लेकिन चिन्ता का विषय यह है कि इतनी गम्भीर घटना होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार किसी हद तक इस विषय का समाधान करने में गम्भीर नहीं लगती। तो मेरा अनुरोध है कि केवल औपचारिकता के रूप में इसे न लिया जाय, केवल कुछ आंकड़े प्रस्तुत करके यह सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है कि पहले इतनी घटनाएं थीं, अब घटकर इतनी हो गयीं, अरे इस प्रकार का नंगा नाच आतंकवादियों ने कभी नहीं किया था जो अबकी बार किया है दिन दहाड़े, सवा बजे भरी कचेहरी में, जहां पर पुलिसकर्मी तैनात हो, न्यायाधीश बैठे हों और 10 मिनट के अंतराल में तीन जगह यह घटना घटित कर दी जाय और एक भी आतंकवादी को हम गिरफ्तार न कर सकें, केवल स्केच जारी कर दिये गये, आखिर किस प्रकार का तंत्र रह गया है, काहे के लिये सरकार रह गयी है, मैं पूरी गम्भीरता के साथ में मान्यवर, बिना दोषारोपण किये हुए, अपनी चिन्ता की अभिव्यक्ति कर रहा हूं। एक चिन्ता तो सबसे बड़ी आज यह हो गयी कि और काम तो बाद में होंगे जब हमारे वजूद को चुनौती दे दी गयी तो सरकार रहकर के करेगी क्या ? मैं आग्रह करना चाहता हूं कि पूरी गम्भीरता के साथ इस प्रश्न पर विचार

किया जाय और पुनः यह कहते हुए, यदि कोई सूचना केन्द्र सरकार से आई है तो प्रदेश की जनता को जानकारी हो कि किस स्तर पर यह चूक हुई है, यह जानकारी सदन के अन्दर आनी चाहिए।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय अधिष्ठाता जी, चिन्ता भी और विषय भी गम्भीर है, विषय अविलम्बनीय भी है और लोक महत्व का भी है और माननीय हमारे दो साथियों ने चिन्ता भी व्यक्त की और बहुत सारे तथ्य सरकार के सामने रखे। हम विपक्ष में हैं, हमारा कार्य सरकार को आइना दिखाना है, स्थिति को सरकार के सामने रखना है और सरकार का यह दायित्व बनता है कि अगर हम चीजों की सत्यता को उनके संज्ञान में ला रहे हैं तो सरकार उस पर गम्भीरता से विचार करे, उस पर कार्यवाही करे। आतंकवाद केवल सरकार के लिये नहीं, पूरे प्रदेश के लिये और सभी के लिये बहुत चिन्ता का विषय है, मैं समझता हूं कि सरकार चिन्तित है, गम्भीर है, यह तब मैं समझता, यदि नेता सदन ने सारे विपक्ष को एक साथ बुलाया होता, आतंकवाद पर कोई बैठक की होती, सहयोग लेने की बात की होती और यह पूछते कि समस्या का समाधान कैसे किया जाय। हमें नहीं लगता कि सरकार इसको गम्भीरता से ले रही है। श्रीमन्, मात्र यह घोषणा कर देना, अब तो मैं रोज पढ़ लेता हूं हर चीज के लिये दोष केन्द्र सरकार का। अब तो मैं बहुत खुश हूं। मैंने प्रमोद जी से कहा कि प्रमोद जी चलिये अब आप दोषी उधर से कहलाये तो। इसके लिये एक तरफ भारत सरकार का गृह मंत्रालय इस बात को कह रहा है कि हमने प्रदेश सरकार को पहले ही यह सूचना दे दी थी लेकिन उत्तर प्रदेश का गृह मंत्रालय यह कह रहा है कि हमें केन्द्र सरकार ने कोई सूचना नहीं दी। अब किसकी बात सही, किसकी गलत, यह तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपने जवाब में बतायेंगे, लेकिन प्रश्न यह है कि सरकार यह मान रही है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और पश्चिमांचल के अधिकांश जिले आतंकवादियों की पनाहगाह बन गये हैं। खुलेआम नेपाल का बार्डर आप ले लीजिये। एक रिपोर्ट छपी है कि नेपाल के बार्डर से नकली करेन्सी, रिवाल्वर, ए0के0-47, दाम भी दिये हैं कि इतने-इतने रुपये में जितना चाहे ले सकते हैं। 100 का नोट 40 रुपये में खरीद लीजिये, 2000 रुपये में रिवाल्वर, एक लाख में एक0के0-47, यह पूरी रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश में जो नेपाल का बार्डर है, उसकी क्या चिन्ताजनक स्थिति है। हम नेपाल से रिश्ते मधुर कर रहे हैं और उन मधुर रिश्तों की आड़ में वहां से क्या हो रहा है। हम यह स्वीकार कर रहे हैं कि आतंकवादी उत्तर प्रदेश में नेपाल के बार्डर से सबसे ज्यादा आ रहे हैं और सबसे ज्यादा पनाह उनको वहां से मिल रही है। सुरक्षा राज्य का विषय है, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, खाली यह कह देना कि केन्द्र सरकार बार्डर को सील नहीं कर पा रहा है इसलिये हम उत्तर प्रदेश में नहीं रोक पा रहे हैं।

श्रीमन्, असफलताओं को दूसरे पर डालना प्रजातंत्र में बहुत उचित चीज नहीं होती है। सरकार ने खुद कहा कि 43 खूंखार आतंकवादी उत्तर प्रदेश में खुलेआम घूम रहे हैं। हमारा खुफिया तंत्र उनको ढूंढ नहीं पा रहा है, सरकार उनको पकड़ नहीं पा रही है। श्रीमन्, जब आप 43 आतंकवादियों के घूमने की बात स्वीकार कर रहे हैं तो आखिर उनको कौन ढूंढेगा, उनको कौन पकड़ेगा ? दुस्साहस अगर उनका नहीं तोड़ेंगे तो कौन सुरक्षित रहेगा। अगर आज कचेहरी में वकीलों ने विरोध किया, कल विधान सभा में हम लोग विरोध कर रहे हैं तो आतंकवादियों के निशाने पर कल

हम लोग आ जायेंगे मतलब धीरे-धीरे वह जो चाहेंगे, अपने एजेण्डे मनवायेंगे और कहेंगे कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आखिर यह गम्भीरता की बात नहीं है तो और क्या है ? और इसी गम्भीरता को हम लोगों ने सरकार के सामने रखा है आज हम इस गम्भीरता को सरकार के सामने इसलिये उठा रहे हैं कि रोज हम अखबारों में पढ़ लेते हैं कि कानून-व्यवस्था को हम ठीक करेंगे, मोहल्ले के छुटभइया गुण्डो को बन्द करेंगे, लेकिन जब तक बड़े-बड़े आतंकवादी, बड़े-बड़े गुण्डों पर जब तक अंकुश नहीं लगेगा तब तक कानून व्यवस्था कैसे ठीक हो जायेगी। इसके लिये सरकार एक रणनीति बनाये, कभी डिस्कशन करे, कार्ययोजना को हम लोगों के सामने रखें। हम तो चाहते हैं कि आप हमसे सहयोग लें, सहयोग देने के लिये कोई मना नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष का काम केवल विपक्ष की राजनीति करना है ऐसा नहीं है कि हम अपने दायित्वों से हट जायेंगे। क्योंकि यह देश का सवाल है, यह सवाल किसी एक सरकार या किसी व्यक्ति का नहीं है। एक बार सरकार बन गई तो उत्तर प्रदेश किसी की विरासत नहीं बन गया, उत्तर प्रदेश किसी का घर नहीं हो गया। यह प्रदेश हम लोगों का है, हम लोग यहां पर जन्मे हैं, हमारा दायित्व है कि हम प्रदेश की सुरक्षा करें, 18 करोड़ आबादी की सुरक्षा करें और अगर उन दायित्वों का हम नहीं निर्वहन कर पाये, सिर्फ एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहे, तो प्रदेश के लिये यह शुभ संकेत नहीं है। अभी फिर उत्तर प्रदेश की खुफिया एजेंसी ने राज्य सरकार को यह सूचना दी है कि उत्तर प्रदेश में 6 दिसम्बर को आतंकवादियों के तमाम हमले हो सकते हैं। दिया हुआ है कि 6 दिसम्बर से पहले और आतंकी हमले सम्भव, राज्य खुफिया तंत्र ने प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को यह सूचना दी है। अगर यह सूचना सही है तो सरकार ने उसे रोकने के लिये क्या उपाय किये। आखिर यदि भय का माहौल प्रदेश में बराबर बना रहा, स्थिति अच्छी न बनी रही तो थोड़े दिनों बाद जनता का विश्वास सरकार से उठ जायेगा। जहां प्रदेश का किसान आन्दोलित है, हर वर्ग आन्दोलित है, वहीं आतंकवादी इसका फायदा उठाते हैं। आज मैं हिन्दुस्तान अखबार में पढ़ रहा था, फ्रंट पेज पर था कि दो नौजवान नौकरी के लिये मारे-मारे फिर रहे हैं, अनुसूचित जाति के हैं। उनको नौकरी नहीं मिल रही है, वह 57 जगह इंटरव्यू दे चुके हैं, तो उनमें से एक ने आतंकवादियों को चिट्ठी लिखी है कि हम सोसाइडिल बम बनने के लिये तैयार हैं, हमें बुला लें और हमारे घर को पैसा दे दें ताकि हमारे घर वाले भूखों न मर सकें। आज यह पहले पन्ने का समाचार है, मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सत्यता है लेकिन अगर यह चीज लिखी गई है और यदि इसमें गम्भीरता है तो इसे और गम्भीरता से लेना चाहिए। क्योंकि बेरोजगारी यदि आतंकवादियों के लिये सहारा बन गई और लोगों को रुपयों का लालच देकर यदि आतंकवादी नौजवानों को बहकाने में सफल हो गये तो प्रदेश के लिये बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जायेगा और प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा और वह दिन प्रदेश के लिये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी जो भी आपकी कार्ययोजना हो उसको स्पष्ट कहें, जो सहयोग चाहते हों आतंकवादियों के खिलाफ, वह सहयोग लें क्योंकि हम लोग तो चाहते हैं कि आतंकवादी इस देश प्रदेश में न रहें, यह हमारा पहला नैतिक कर्तव्य है। राजनीतिक दल हमारे अलग-अलग हो सकते हैं, विचार अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन हमारे लिये राष्ट्र सबसे पहले है। मैं चाहूंगा कि सरकार की कार्ययोजना स्पष्ट आये, वैसे तो मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी अभी तक आपने जितनी भी घोषणायें की

हैं एक भी लागू नहीं हुई है। लेकिन इस सदन में जो कुछ भी कहेंगे, वह मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में जायेगा और जनता उससे समझती है कि यह सरकार का हमारे प्रति आश्वासन है और लोगों की इससे सरकार के प्रति भावना बनती है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जो विषय हमने 311 में उठाया है और मा0 अध्यक्ष जी ने उसे नियम 56 में परिवर्तित किया है। मान्यवर, उसमें अविलम्बनीयता भी है, लोकमहत्व भी है और गम्भीरता भी है, इसलिये इसे स्वीकार करें। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी भी जो अभी कह देंगे कि न इसमें अविलम्बनीयता है, न लोकमहत्व है और सरकार कार्रवाई कर रही है, इसलिए इसे अग्राह्य किया जाए। तो मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि कभी-कभी इस कुर्सी के अधिकारों का उपयोग करते हुए इसे ग्राह्य करके इस विषय पर चर्चा करायें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आज यह सदन एक संवेदनशील, दुःखदायी घटना पर, जिसने सबको हिलाकर रख दिया है, उस विषय की ग्राह्यता पर चर्चा कर रहा है। मान्यवर, उचित तो यह होगा कि इसकी पहल सरकार की तरफ से होनी चाहिए, कार्य-स्थगन का प्रस्ताव, नियम 311 का प्रस्ताव न आता बल्कि सरकार पहल करती और एक सर्वदलीय बैठक की जाती। सर्वदलीय बैठक करके एक सर्वदलीय निर्णय होता और आतंकवाद की इस घटना के खिलाफ एक साझा रणनीति बनती। आज सबसे बड़ी जरूरत अगर किसी चीज की है तो विश्वास की जरूरत है, लोगों में आत्मविश्वास भरने की जरूरत है परन्तु सरकार ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की है। मान्यवर, मैं तो आज भी कहूंगा कि एक सर्वदलीय प्रस्ताव पारित होना चाहिए, उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए जो आज हमारे बीच नहीं रहे और इस आतंकवादी घटना के शिकार हुये। उनके पीड़ित परिजनों के लिए और विशेष रूप से उन अधिवक्ताओं, न्यायपालिका से जुड़े हुये लोगों के लिए जिन्होंने सबसे बड़ी कीमत चुकायी है, सबसे बड़े धैर्य का परिचय दिया है। उन अधिवक्ताओं के सम्मान के प्रति और संवेदना के प्रति एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए। मेरा सुझाव है कि कम से कम इस संदर्भ में उन्हें विश्वास में लिया जाना चाहिए।

मान्यवर, कुछ जगह ऐसी होनी चाहिए, कुछ विषय ऐसे होने चाहिए जहां पर राजनीतिक दलों को राजनीति का चश्मा उतारकर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और मैं समझता हूं कि आतंकवाद एक ऐसा ही विषय है जहां दलीय सीमाओं को तोड़ना चाहिए, जहां पर हमें अपने उन नजरिये को बदलना चाहिए जो दलों में सीमित होकर रह जाती है। मान्यवर, दोषारोपण करने के लिए दोषारोपण हुआ कि केन्द्र सरकार ने सूचना नहीं दी। इस सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि क्या दल की भूमिका बदल जाने से दल की नीतियां बदल जाती हैं। ऐसी ही घटना हुई थी वाराणसी में 7 मार्च को, उस समय परिस्थितियां फर्क थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ब0स0पा0 उस समय विरोध पक्ष में बैठती थी। इस समय नेता सदन मायावती जी हैं, उस समय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी विधान मण्डल के नेता थे। स्वामी प्रसाद मौर्या जी ने कहा था, 09 मार्च, 2006 की विधान सभा की कार्यवाही में अंकित है, उन्होंने पूरा पूरा इल्जाम प्रदेश की सरकार पर लगाया था और कहा था कि यह कानून व्यवस्था का विषय है, अगर प्रशासनिक अधिकारी सूझबूझ से काम लेते तो इस घटना को टाला जा सकता था और सम्पूर्ण दोष प्रशासन पर डाल दिया गया था। मान्यवर, कल भी आरोप गलत था, आज

भी गलत है कि केन्द्र सरकार का दोष है। मैं तो यह कहूंगा कि आतंकवाद का शिकार उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिन्दुस्तान ही नहीं पूरा विश्व है। हमारे यहां घटनायें हुईं, उसके बाद पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, वहां भी घटनायें हुईं, एशिया महाद्वीप में हुई, बांग्लादेश में रोज इस तरह की घटनायें होती हैं, नेपाल भी इससे अछूता नहीं रहा। जिसकी इन्टेलीजेंस यूनिट दुनिया में सबसे बड़ी मानी जाती है। उसके चार-चार टावर गिर गये और पता नहीं लगा पाये। अमेरिका में घटनायें हो जायं तो उसका दोष किसको देंगे ? दोष देने के काम से पहले आतंकवाद रोकने के लिए राजनीतिक साझा मंच बनाने की जरूरत है। आप हम पर आरोप लगाइये। यह कह दिया गया कि दीपावली के 3 दिन पूर्व हमारे पास निश्चित सूचना है, भारत सरकार की इन्टेलीजेंस एजेन्सी ने 6 तारीख को प्रदेश सरकार को अगाह किया था कि आतंकवादी घटनायें हो सकती हैं, कई राज्यों में दीवाली को देखते हुए छिटपुट घटनायें हो सकती हैं। इन आरोपों और प्रत्यारोपों में कुछ भी नहीं रखा है। मैं यह भी कह सकता हूं कि 3 आतंकवादी इस घटना से कुछ दिन पहले पकड़े गये थे। कचेहरी के अन्दर लखनऊ के अन्दर एक घटना भी हुई थी कुछ नारे लग रहे थे हमारे अधिवक्ताओं ने उन राष्ट्र विरोधी नारों का जवाब दिया व वहां संघर्ष हुआ मैं इतना कहना चाहता हूं कि तीन आतंकवादियों ने भी कोई सूचना दी होगी उस सूचना के आधार पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। आइए आरोप प्रत्यारोप से हटें और इस राष्ट्रीय समस्या मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह जिला या प्रदेश की समस्या नहीं है किसी दल की समस्या नहीं है बल्कि राष्ट्रीय ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है। इसका सामना करने के लिए भरपूर तैयारी की जानी चाहिए लम्बी लड़ाई के लिए। मैं नहीं कहता कि इस लड़ाई का अन्त बहुत नजदीक है। हमारे कुछ मित्र हैं उन्होंने कह दिया कि एक आतंकवादी को फांसी दी गई इसलिए यह घटनायें हो रही हैं मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी दल का नाम नहीं लेना चाहता हूं, ओम प्रकाश सिंह जी का भी नाम नहीं लेना चाहता और भारतीय जनता पार्टी का भी नाम नहीं लेना चाहता हूं, टण्डन जी का भी नाम नहीं लेना चाहता सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक सरकार थी उसके कार्यकाल में लाल किले पर हमला हुआ, पार्लियामेंट पर हमला हुआ उस समय आपने क्यों नहीं बचा लिया ? राष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है, कोई राजनैतिक पद नहीं है वहां से जो भी निर्णय होगा वह स्वीकार होगा लेकिन मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि कभी एक विदेश मंत्री हुआ करते थे उन्होंने अपने जहाज में आतंकवादियों को बिठाकर काबुल तक छोड़ आए थे इतना ही नहीं वह अपने साथ में इतना पैसा लेकर गए थे कि उसी पैसे से सारी आतंकवादी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। एक दूसरे दल के कार्यकाल में भी बनारस में अयोध्या में आतंकवादी घटनाएं हुई। मैं इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी हठधर्मिता त्यागे और हर बात के लिए केन्द्र सरकार को जिम्मेदार ठहराना बन्द करे। कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार का मसला है। जैसा कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य तत्कालीन नेता बहुजन समाज पार्टी ने 9 मार्च को सदन में माना था कि यह पूरी तरह से प्रदेश की समस्या है। जब यह प्रदेश की समस्या है तो प्रदेश सरकार को अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। मैं मानता हूं कि प्रदेश और केन्द्र के मध्य बेहतर तालमेल बनाकर इस समस्या का सामना करना चाहिए। मेरा आग्रह है कि आप पहले करें आज नेता सदन नहीं हैं व दुर्भाग्य से बहुत से लोग नहीं हैं मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस पर सर्वदलीय बैठक करें और बैठक करके प्रस्ताव पारित करके

आतंकवाद की निन्दा करें निन्दा करने के साथ-साथ संकल्प लें कि हम आतंकवाद का सामना मिलजुल कर करेंगे। आतंकवाद राजनैतिक दलों के दायरे में नहीं बंटेगा। आतंकवाद को हमारे राजनैतिक दल से ज्यादा किसने भोगा है ? हमने तो अपने राजनैतिक दल की सर्वोच्च नेता श्रीमती इंदिरा गांधी को आतंकवाद की भेंट चढ़ते हुए देखा है। हमने तो अपने सर्वोच्च नेता श्री राजीव गांधी को आतंकवाद की भेंट चढ़ते हुए देखा है। जैसा दर्द हमने झेला है वैसा दर्द भगवान न करे किसी दल को झेलना पड़े। हमें दलीय भावना से ऊपर उठकर एक सोचा समझा निर्णय लेना होगा। आतंकवादी गतिविधियों से जो लोग मुकाबला कर रहे हैं, जो लोग प्रभावित हैं। यह कोई एक साधारण सी घटना नहीं है तीनों जगहों पर न्यायपालिका चुनी गई।

बनारस में वहीं न्याय पालिका में हुआ, लखनऊ में न्याय पालिका में हुआ, फैजाबाद में भी न्याय पालिका में हुआ और मान्यवर, न्यायपालिका जो कि लोकतंत्र के चार स्तम्भों में से सबसे मजबूत स्तम्भ है। विधायिका के ऊपर उसमें बम विस्फोट हुआ। मान्यवर, यह लोकतंत्र के ऊपर हमला नहीं है तो क्या है ? लोकतंत्र के ऊपर हमला हुआ है इसलिये हम सबको मिलजुल कर इस हमले का मुकाबला करना होगा। इसलिये मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा कि क्या यह अविलम्बनीय नहीं है ? इससे बढ़कर अविलम्बनीय विषय और क्या हो सकती है ? जब लोकतंत्र पर आतंकवाद का साया है 14-15 लोग इस आतंकी हमलों में मारे गये हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। अभी आतंकवाद का साया हटा नहीं है। इसलिये इसकी अविलम्बनीयता से इंकार नहीं किया जा सकता है। आतंकी हमले होते हैं 15-16 लोग मारे जाते हैं और सैकड़ों ही तादात में लोग घायल हो जाते हैं, लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तम्भ न्यायपालिका के ऊपर हमला होता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जो कुछ लिखकर लाये हैं उसको छोड़ दीजिये और इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराकर एक निष्कर्ष पर पहुंचिये ताकि यह एक ऐतिहासिक निर्णय हो कि खतरे की घड़ी में प्रदेश ने एक जुट होकर ऐसा निर्णय लिया।

(श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव का नाम पुकारे जाने पर तथा कई सदस्यों द्वारा बोलने के लिये खड़े होनें पर)

श्री अधिष्ठाता-

पांच नोटिस हैं, इनकी अलग से है। पांच सुन ली हैं, इनकी सुन लें उसके बाद आप कहियेगा।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अधिष्ठाता जी, 23 नवम्बर, 2007 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बजकर 13 मिनट पर दीवानी न्यायालय परिसर के बाहर बम विस्फोट हुआ। उस बम विस्फोट की जांच पुलिस तंत्र कर ही रहा था कि उसी समय लोगों ने देखा कि न्यायालय परिसर के बाहर एक साइकिल पर एक झोला टंगा हुआ है। जब उस झोले की तलाशी ली गई तो उसमें भी एक बम बरामद हुआ। उस बम को बड़ी मुश्किल के साथ डिफयूज किया गया। मैं मौके पर गया था वहां पर भारी संख्या में मीडिया के लोग थे, अधिकारी थे और तमाम प्रयासों के बाद उस बम को डिफयूज किया गया। यह बहुत शक्तिशाली बम था। इस बम का विस्फोट नहीं हो पाया। इसके पीछे मकसद यही था

कि जो बम विस्फोट दीवानी न्यायालय परिसर में हुआ है उससे डर कर लोग जब बाहर भागेंगे तो भारी संख्या में लोग बाहर निकलेंगे और उसी समय यह बम विस्फोट होगा तो हजारों की संख्या में लोग मौत के शिकार हो जायेंगे। माननीय अधिष्ठाता जी, वाराणसी में, फैजाबाद में और लखनऊ में यह तीनों जगह जो बम विस्फोट हुए उसमें एकरूपता यह है कि यह तीनों बम विस्फोट एक ही समय पर हुए न्यायालय परिसर में हुए और तीनों में जो विस्फोटक इस्तेमाल हुआ वह पुलिस के डी0आई0जी0 के अनुसार एक ही प्रकार का इस्तेमाल किया गया। सवाल यह उठता है कि मैंने इसी सदन में फरवरी 2006 में जब दूसरी सरकार वहां पर बैठी थी तो मैंने नियम-56 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी और उस पर चर्चा कराने की मांग की थी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आतंकवादियों का अड्डा बन गया है। आतंकवादी बांग्लादेश से प्रशिक्षण लेकर यहां आ रहे हैं और यह तथ्य उस समय उजागर हुआ जब दिल्ली में बम विस्फोट हुआ और जो आतंकवादी वहां पकड़े गये थे जब वे चारबाग स्टेशन लाये गये तो उन्होंने बताया कि हमारा केन्द्र लखनऊ है और हमारी ट्रेनिंग बांग्लादेश में होती है। अब इनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में नहीं होती है। बांग्लादेश में होती है। बांग्लादेश से प्रशिक्षित होकर आये आतंकवादी यहां उत्तर प्रदेश की राजधानी में स्लीपिंग मौल्यूल्स के रूप में पड़े रहते हैं और अवसर पाकर पोषक तत्व पाकर यह स्लीपिंग मौल्यूल्स जागृत होकर अपना काम करने लगते हैं। अब वह अपना काम कर रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपके संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि 2001 में इस सरकार के समय मैंने इसी सदन में कहा था कि केन्द्र सरकार के आई0बी0 इन्टेलीजेन्स ब्यूरो ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह सूचना दी है कि यहां पर आतंकवादी भारी मात्रा में आ गए हैं और एक समाचार यह भी आया है कि इन आतंकवादियों से यह सरकार दावा करती है कि इन आतंकवादियों से लड़ने की पूरी तैयारी में हैं लेकिन जो समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था उस समय यह था कि आतंकवादियों के पास से स्टीफर रायफल्स बरामद हुई है जिससे वह ट्रेन्ड किए गए थे यह स्नंसी रायफल हैं जिसकी मारने की क्षमता तीन किलोमीटर तक है। जिनके पास ऐसी रायफल हैं वहां उत्तर प्रदेश के सिपाहियों के पास पुरानी अंग्रेजों के जमाने की थ्री नाट थ्री मुकाबला करने के लिए रायफल हैं। मैंने इसी विधान सभा में अभी द्वितीय इसी सत्र में स्पष्ट पूछा था सरकार से क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि गत जुलाई-अगस्त, 2007 माह में लखनऊ में कितने आतंकवादी गिरफ्तार किए गए ? उत्तर मिला गत जुलाई-अगस्त, 2007 माह में कुल तीन आतंकवादी गिरफ्तार किए गए। दूसरा प्रश्न था आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या सरकार कोई कार्ययोजना बना रही है यदि हां तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उत्तर आया देखिये कितने हल्केपन से सरकार ने आतंकवाद जैसी विषम घटना के बारे में उत्तर दिया है कि प्रदेश में बढ़ रही आतंकवादी घटनाओं की रोकथाम के दृष्टिगत जनपद लखनऊ में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों में समन्वय रखते हुए संदिग्ध व्यक्तियों से गहन पूछताछ की जा रही है क्या इससे आतंकवाद रुकेगा। होटल, सराय, धर्मशालाओं, ढाबों, ऐतिहासिक धार्मिक स्थल, घटना स्थल महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों एवं अन्य भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों की आवश्यक छानबीन करते हुए इसमें ठहरने वाले व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। उपरोक्त स्थानों पर पुलिस प्रगतिशील करते हुए एवं अभिसूचना तंत्र को और अधिक सक्रिय करते हुए निरन्तर दृष्टि रखी जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित कराते हुए

निश्चित कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त संदिग्ध कैमरा एजेन्सियों के नये व्यक्तियों पर सर्तक दृष्टि रखी जा रही है यह जो उत्तर आ रहा है इतना हल्का उत्तर इससे क्या आतंकवाद को रोका जाएगा।

अधिष्ठाता महोदय, आज जो यह समाचार जनता के संज्ञान में आया है कि खुफिया एजेन्सी ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह सूचना दी है कि तीस से चालीस तक की संख्या में आतंकवादी लखनऊ में प्रवेश कर चुका है। उनके पास लेटेस्ट चीजें हैं, विस्फोटक सामग्री है यह सारी सूचनायें सरकार के पास हैं। उसके बाद भी सरकार जो आतंकवादी घटनायें हुयीं मैं लखनऊ के बारे में कह सकता हूं कि सरकार की ओर से किसी आतंकवादी को पकड़ने का या उसके बारे में पता लगाने का प्रयास जो किया गया है वह काफी नहीं है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अभी हाल में मा0 तिवारी जी ने यह बात अपने भाषण में नहीं कही कि यहां पर एक अभी हाल में तीन आतंकवादी एस0टी0एफ0 ने लखनऊ में पकड़े थे। जो राहुल गांधी जी को निशाना बनाना चाहते थे। उनको वह बारूद की माला पहनाना चाहते थे। तीन आतंकवादियों को जब लखनऊ की कचहरी में पेश किया गया था। तो वकीलों ने प्रतिकर स्वरूप जो भी किया होगा। राष्ट्रहित में किया होगा, जनहित में किया होगा देश हित में किया होगा। लेकिन उसका बदला लेने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी घटना की और इसके पीछे उनका मोटिव एक है कि न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोगों में भय आतंक पैदा कराना। आज ही का समाचार है कि अब न्यायपालिका पर हमला करने के बाद पुलिस उनके निशाने पर है। अब आतंकवादी पुलिस पर हमला करने वाले हैं। अधिष्ठाता महोदय, मेरी मांग है कि लखनऊ में इसकी छानबीन की जानी चाहिए। ऐसे संगठन जो स्लीपिंग माड्यूल के रूप में छिपे हुए हैं उनकी तलाशी और गिरफ्तारी होनी चाहिए। लोगों के जान-माल की रक्षा करना प्रदेश सरकार का काम है, केन्द्र सरकार पर गेंद फेंक देना किंचित उचित नहीं है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के लोगों की जानमाल की रक्षा करने का दायित्व प्रदेश सरकार का है और इस दायित्व से वह मुक्त नहीं हो सकती है। मान्यवर, मैंने नियम-311 में जो सूचना दी है, उस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, नियम-311 के अन्तर्गत इस सदन में चर्चा कराने का अनुरोध मैंने इस सूचना के माध्यम से किया है। जिस घटना के सम्बन्ध में मैंने यह नोटिस दी है, उस सम्बन्ध में माननीय सदस्यगण ने अपने-अपने विचार रखे हैं और जिन तथ्यों को उन्होंने यहां रखा है, उनको दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अत्यन्त संक्षेप में थोड़ी बातें कहना चाहता हूं और अपनी इस नोटिस के औचित्य पर बल देना चाहता हूं। श्रीमन् जिन परिस्थितियों में ये आतंकवादी घटनाएं हुई, यह पहली घटना नहीं है, प्रदेश में और देश में आतंकवाद का प्रभाव, आतंकवादियों की उपस्थिति किन-किन स्थानों पर किस कालखण्ड में कब-कब ऐसे घटनाएं हुई हैं, इस सम्बन्ध में सभी भिज्ञ हैं और इसका उल्लेख मात्र कर देने से यह बात पूरी नहीं हो जाती कि अमुक स्थान पर आतंकवादी घटना हो गयी और उस समय वहां का मुख्य मंत्री कौन था, प्रधान मंत्री कौन था। ? इससे एक ही बात सिद्ध होती है कि वह अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहता है और तकनीकी तौर पर उसे केवल

बहस का मुद्दा बनाये रखना चाहता है। श्रीमन्, इससे भिन्न दृष्टिकोण यह है कि इस बारे में हमारी जिम्मेदारी बनती है तो उसे स्वीकार करने की नैतिकता कितनी है, उसको स्वीकार करने की स्थिति में कौन है ? मान्यवर, दीर्घाओं का संज्ञान में लिया जाता। संसदीय कार्य मंत्री स्वयं देखेंगे, इसकी गम्भीरता। नेता सदन की उपस्थिति, इस सवाल पर जब कि वह लखनऊ में मौजूद हैं। सौभाग्य से कभी-कभी तो वह नजर आती है। इस मुद्दे को संज्ञान में लेना होगा, ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर उन्हें सदन में रहना चाहिए था लेकिन हम इसके लिए उन्हें बाध्य नहीं कर सकते कि वह मौजूद रहें। श्रीमन्, मैं इसका उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि आतंकवादी घटना पिछली सरकार के कार्यकाल में भी हुई और हम सबने देखा कि तत्कालीन नेता सदन ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया था, सबसे अनुरोध किया था, पूरे सदन से, नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के सभी साथियों से कि उत्तर प्रदेश की जनता हमारा सहयोग करे ताकि सबके सहयोग से हम इस घटना पर काबू पा सकें। एक उस सरकार का दृष्टिकोण था और एक इस सरकार का दृष्टिकोण है। मैं मात्र दृष्टिकोण की ओर इंगित करना चाहता हूं। कितनी गम्भीरता से इस घटना को लेने की आवश्यकता है। बनारस में संकट मोचन मन्दिर की घटना हुई थी, हमारे साथी श्यामदेव राय चौधरी जी ने भी उल्लेख किया है, मैं उसी घटना के हवाले से यह बात कहना चाहता हूं कि तत्कालीन नेता सदन के अनुरोध का यह परिणाम था कि बनारस में जो साम्प्रदायिक हिंसा फैलाने की साजिश की गयी थी, बनारस की जनता ने और दूसरे राजनीतिक दलों ने पूरी तरह से साथ दिया और प्रदेश की पूरी जनता ने हमें यह भरोसा दिलाया था कि हम इसका पूरी तरह से मिलकर मुकाबला करेंगे।

मान्यवर, संघीय ढांचें में संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की अलग-अलग भूमिका होती है। लेकिन प्रत्येक विषय पर इस सदन में आकर यही बात पता चली कि यह तो केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। बिजली क्यों नहीं है ? तो कहते हैं कि केन्द्र सरकार जिम्मेदार है। आतंकवादी घटनाएं कैसे हो गयी ? तो कहते हैं कि इसके लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार है। अगर केन्द्र सरकार सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है और अगर वही इस सरकार को चला सकती है, सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर सकती है तो इस सरकार के बने रहने का औचित्य क्या है ? खाद क्यों नहीं है, बीज क्यों नहीं है, बिजली क्यों नहीं है, गन्ना मूल्य क्यों नहीं दिया, राज्य में आतंकवादी घटनाएं क्यों हुयीं, तो कहा जाता है कि इनके लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार है। मैं समझता हूं कि इस सरकार के होने का कोई अर्थ नहीं है। जो सरकार केन्द्र सरकार का नाम लेकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती है तो ऐसी सरकार के होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सूचना देना केन्द्र सरकार का काम है वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। लेकिन इसके लिए आपस में तालमेल भी तो होना चाहिए। निर्दोष नहीं मारा जाना चाहिए। न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग अगर इस तरह से आतंकवादी घटनाओं के लपेटे में लिए जायेंगे तो इस व्यवस्था पर क्या विश्वास रह जाएगा। हम यह नहीं कहते कि जिन आतंकवादी संगठनों के नाम लिए गये हैं इसके लिए उसमें से कौन जिम्मेदार है। लेकिन सिर्फ इससे बात बनने वाली नहीं है। मान्यवर, इस सरकार की संवेदनशीलता यह है कि मुख्य मंत्री जी ने मृतकों को 2-2 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की। जब समाजवादी पार्टी ने प्रतिरोध किया तो उसको बढ़ाकर 5-5 लाख रुपये

का दिया। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि वह अभी भी कम है। पूर्ववर्ती सरकार में आतंकवादी घटनाओं में मारे गये लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये दिये गये थे तो हमारा कहना है कि इन्हें भी 10-10 लाख रुपये दिये जाने चाहिए। अगर आप लोगों को हिफाजत करने में असमर्थ हैं तो आपको वहां बैठने का अधिकार नहीं है। अधिष्ठाता महोदय मैं कहना चाहता हूं कि आज एक विश्वास का माहौल बनाने की आवश्कता है। यह आतंकवादी चाहे जहां से आये हों चाहे जिस संगठन के हों अगर वह हमारी अस्मिता पर आक्रमण करेंगे तो हम सबको एक जुट होकर इसका मुकाबला करना चाहिए। लेकिन सरकार को इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है कि वह इस प्रदेश की जनता को, तमाम राजनीतिक दलों को एकजुट करके उनके समर्थन से कोई माहौल बनाने का प्रयास करें। मान्यवर, यह घटना प्रत्येक दृष्टि से नियम-311 के अन्तर्गत जितनी अनिवार्यताएं होनी चाहिए उन सारी अनिवार्यताओं को पूरा करती हैं। मान्यवर, अच्छा तो यह होता कि इस सवाल पर विचार करने के लिए नेता सदन स्वयं इस सदन में एक प्रस्ताव लेकर आतीं और अपनी ओर से सरकार के प्रयास और कठिनाइयों का सम्पूर्ण प्रस्ताव इस सदन में रखती। लेकिन वह लेकर नहीं आयी, उनको आवश्यकता नहीं है। इस प्रदेश को चलाने का आधार वह नफरत मानती है, विश्वास का माहौल बनाने की उनको कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा होता तो वह प्रयास करती। ऐसे संवेदनशील विषय पर ऐसे गम्भीर सवाल पर, आतंकवादी घटनाओं के सवाल पर इस सदन को और जनता को विश्वास में लेने की उनको आवश्यकता नहीं है इसलिए नियम-311 में हमें यह सूचना देनी पड़ी। मैं अपनी बातों को यही तक सीमित करते हुए क्योंकि आपने इशारा कर दिया है, समाप्त करना चाहता हूं इस अनुरोध के साथ कि आप सदन के सभी नियमों को निलम्बित करते हुए चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री लल्लू सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, लोक महत्व के इस अविलम्बीय सवाल पर आपने हमें बोलने का अवसर दिया। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय हुकुम सिंह जी, मा0 नरेश चन्द्र अग्रवाल जी, प्रमोद तिवारी जी, सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी ने इस विषय पर जो अपनी बातें रखी हैं उनसे मैं अपने को जोड़ते हुए यह कहना चाहता हूं कि फैजाबाद कचहरी में 23-11-2007 को जो घटना हुई, चूंकि अयोध्या श्री राम जन्म भूमि स्थली होने के कारण आतंकवादियों के निशाने पर है, इसके पूर्व भी कई घटनाएं अयोध्या में हो चुकी हैं, रेलवे स्टेशन का बम काण्ड, हनुमान गढ़ी में जीप में प्रेशर कुकर में बम बरामद हुआ, श्री राम जन्म भूमि पर आतंकवादी हमला हुआ जिसमें पांच आतंकवादी मारे गये तो आम आदमी यह जानता है कि अयोध्या आतंकवादियों के निशाने पर है। प्रदेश सरकार का यह कहना है कि इसकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार पर है और केन्द्र सरकार यह कहती है कि इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है, तो दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में जनता भयग्रस्त है विशेष रूप से आयोध्या और फैजाबाद की जनता भयग्रस्त है। 1.15 मिनट पर सेट नम्बर 20 पर पहला ब्लास्ट हुआ, 1.18 मिनट पर दूसरा बम दगा। दोनों बम बिल्कुल नयी साइकिल पर झोले में रखे हुए थे। एक अधिवक्ता श्री राधिका प्रसाद गुप्ता तथा चार अन्य लोग मारे गये, दो दर्जन घायल हुए। एक सुश्री रेखा मेहरोत्रा का कान का पर्दा फट गया। डाक्टर ने कह दिया कि यह अब सुन नहीं सकती है। हमारा यह कहना है कि जितने भी आतंकवादी लखनऊ और

फैजाबाद में गिरफ्तार हुए सबके पास अयोध्या का नक्शा बरामद हुआ। अयोध्या निशाने पर है और उसे उड़ाने की योजना बना रखी है। इतनी सारी सूचनाएं होने के बाद भी इन आतंकवादियों को कौन सहयोग दे रहा है, कौन संरक्षण दे रहा है इसका प्रदेश सरकार यहां का खुफिया तंत्र, शासन तंत्र ने जानने का प्रयास नहीं किया है और न ही यह प्रयास किया है कि कोई कार्यवाही उनके ऊपर की जाय। ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार इस आतंकवाद पर गम्भीर नहीं है इसलिए इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सवाल पर बल देते हुए हम आपसे मांग करते हैं कि इस पर चर्चा करायी जाय। यह एक ऐसा गम्भीर विषय है जिसमें वोट की राजनीति को छोड़ना होगा, नहीं तो अयोध्या श्री राम जन्म भूमि पर हमला हो और वर्तमान समय में मुख्य मंत्री उस हमले पर अयोध्या न जायें न उनके मंत्रि-मण्डल का कोई सहयोगी जाये, वोट की राजनीति से इसको अलग करके इस आतंकवाद से सबको मिल करके एक साथ एक जुट हो करके लड़ना होगा, यही हमारा अनुरोध है, इस लोक महत्व के सवाल पर बल देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री गौरी शंकर 'एडवोकेट'-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे माननीय सदस्यगण ने इस विषय की गम्भीरता को बहुत स्पष्ट रूप से माननीय सदन के समक्ष रखा है और यह बिन्दु ऐसा नहीं है कि जिसमें पक्ष और विपक्ष का कोई प्रश्न हो, यह विषय ऐसा है जो कि समाज की अस्मिता, प्रदेश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा और यहां तक कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के विषय में यह बहुत गम्भीरतापूर्वक विचारणीय है। अभी डब्ल्यू0टी0सी0 का जिक्र किया माननीय प्रमोद तिवारी जी ने, यह पूरी दुनिया लगता है कि आतंकवाद के बिल्कुल ऐसे ढेर पर है कि एक बटन दबाते ही जब डब्ल्यू0टी0सी0 उड़ सकता है और डब्ल्यू0टी0सी0 का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि अमेरिका जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली, एक शक्ति के रूप में पूरी दुनिया में विख्यात हुआ और अपना वर्चस्व भी उसने अपने तरीके से कायम कर रखा है और जब डब्ल्यू0टी0सी0 को उड़ाया जा सकता है तो आप सोंच सकते हैं कि कितना गम्भीर विषय है। विगत कई दशकों से यह प्रश्न उठ रहा था कि पीलीभीत का बार्डर, उत्तर प्रदेश के और बहुत सारे, नेपाल की सीमा का बार्डर यह सारे के सारे एक दो दशक पहले से ही चिन्ता का विषय रहे हैं। हमारे माननीय सदस्यगण जो हाउस में आते रहे उन्होंने भी कई बार इस बात को देखा कि एक वक्त आयेगा कि उत्तर प्रदेश भी इस तरह के आतंकी हमले का शिकार होगा, आतंकवाद का बाकायदा एक बहुत बड़ा यहां पर माहौल बनेगा और देखते-देखते अभी जो हुआ कि न्याय के मंदिरों पर आतंकी हमला हुआ जिसमें 13 मरे और 63 घायल लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद कचहरी में सीरियल विस्फोट हुए और इस तरह से वकीलों के हमले को बदला, इस तरह की खबरों से यह सारे अखबार रंगे पड़े हैं, मैं बात को बहुत ज्यादा लम्बी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि हमारे माननीय सदस्यगणों ने जिन बातों का उल्लेख किया है उसको पुनरावृत्ति करने का कोई औचित्य नहीं बनता, लेकिन जो चीज गम्भीर है वह पक्ष और विपक्ष का विषय नहीं होना चाहिए। यहां पर सही रूप से पूरे इस माननीय सदन में ऐसे विषय आये हैं जब पूरा सदन एक स्वर से एक मत से पूरी गम्भीरतापूर्वक उस निष्कर्ष पर पहुंचा है। मैं समझता हूं कि यह विषय उसकी आज के दिन सबसे बड़ी प्रासंगिकता है और सबसे बड़ी गम्भीरता है। प्रदेश के तीन शहरों में श्रृंखलाबद्ध विस्फोट और यह सारे

के सारे अखबार रंगे पड़े हैं। कचहरी लखनऊ में फिर उसी तरह का विस्फोट और यहां पर किस तरह से वकील घायल हुए, बनारस में और फैजाबाद में और लखनऊ में भी यही सिलसिला हुआ। विस्फोटों से दहली कचहरियां, सारे कचहरी का माहौल पूरा साम्राज्य स्थान इस समय लगता है कि आतंकवादियों का, अदालतों में धमाकों से थर्राया प्रदेश, विस्फोटों में आर0डी0एक्स0 का इस्तेमाल, इत्यादि-इत्यादि, इन विगत दिनों में जो अखबार पलटने को मिला वह सब आतंकवाद-आतंकवाद। यह विषय इतना गम्भीर और महत्वपूर्ण है कि इसके तहत 311 की नोटिस दिया गया है। 311 की नोटिस की गम्भीरता अपने में स्वतः स्पष्ट है। सब काम रोक कर सत्ता पक्ष और शासन को चाहिए कि इस पर चर्चा करायें। हमारे साथी भाई अम्बिका चौधरी जी ने कहा कि अच्छा तो यह होता कि आपकी तरफ से खुद प्रस्ताव आता और पूरे माननीय सदन को इस कान्फिडेंस में लेने के बाद आप किसी रणनीति को बनाते और उसके बाद में आतंकवाद न केवल उत्तर प्रदेश की सीमा को छू पाये बल्कि देश की किसी भी सीमा को न टच कर पाये और तब हम भारत भूमि की रक्षा कर सकेंगे यूं तो कहा गया ...

"गायंतिदेवाः किलगीतकानी, धन्यास्तुतु भारतभूमिभागे,
स्वर्गापवर्गा स्वपदहेतुभूते भवन्ति भूयाः पुरुषासुरत्वात।"

स्वर्ग से बढ़कर यह बहुत ही सुरक्षित धरती है और जब हिन्दुतान और उत्तर प्रदेश जहां पर हिमालय का बार्डर है, नेपाल का बार्डर है, हम सबसे ज्यादा सुरक्षित यदि हैं तो उत्तर प्रदेश में हैं तो यह विषय अपने में बहुत गम्भीर है। इसके उसी गम्भीरता के तहत लिया जाना चाहिए और मैं विषय को लम्बा इसलिए नहीं करना चाहता कि अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष को बोलना है, हम सब लोगों की, हम सब माननीय सदस्यगणों की भावनायें नेता प्रतिपक्ष स्वयं रखेंगे। उनका समय अभी लेना टीक नहीं और गम्भीर माहौल है इस सदन में, इस समय सीनियर सभी लीडर्स हैं और माननीय सदस्यगण बैठे हैं।

मान्यवर, अधिष्ठाता पीठ पर बैठकर आप निर्देश दे दें, एक ऐतिहासिक निर्णय होगा, आप आदेशित करें कि सत्ता पक्ष, शासन को चाहिये कि तत्काल इस पर बकायदा गम्भीरतापूर्वक न केवल कार्यवाही करें बल्कि पूरे सदनको कांफीडेंस में लेकर एक पूरी रणनीति बनायें। ताकि आने वाले दिनों में, आने वाली पीढ़ियों के मन में यह दशहत का माहौल खत्म हो और हमारा पूरा प्रदेश शांतिपूर्वक वातावरण में तरक्की करे, देश तरक्की करे और हमारा देश दुनिया में एक प्रगतिशील राष्ट्र बन सके। हमारा प्रदेश एक प्रगतिशील प्रदेश बन सके। मैं अपनी बात पर बल देते हुए मांग करता हूं कि इस पर चर्चा करायी जाये।

* श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, इस सदन में कई बार आतंकवाद के बारे में बहुत ही सार्थक सूचनायें आयी हैं। न पहले की सरकार ने उस पर कोई गम्भीर कदम उठाये और न आज की सरकार ने इस पर गम्भीरता से कुछ किया है, न कर रही है। मान्यवर, इस तरह का प्रश्न सदन की प्रोसिडिंग्स में है जिसमें सरकार की ओर से कहा गया था कि प्रदेश के 34 जिले आई0एस0आई0 या आतंकवादियों गतिविधियों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के शिकंजे में आ चुके हैं, प्रभावित हैं। अगर यह 34 जिले प्रभावित थे और सदन में यह सूचना आ चुकी थी तो फिर आपको और किस सूचना की जरूरत थी जो सूचना सदन में दी जाती है चाहे वह पहले की सरकार की हो या आज की सरकार की हो उससे ज्यादा सार्थक और कोई सूचना मानी नहीं जा सकती। मान्यवर, यहां पर सदन में मिथ्या बोलने पर भी सजा है मंत्रियों के लिये नियमों में। मान्यवर, मैं साक्षी हूं वाराणसी की घटना का। उस दिन हमारी पार्टी का वहां पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था कचेहरी के बाहर ही था। वहां पर मैं था। एक सामने से विस्फोट हुआ था लोगों ने समझा कि कोई पटाखा छूटा है। कई लोगों ने बम फटने की बात कही लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ था। फिर दूसरी बार जोर से धमाका हुआ था फिर हम लोगों ने बैठक स्थगित कर दी थी। हर तरफ से बम फटने बम फटने की आवाजें आने लगी थीं। यह लोग जानकारी कर रहे थे कि कितने लोग मारे गये हैं हर तरफ शोर और चीत्कार मचा हुआ था। लोगों के चीथड़े पड़े हुए थे इस तरह की दर्दनाक स्थिति वहां पर थी। लेकिन इस सदन में मैं समझता हूं और मुझे देखकर दुख होता है कि कोई गम्भीरता किसी को है ही नही। सत्ता पक्ष की तरफ लोग इस तरह से बैठे हुए हैं जैसे सत्य नारायण की कथा सुन रहे हों। मान्यवर, मैं किसी पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं। लेकिन इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर सदन में बहस हो और गम्भीरता उत्पन्न हो। माननीय अध्यक्ष जी ने आपको पीठासीन कर दिया है, उससे बहस का क्या अर्थ निकलेगा और उस पर क्या कार्यवाही होगी क्योंकि आपकी सीमाओं को मान्यवर हम लोग जानते हैं। आप देख लें कि कौन गम्भीर है। जिस दिन यह घटनायें हुई हैं उस दिन शाम को पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को करने के लिये मुख्य मंत्री जी यहां से बाहर चली गयी थीं। वह किसके ऊपर, किसके जिम्मे यह प्रदेश छोड़ दिया गया, आतंकवादियों के ऊपर। अभी माननीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा और सदस्यों ने भी कहा।

(व्यवधान)

आप लोग सत्ता में हैं सुन लें। मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। यह देखने की बात है कि इस पर गम्भीरता कितनी है और कौन इसे कितनी गम्भीरता से ले रहा है। क्या गम्भीरता से उस बात को लिया गया था जब 34 जिलों के प्रभावित होने की बात थी और उस पर कितनी गम्भीरता के साथ कार्यवाही की गयी थी कितने आतंकवादी पकड़े गये थे। आज तो सूचना का अधिकार कानून लागू है यह सबका संवैधानिक अधिकार है सूचना प्राप्त करने का।

(इस समय 3 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

लेकिन किसे सूचना है कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। पहले जो आतंकवादी लखनऊ में पकड़े गये उनके लिए यह कह दिया गया।

मान्यवर, मैं क्षमा के साथ आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इस गम्भीर विषय में आप जैसा संवेदनशील व्यक्ति यहां होना चाहिए था इसलिए मैंने यह कहा है। मेरा कोई आक्षेप नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कुछ तबियत ठीक नहीं थी, इसलिये 10 मिनट के लिए चला गया था।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, इस विषय को गम्भीरता के साथ कौन ले रहा है केन्द्र सरकार, अब यह बात बार-बार होती है केन्द्र सरकार क्या कर रही है ? तो वह कहती है कि राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, राज्य सरकार का होता है तो वह कह देती है कि जिम्मेवारी केन्द्र सरकार की है तो यह फुटबाल हो रहा है, वालीबाल हो रहा है कि एक बाल इधर से और एक बाल उधर से। इससे प्रदेश का बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है अभी तमाम सूचना है कि बहुत बड़ी संख्या में आतंकवादी प्रदेश में छा गये है। महत्वपूर्ण स्थानों पर उनकी निगाह है, हमारी ऐतिहासिक इमारतें इनके टारगेट में हैं। सभी दलों के प्रमुख नेता खतरे में हैं। जो यहां पर सुरक्षा होती है, जब कभी बढ़ाई जाती है तो वह कुछ विशेष लोग होते हैं जब भी आया, हर व्यक्ति तो राहुल गांधी नहीं हो सकता उनका नाम आ गया तो इतनी सुरक्षा है लेकिन बाकी का। कितने नाम है सरकार के पास क्या आतंकवादियों ने जिनके नाम कबूल किये हैं लेकिन उनके नाम की चर्चा नहीं होती। सारा ध्यान बट जाय, ऐसे व्यक्ति का नाम जोड़ दिया जाय तो सारा ध्यान हट जायेगा अपने आप। मान्यवर, इसलिए आज यह कहेंगे कि कोई किसी के ऊपर लांक्षन न लगाया जाये, किसी के ऊपर आरोप न लगाया जाये, यह आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं है लेकिन सवाल किससे पूंछूं ? आखिर एक नागरिक के नाते मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है तो मैं क्या आरोप लगा रहा हूं ? कोई तो जिम्मेवार है इसका। कोई तो इसमें जिम्मेवार है और वह जिम्मेवारी आज है किसकी ? किसकी तरफ उंगली उठाई जाय कि यह जिम्मेवार है ? जब कभी भी किसी के बारे में कहा जाता है तो यह कहा जाता है कि यह आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। तो फिर विषय है काहे का। यह चर्चा का विषय नहीं है, यह आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है यह सरकार की घटनाओं की समीक्षा का विषय नहीं है तो विषय काहे का है। इसलिए मैं एक रस्मअदायगी कर रहा हूं इस पर बोल करके। मैं इस सदन से आहत हूं कि जिस गम्भीरता के साथ ऐसे विषयों पर सबको एक हो करके कोई एक सार्थक नीति बनानी चाहिए उस समय हम अलग-अलग बटे हुए दिखाई देते हैं। विपक्ष का अधिकार है कि सरकार पर हमला करे लेकिन हमला करने के पहले ही उधर से हमला होने लगता है। तो इस सदन की सार्थकता क्या रहेगी ? ऐसे विषयों पर इतिहास लिखा जायेगा। यह कोई आज की बात नहीं है कि कुछ लोग सत्ता में बैठे हैं या विपक्ष में बैठे हैं। ऐसे मसलों पर उनकी भूमिका इतिहास लिखेगा कि कौन क्या कर रहा था और किस समय कैसा हुआ और उस समय जो सत्ता में थे और जो प्रतिपक्ष में थे, उनकी भूमिका क्या थी ? मैं यह नहीं चाहता कि इसमें किसी को दोषी करार दे दिया जाय लेकिन इतना तो है कि अगर एक प्रमुख राजनैतिक दल का कहीं पर धरना हो रहा है तो वहां पर कुछ सुरक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। जब वहां पर अनुमति के साथ हो रहा है, कोई छिपाकर नहीं हो रहा है तो मैंने देखा कि एक भी कांस्टेबिल वहां नहीं था। तो ऐसे में अगर वहां विस्फोट हो रहे हैं तो सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है ? क्यों नहीं व्यवस्था की गयी, जहां पर हमारा पंडाल खत्म हो रहा था, उसके बाद सड़क थी, अगर उस सड़क पर पुलिस होती तो वाराणसी की बात मैं बता रहा हूं कि यह घटना बच सकती थी। यह घटना इसलिए हुयी कि बम्बई बमकांड में जो आतंकवादी शामिल थे, उनको जिस तरह से, न्यायपालिका के लिये मैं सिर झुकाता हूं, कि जिस तरह से, उन्होंने हिम्मत से फैसले दिये हैं कि कितने लोगों को आजीवन कारावास और कितने

लोगों को मृत्युदण्ड दिया गया। उस न्यायपालिका का मनोबल तोड़ने के लिये यह साजिश की गयी थी। यदि न्यायपालिका का मनोंबल टूटेगा तो इस कार्यपालिका का तो वोटों के लालच में हम सब बंटे हुये हैं। हम बहुत सी बातें कह नहीं पाते हैं जो यथार्थ है, उसके ऊपर बोलने का साहस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमें इस सबसे ऊपर उठकर इस देश को बचाना है कि नहीं ? आज हम दुनिया में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहे हैं और दूसरी तरफ हम आन्तरिक सुरक्षा के मामले में इतने विफल हो रहे हैं कि कोई हमारा स्थान नहीं है दुनिया में लोग मजाक उड़ाते होंगे कि जहां पर कचेहरियों में बम विस्फोट हो जाते हैं। तो इसके ऊपर चर्चा कराइये और मेरा आग्रह है कि नेता सदन उपस्थित रहें और जो कुछ भी नीति उन्होंने इसके बारे में बनाई है, उससे सदन को अवगत करायें। नेता प्रतिपक्ष से भी आग्रह करना चाहूंगा कि वह भी सदन में रहें, पूरा सदन रहे। कोई एक उसका स्वरूप सामने होना चाहिये तो मान्यवर, यहां पर इससे गम्भीरता की कमी हो जाती है कि दोनों तरफ खाली हैं सीटें। अब हम कह रहे हैं, सरकार के लिये तो यह बैठे हैं लेकिन इनका क्या कुछ करने का अधिकार है। क्या इन्हें ऐसा कोई सदन को आश्वस्त करने का अधिकार है, कि यह करने जा रहे हैं। नहीं है, तो जिन्हें अधिकार है, उन्हें तो यहां पर होना चाहिये। इसलिये मान्यवर, मैं आज़म साहब का आभारी हूं कि वह खड़े हुये थे और मैनें समय ले लिया। मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, धन्यवाद।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-311 के तहत दिये गये नोटिस पर नियम-56 के अन्तर्गत आपने चर्चा मंजूर की है, बहुत गम्भीर और बहुत संवेदनशील विषय है। लेकिन अजीब बात यह है कि जहां से आतंकवाद शुरू हुआ हिन्दुस्तान में। दुनिया की बात तो बहुत बड़ी है, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर पर हमला हुआ और एक और इमारत थी अमेरिका की, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर के अलावा पेंटागन, उस पर हमला हुआ, जिसके बारे में अमरीका का यह मानना था कि यहां तो कुदरत का भी कोई दखल ही नहीं हो सकता इससे अन्दाजा होता है कि आतंकवाद और आतंकवादियों की जड़ें कितनी मजबूत हैं। अगर इसके इतिहास में जायेंगे तो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें यह भी अन्दाजा होगा कि आतंकवादियों को पैदा करने में पहल किसने की, वह लम्बी बहस है लेकिन खुद हमारे अपने देश में जहां से आतंकवाद शुरू हुआ, वहां आज आतंकवादी घटनायें कम हैं। लेकिन बाकी हिन्दुस्तान में, बाकी राज्यों में, राज्यों का नाम लेने की जरूरत नहीं है। जहां-जहां विस्फोट हुये, जिस-जिस तरह से हुये, उनकी भी जरूरत नहीं है। किसी के नाम की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि यह किसी के नाम या वर्ग से जुड़ी हुयी बात नहीं है। हिन्दुस्तान में हादसा होने के बाद पड़ोसी देश में भी हादसा होता है यह भी देखा गया कि इल्जाम भी किसी पर नहीं है। यह भी नहीं कहा जायेगा कि जो लोग आज केन्द्र की सरकार में हैं या प्रदेश की सरकार में है, उनकी पूरी जिम्मेदारी है। एक जुमला कहा अभी माननीय टण्डन जी ने, कि एक रस्मअदायगी सी है, यह बिल्कुल सच है। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसां हो गयी इतने ज्यादा आतंकवादी हादसे होने लगे, बम विस्फोट मारा जाना कि आदत सी पड़ गई है और हम सब लोग और सरकारें भी रश्म अदायगियां ही करती हैं। हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दी जा सकती, हर मोहल्ले, हर गांव, हर बस्ती को सुरक्षा नहीं दी जा सकती, यह बिल्कुल सच है लेकिन मान्यवर, कुछ माहौल नजर आना चाहिए और कम से कम उन स्थानों के बारे में जहां पहले से इत्तिला हो चुकी

हो, जहां की पहले से सूचना हो कि यहां हादसे हो सकते हैं। वहां कुछ लगे कि रोजमर्रा से आज कुछ मुक्तलिफ माहौल है। लखनऊ में हुआ, फैजाबाद में हुआ, अन्य जिलों में हुआ, बनारस में हुआ। बनारस में इससे पहले जब बम विस्फोट हुआ तो उसके बाद मान्यवर, मेरा वहां जाना हुआ, इससे पहले हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह हमारी आपसी नफरत का नतीजा नहीं है। बावजूद यह कि बहुत कोशिशें हुईं और यहां भी बार-बार यह कहा गया कि वोटों की सियासत से ऐसा हुआ। हम अपने आपको खामोश रखते हैं और अगर कोई व्यक्ति या दल इसलिये खामोश रहता है कि अमुक व्यक्ति या अमुक दल इससे वोट हासिल करता है और हमारा कहीं घाटा होता है तो वह भी राष्ट्रहित में नहीं कर रहा है। उसे खुल कर कहना चाहिए, उसे जहां उंगली उठानी हो, उठानी चाहिए, जहां पर चोट मारना चाहता है, उसे चोट मारनी चाहिए क्योंकि आज शायद उस चोट से फायदा होने वाला नहीं है। बनारस में जब बम विस्फोट हुआ तो वहां पर देखा यह गया कि हिन्दू-मुस्लिम इत्तिहाद उससे पहले कभी इतना नहीं था क्योंकि सबने यही तय किया कि यह हमारी आपसी नफरत का नतीजा नहीं है बल्कि कहीं और से इसकी डोर चलती है। इसलिये प्रदेश सरकार दिल्ली की सरकार को दोष दे ले, इससे कोई मामला हल होने वाला नहीं है। मैं एक कमजोर व्यक्ति हूं मसलन दूसरा भी कमजोर व्यक्ति है, उस पर कोई हावी हो जायेगा। मेरा शहर, मैंने जब टेलीविजन पंर स्टार न्यूज पर एक प्रोग्राम देखा रामपुर के बारे में। अखबार आपने पढ़ा कि 6 दिसम्बर तक रामपुर को बहुत खतरा है। मान्यवर, पूरा शहर खौफ के आलम में आ गया, हर व्यक्ति के चेहरे पर मायूसी आ गई, पता नहीं 6 दिसम्बर को क्या होने वाला है। जब प्रदेश सरकार को यह मालूम हो गया कि फलां-फलां जिले खतरे में हैं, वहां कुछ हो सकता है तो मान्यवर, कुछ तो ज्यादा एहतियात होना चाहिए था, कुछ तो वहां की ज्यादा सुरक्षा होनी चाहिए थी। मोटे तौर पर जो हमारा तजुर्बा हुआ वह यह हुआ कि सायकिल के हैन्डिल पर टंगे हुए थैले में अगर कोई चीज हो सकती है तो वह बम हो सकती है। मोटर सायकिल की डिग्गी में रखी कोई चीज हो सकती है तो बम हो सकती है, कोई लावारिस चीज कहीं पड़ी है तो वह बम हो सकती है और यह कहां होगा, जहां लोग ज्यादा मात्रा में मौजूद होंगे। उसके लिये घने बाजार हैं, इबादतगाहें हैं या हमारे अपने फंक्शन्स हैं, शादी है, ब्याह है, सेमिनार हैं, सम्मेलन हैं, जिसका हवाला दिया है अभी टण्डन जी ने। तो जिन शहरों के बारे में मालूम हुआ, तो मेरी अपनी जिज्ञासा यह है और मेरी अपनी फिक्रमंदी भी यह है कि आखिर उन शहरों की सुरक्षा के लिये सरकार की तरफ से क्या कदम उठाये गये। मैं कल रात तक की बात कह रहा हूं कि जिस शहर का नाम आया, वहां यह तो जरूर हो रहा है कि मोटर सायकिल पर तीन बैठे हैं तो रोके जा रहे हैं और जिसके पास सौ रुपया है वह जाने दिया जा रहा है और जिसके पास सौ रुपया नहीं है उसका चालान हो रहा है। इससे आतंकवादी घटनाओं पर कोई काबू नहीं पाया जा सकता। घने बाजार, इबादतगाहें, हमारे फंक्शन्स, वहां पर एक व्यक्ति भी, मैं अपने यहां की बात कर रहा हूं, पूरा प्रदेश बहुत बड़ा है मैं बहुत छोटा हूं लेकिन जहां से मैं आता हूं वहां के लिये मैं जानना चाहता हूं कि जब एक शहर का नाम आ गया है तो वहां पर एक व्यक्ति की भी ज्यादा ड्यूटी लगी हो तो बतायें। हम जानते हैं कि हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज हैं पुलिस के पी0ए0सी0 के, तो हम पैरा मिलिट्री फोर्सेज को उन जिलों के लिये मांग सकते थे। अखबार में निकला है, कल के अखबार की सुर्खी है कि क्या इस शहर को ऐसे बचाया जायेगा कि यहां बम निरोधक दस्ता नहीं है या अभी तक नहीं पहुंचा है, यहां वह कुत्ते नहीं हैं

जो बमों को सूंघ लेते हैं। कोई व्यवस्था नहीं है लिहाजा जब वह शहर जो फेहरिस्त में हैं, जिनमें मेरे अपने शहर रामपुर का भी नाम है, अगर वहां यह सहूलियतें नहीं हैं तो क्या मैं प्रदेश सरकार से यह जान सकता हूं कि हम नहीं रोक सकते इसमें कोई दो राय नहीं कि जिसने यह तय कर लिया कि मुझे मरना है, फिर उसके सामने जिन्दगी का अर्थ ही क्या है ? दूसरों की जिन्दगी कैसे बचेगी ? हम इसे नहीं रोक सकते लेकिन हम क्या कोशिश करेंगे, अगर हम कोशिश करेंगे तो हम अपने-आप मुतमईन करेंगे, दूसरों को मुतमईन करेंगे। आप यह नहीं कह सकते कि केन्द्र सरकार ने हमें इसकी सूचना नहीं दी थी, जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। प्रदेश सरकार उन जिलों के बारे में जहां के नाम आ गये हैं वहां पर क्या-क्या सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम है कि कैसे बढ़कर रोकने की कोशिश की जा सकती है मैं केवल इतना जानना चाहता हूं ?

*श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत गम्भीर विषय पर सभी वरिष्ठ नेताओं ने जो परिचर्चा की है उसके बाद सरकार को सोचना चाहिए कि सर्व-दलीय नेताओं की बैठक बुलाकर उस पर गम्भीरता से चिन्तन करें और एक व्यापक चर्चा करके पूरे प्रदेश के लिये एक नीति बनायें। मान्यवर, आतंकवाद की जड़े बहुत गहरी होती जा रही हैं। सभी को पता है कि पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद की दहशतगर्दी खत्म हुई तो उत्तर प्रदेश में दहशतगर्दी बढ़ाने के लिए आतंकवादी अपनी जड़ें उत्तर प्रदेश में फैला रहे हैं। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि खुफियातंत्र किसका कमजोर था, उत्तर प्रदेश की सरकार या केन्द्र सरकार की ?. मान्यवर, यह बात बहुत गम्भीर है। जहां तक आम आदमी के जानमाल का सवाल है, आम जन-मानस भी अपने को सुरक्षित नहीं कर पा रहा था। अभी तक लूटपाट, झगड़े से जनता त्रस्त रहती थी लेकिन अब आतंकवाद से जनता त्रस्त है। कहां बम का धमाका हो जाए, यह किसी को नहीं पता ? एक आम आदमी को नहीं पता कि वह सुरक्षित है या नहीं है ? 16 नवम्बर, 2007 को जब 3 आतंकवादी पकड़े गये तो उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी का अपहरण करने के लिये वह प्रदेश में आये थे और उनके माध्यम से और बड़े आतंकवादियों को छुड़वाना चाहते थे। जिस तरह से वकीलों ने उनका बचाव किया और राहुल गांधी की बात को लेकर वकीलों ने उन सभी आतंकवादियों के साथ गुस्ताखी की और उनका केस लड़ने से मना कर दिया उसका नतीजा हुआ कि वकीलों को सबक सिखाने के लिये 3 स्थानों पर सीरियल ब्लास्ट हुए, फैजाबाद, वाराणसी और लखनऊ में कचेहरी में लगभग एक ही समय में ब्लास्ट किये गये। मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है। इस तरह से केन्द्र सरकार को आरोपित नहीं कर सकते। आज स्थिति यह है कि प्रदेश में तमाम शहर इस आतंकवाद की गिरफ्त में है। आप दूर क्यों जाते हैं, मथुरा जनपद की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, वहां गोवर्धन की परिक्रमा होती है, बांके बिहारी के मन्दिर में रोज हजारों लोग दर्शन के लिये आते हैं, बरसाना में आते हैं, इस्कान टेम्पुल है, द्वारकाधीश का मन्दिर है, विश्राम घाट है, वहां पर कभी भी इस तरह की घटनायें हो सकती हैं। जब इस तरह की घटनायें होती हैं तो पूरे प्रदेश में न्यायालयों की व्यवस्था के लिये पुलिस ने दौरे किये व पुलिस लगायी गयी लेकिन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब दहशत कम हो जाती है तो फिर ढुलमुल रवैया अपनाते हैं। हमें बराबर सजग रहने की जरूरत है न कि आरोप प्रत्यारोप करने की। माननीय अध्यक्ष जी, इसे गम्भीरता से लेना होगा और सरकार को चिन्तन करना होगा। इस मामले पर व्यापक चर्चा की आवश्यकता है और मेरा अनुरोध है कि उच्चस्तरीय बैठक बुलाकर चर्चा करायी जाए।

*श्री मुख्तार अंसारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आतंकवाद हमारे प्रदेश का एक गम्भीर मामला है और इस गम्भीर मामले को जिस तरह हम लोग आपस में छींटाकशी करके चाहते हैं कि आगे बढ़ें और उस पर अंकुश लगायें तो यह होने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि सभी दलों के नेताओं की एक बैठक करके आतंकवादियों से निपटने के लिए एक ऐसा सख्त कानून बनाया जाए जिसमें आतंकवादियों का केस ऐसी अदालत में चले जो मात्र एक महीने में ट्रायल फाइनल करके चौराहे पर खड़ा करके उनको फांसी दीजिए। मैं समझता हूं कि जब सख्ती की जायेगी तब जाकर हमारे प्रदेश में जो आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं उसमें रोक लगाई जा सकती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे मजहब को बदनाम करने की कोशिश करते हैं जैसे उस दिन बम फटा तो लोग कहने लगे कि यह इस्लामी आतंकवादी है। ऐसी बातों से उन लोगों को परहेज करना चाहिए। हम सभी लोगों को मिल बैठ कर ऐसा कानून बनाना चाहिए कि इस बड़ी समस्या से निपटने के लिये जल्दी से जल्दी कैसे निपटा जा सके ? आतंकवादी एक तो पाकिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं लेकिन हमारे ही प्रदेश के रहने वाले कुछ ऐसे आतंकवादी हैं जो आतंकवादियों को शरण देते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनके लिये साइकिल ख़रीदते हैं ऐसे सभी लोगों की जांच कराकर एक दो महीने के अन्दर ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि ऐसे सभी लोगों को ट्रायल करके उनको चौराहे पर खड़ा करके फांसी दिलवा दें मैं कह सकता हूं कि इससे निश्चित रूप से आतंकवाद पर रोक लगेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल-

अध्यक्ष महोदय, मैं वहा मौजूद था यह आतंकवादी घटनाएं किसी की सरकार में हो सकती है। यह सही है कि तमाम सरकारों में यह आतंकवादी घटनाएं घटित हुई हैं लेकिन जिस समय जिसकी सरकार रहती है उसकी गम्भीरता, उसकी संवेदनशीलता से लोग आस लगाये बैठे रहते हैं। जो वाराणसी में घटना घटित हुई सवा एक बजे घटना घटित हुई उसमें 9 लोग मारे गये 9 लोगों की शिनाख्त 3 बजे तक हो गयी थी कि किन-किन घर के लोग मारे गये सरकार को संवेदनशील होना चाहिए लोगों के प्रति ललक होनी चाहिए जो वहां देखने को नहीं मिली। मैं वहां 10 बजे तक पोस्ट मार्टम हाउस में था मैंने डी0एम0 से कहा, सी0एम0ओ0 से कहा तमाम लोगों से कहा लेकिन तुरन्त पोस्ट मार्टम नहीं कराया गया जबकि सरकार जानती थी कि ऐसी घटना घटित हुई है तो उसका तुरन्त पोस्ट मार्टम कराया जाना चाहिए था। वहां पर किसी प्रकार की कोई गम्भीरता देखने को नहीं मिली। एक लड़का जो बूट पालिस करता था मनोज कुमार सन आफ बालाजीत, कोहडर जिला अम्बेडकर नगर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसका जब पोस्ट मार्टम होना था उस समय न तो तहसीलदार थे न नायब तहसीलदार थे न ही कोई अधिकारी था। जब पैसे की जरूरत पड़ी तो मैंने एक हजार रुपये अपने परिचित ज्येष्ठ ब्लाक प्रमुख से उधार लिये क्यों संयोग से उस समय हमारे पास भी पैसे नहीं थे। मैं कहना चाहता हूं कि घटनाएं किसी के साथ घटित हो सकती हैं। सरकार जनता के लिये होती है, प्रदेश के लिए होती है, देश के लिए होती है। संवेदनशील मसलों पर उसे संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो लोग मारे गये हैं उनके परिवार वालों को सहायता की राशि पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की जाय।

श्री लालजी यादव-

अभी मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा तथा मेरे समर्थकों ने भी बताया कि सिद्धार्थनगर जनपद के विधायक माता प्रसाद पाण्डेय, पूर्व विधान सभा अध्यक्ष, विधायक कमाल मलिक यूसुफ पूर्व मंत्री इन चार-चार दिग्गजों के असलहे निरस्त करने की कार्यवाही हुई, अपराधिक मुकदमें दर्ज हैं। मैंने 1991 में पहला चुनाव लड़ा था। मेरे ऊपर आपराधिक मुकदमा लगाकर मेरा लाइसेंस निरस्त किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य बैठ जायं। आपका व्यक्तिगत मामला हैं यह तो आतंकवाद का प्रकरण चल रहा था।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इनका अपना व्यक्तिगत मामला है इसको अलग से ले लीजियेगा। माननीय सदस्य आप इसके बारे में कल किसी नियम के अन्तर्गत अपनी सूचना दे दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष-

मैं भी यही कह रहा हूं कि आतंकवाद का इतना गम्भीर प्रकरण चल रहा है वह इससे हल्का हो जायेगा। आप कल अलग से दे दीजियेगा। नये विधायक हैं, उनकी बात भी आ जानी चाहिए।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। दर्शक दीर्घा का संज्ञान लेना हमारा काम नहीं है। गृह सचिव से लेकर मुख्य सचिव तक कोई अधिकारी यहां पर मौजूद न हो जब कि इतने गम्भीर विषय पर सदन के सभी सदस्य अपने-अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। इससे ज्यादा उपेक्षा सदन की और क्या हो सकती है ?

(संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने तथा श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

सिरोही जी, अब क्या रह गया ? सारी बात आ गई है, अब आप बैठ जायं। मैंने संसदीय कार्य मंत्री को बुला लिया है। आपके वरिष्ठ नेता अपने विचार रख चुके हैं। चलिये बोलिये क्या कहना है।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

माननीय अध्यक्ष जी, आज हम इस सदन में बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत कर रहे हैं, चर्चा हो रही है। 18 करोड़ लोगों की सुरक्षा का प्रश्न है। हम जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं इस 18 करोड़ लोगों ने ही हमको चुनकर यहां भेजा है और उस 18 करोड़ लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। आप हों, हम हों, माननीय मुख्य मंत्री जी हों, हम सब इसी 18 करोड़ में शामिल हैं। आज जब सदन में इतने गम्भीर विषय पर चर्चा हो और इस सदन की नेता सदन में न हों, विपक्ष के सबसे बड़े दल समाजवादी पार्टी के नेता सदन में न हों, गृह विभाग के अधिकारी यहां पर मौजूद न हों। इससे प्रदेश की जनता में क्या मैसेज जायेगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, आप हमारे संरक्षक हैं। विधान सभा में 403 विधायकों के संरक्षक आप हैं। इस प्रदेश की 18 करोड़ जनता के संरक्षक आप हैं। उनकी जीवन की सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न जिस पर चर्चा हो रही है, इसको इतने हल्केपन से लिया जाय। आप मेरे कहने से पहले कह रहे थे कि सरकार का पक्ष आ जाय। मान्यवर, सरकार का पक्ष कौन रखेगा ? एक कैसेट में भरी आवाज बहन मायावती के नेतृत्व वाली सरकार जन-जन की सुरक्षा करेगी, नियमों के अनुसार कार्यवाही करेगीं आज उस सरकार का पक्ष किस तरह से रखा जायेगा। मान्यवर, हम लोग यहां पर इस सदन में इधर से उधर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जब इधर बैठते थे तो उधर की चर्चा करते थे, सरकार पर आरोप लगाते थे और कहते थे कि इसके लिये उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। लेकिन आज जब उधर बैठे हुए हैं तो वे केन्द्र सरकार को इसके लिये जिम्मेदार बता रहे हैं। मान्यवर, आज यह जिम्मेदारी यह होनी चाहिए कि आखिर इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? केन्द्र सरकार या प्रदेश सरकार। हम लोग आपस में इस तरह से एक दूसरे को जिम्मेदार बताते रहेंगे तो उन गरीबों का क्या होगा जो कि इन हादसों में मारे जाते हैं। वे वकील जो कि सारे समाज के प्रति चिन्ता करते हैं। आतंकवाद के बारे में जिसने चिन्ता की उनको मारा जाता है। फिर भी हम चेत नहीं सकते हैं। आज हमारे दो-तीन जिले आतंकवाद की चपेट में है। हम बारूद के कगार पर बैठे हैं यह जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है यह आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर सकती है।

श्री अध्यक्ष-

बात आ गई है।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

हमें दूसरी व्यवस्था सोचनी पड़ेगी। आतंकवादियों के पास लेटेस्ट टेक्नौलॉजी, लेटेस्ट हथियार, वह इन सबका इस्तेमाल करते हैं और हमारे सिपाही जिनके पास दो-दो रायफल जो कभी चला नहीं करती हैं वह भी बदमाश छीनकर ले जाया करते हैं क्या वह आतंकवाद की चपेट से लोगों को बचा सकेंगे। हम चाहते हैं इस पर चर्चा हो आप निर्देश दें। जब बहन मायावती जी माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में हो, माननीय मुलायम सिंह यादव जी सदन में हों, सारे लोग हों सारे गृह विभाग के अधिकारी सदन में हों तो इस पर चर्चा हो और तय हो कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा ? इन आतंकवादियों को कौन पकड़ेगा, इन आतंकवादियों को कौन मारेगा ? इस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है। यह व्यवस्था बदलेगी तो सारे लोग प्रशंसा करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, 23-11-2007 को दिन में लगभग एक बजे से लगभग 1:30 बजे की बीच, जनपद लखनऊ दीवानी न्यायालय परिसर में, जनपद वाराणसी के कलेक्ट्रेट कचहरी परिसर में, जनपद फैजाबाद के कचहरी परिसर में विस्फोट की घटना हुई। मान्यवर, हम इस घटना की घोर निन्दा करते हैं और मृतकों के प्रति शोक संवेदनायें व्यक्त करते है। साथ ही साथ हमारी कामना है कि जो घायल हैं और वह जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ करें। मान्यवर, इस घटना को प्रदेश सरकार ने और प्रदेश सरकार की मुख्य मंत्री ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। इसका प्रतिफल है कि उन्होंने तत्काल उसी दिन तीनों घटना स्थलों का दौरा किया और अस्पतालों में भी जहां घायल भर्ती थे वहां उन्होंने जाकर उनका हालचाल लेने का काम किया। मान्यवर, यह आतंकवादी घटना आज केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, केवल भारत देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने एक चुनौती है इस घटना में, तीनों घटनाओं में मिलाकर 13 व्यक्ति मारे गये। 30 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए एवं 47 लोग सामान्य रूप से घायल हुए। इन घायलों को जो मृतक थे उनके परिवारजनों को पांच-पांच लाख रुपये, जो गम्भीर रूप से घायल थे उनको एक-एक लाख रुपये और जो सामान्य घायल थे उनको 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदेश के मुख्य मंत्री जी के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई। मान्यवर, तीनों जनपदों में संदिग्ध व्यक्तियों के स्केच जारी किये गये हैं। किन्तु अभी तक इस घटना में सम्मिलित किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। प्रदेश सरकार ने इस घटना को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और इसीलिये प्रदेश सरकार ने आतंकवादी घटना की रोकथाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रदेश में आतंकवादी निरोधी दस्ते का गठन किया गया है। इस दस्ते का मुख्यालय लखनऊ में होगा। प्रदेश के पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों के लिये अलग-अलग वाराणसी तथा मेरठ में एस0टी0एफ0 की दो नई इकाइयां स्थापित की गई जिसका नेतृत्व पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी करेंगे। यह इकाइयां आतंकवादियों और कुख्यात आतंकवादियों के विरुद्ध मुहिम चलायेगी। अभिसूचना तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक अलग कैडर गठित किया जा रहा है जो पूरी तरह से अपने कार्यों में निपुण होगा। अभिसूचना इकाई को पूरी तरह से मजबूत एवं अत्याधुनिक यंत्रों से सुसज्जित किया जा रहा है। रुपया 6.75 करोड़ की धनराशि से हाइटेक सर्विलांस एवं अत्याधुनिक उपकरणों का क्रय करके इकाइयों को सुदृढ़ किया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालयों की सुरक्षा के और कड़े प्रबन्ध किए जा रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ के साथ-साथ जनपद न्यायालयों में डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर तथा हैण्ड हैल्ड मेटल डिटेक्टर तथा रिफलेक्टर सर्च मिरर लगाये जायेंगे। न्यायालय में आने वाले वाहनों की निर्धारित स्थानों पर ही पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। इन सभी व्यवस्थाओं को क्रियान्वित करने की दिशा में कार्यवाही शुरू हो गयी है। इस बारे में प्रमुख सचिव, गृह की अध्यक्षता में प्रोटेक्शन रिव्यू ग्रुप की बैठक भी हो चुकी है। इन सुरक्षा व्यवस्था को लागू करने में बार एसोसियेशन का भी पूरा सहयोग प्राप्त करने हेतु प्रमुख सचिव, गृह की ओर से अनुरोध पत्र भेजा जा चुका है। आतंकवादियों और कुख्यात अपराधियों

को जब बार-बार पेशी के लिए अदालतों के परिसर में लाया जाता है तो हमेशा जनता के आक्रोश का खतरा बना रहता है इसके अलावा उनके भागने तथा उनके अपने सहयोगियों के साथ कूट रचना करके कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने का भी खतरा रहता है। इसके दृष्टिगत पकड़े गये आतंकवादियों एवं कुख्यात अपराधियों के मामलों की सुनवाई जेलों में ही कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है। जिला न्यायालयों के सेशन कोर्ट में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सुनवाई करने हेतु कानून में आवश्यक बदलाव लाकर मा0 उच्च न्यायालय की सहमति से कार्यवाही की जायेगी। इसके लिये न्यायालयों के साथ-साथ जेलों में भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग की व्यवस्था होगी। दण्ड प्रक्रिया संहिता में इसी के दृष्टिगत संशोधन विधेयक आज प्रस्तुत किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से घुसपैठ की समस्या को देखते हुए प्रदेश की सीमाओं को सुरक्षित करने के उपाय करने का भी अनुरोध किया गया है। मान्यवर, अभी हमारे तमाम साथी अपनी चर्चा में जिक्र कर रहे थे, माननीय टण्डन जी ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी गम्भीर नहीं हैं। मान्यवर, पहली बार इस घटना के बाद उसी दिन ही, इसके पहले भी जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, उसी दिन किसी भी मुख्य मंत्री ने वहां जाने का काम नहीं किया था। लेकिन पहली बार उसी दिन प्रदेश की मुख्य मंत्री जी ने वहां जाने का काम किया है। मान्यवर, अभी चौधरी साहब जिक्र कर रहे थे कि हमने 10-10 लाख रुपये दिये थे, मृतकों को। 6 मार्च, 2006 को बनारस में जब घटना हुई थी तब भी मृतकों को 5-5 लाख रुपये और घायलों को 50-50 जहार रुपये दिये गये थे। आज उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री जी द्वारा गम्भीर घायल को एक-एक लाख रुपया और सामान्य घायलों को 50-50 हजार रुपये देने का निर्णय किया गया है। इसी के साथ-साथ मेरा यह मानना है कि सब लोगों को मिलकर यह आतंकवाद की घटना है, यह किसी एक पार्टी या किसी दल का नहीं है, यह हमारे लिये चुनौती है और इस चुनौती को हम सब लोग मिलकर ही मुकाबला कर सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है और प्रदेश सरकार की जो चाहत है कि प्रदेश में अन्याय, अत्याचार, भय और आतंक को मिटाने का काम किया जाय और उस दिशा में प्रदेश सरकार ठोस निर्णय लेकर इस आतंकवाद की समस्या को, दोबारा ऐसी कोई घटना न होने पाये, उसके लिये पूरी तरह सचेत है और कार्यवाही की जायेगी। अभी चर्चा के दौरान ही हमारे कुछ साथियों ने विशेष रूप से आदरणीय टण्डन जी ने जिक्र किया धैर्य का, मान्यवर, मैं भी बहुत दिनों से इस सदन में हूं, जितने धैर्य से विपक्ष के हमलों को सत्तापक्ष सुनता है और सहन करता है, ऐसा शायद ही किसी समय उदाहरण रहा हो। आज हम पूरी तरह से धैर्य के साथ जो आलोचना है, उसको सुनने के लिये तैयार है और हमारा मानना है आलोचना के माध्यम से हम कोई कारगर तरीका ढूंढ कर जो प्रदेश की समस्याएं हैं, उससे छुटकारा पाने का काम कर सकते हैं। मान्यवर, जहां तक आतंकवादी घटनाओं की बात है, उसके लिये पूरी तरह से प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार का नेतृत्व करने वाली मुख्य मंत्री, बहन कुमारी मायावती जी सचेत है और उसके लिये कई ऐसे उपाय जिसकी मैंने चर्चा किया है, किये गये हैं, हमें पूरा विश्वास है। मान्यवर, मैं इस प्रदेश की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इन तीनों घटनाओं के बाद भी धैर्य का प्रदर्शन करके प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करने में सहयोग करने का काम किया है। शान्ति बनाये रखने का काम किया है। इसके लिये मैं प्रदेश की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, इसमें सभी दलों के नेताओं के विचार आ चुके हैं और इसलिये इसमें अलग से चर्चा कराने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। तो मैं चाहूंगा

कि सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाहियों के परिप्रेक्ष्य में इस कार्य स्थगन की सूचना को अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपये दिये जाने के मामले पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। मृतकों में जो अधिवक्ताओं के आश्रित है और जो अन्य लोग उसमें मारे गये हैं उनके परिवार वालों को 10-10 लाख रुपये दिये जायं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने कहा है कि मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपये दिया गया है।

श्री प्रमोद तिवारी-

आप 5-5 लाख कह रहे हैं और में 10-10 लाख कह रहा हूं।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

मान्यवर, मुझे केवल इतना कहना है कि जब यह घटना हुयी तो होता यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी का एक तूफानी दौरा होता है और कुछ रुपये देकर दौलत से जिंदगी को तौला जाता है। मान्यवर, घायलों को 50 हजार रुपये दिये गये हैं। मान्यवर, मै बताना चाहती हूं कि आज एक घायल, सिंह मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मलदहिया, वाराणसी में 30 नम्बर बेड पर भर्ती है। लेकिन अस्पताल ने 80 हजार रुपये का बिल दिया है। अगर वह बिल न दें तो यह बिल और बढ़ेगा और अगर दे तो कहां से दें। इसलिये सरकार ने जो 50 हजार रुपये की व्यवस्था की है उससे सीमा ना बांधे, बल्कि अस्पताल में जो दवा का बिल है उसको दे दें। उसका नाम विजय पटेल है, बेड नम्बर 30 पर है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि सरकार को इसके लिये निर्देश देने का कष्ट करें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित किया है सभी की दवायें और इलाज मुफ्त हो। मैं इसको आज ही दिखवा लेता हूं। आज ही डी0 एम0 से बात करके उनका इलाज निःशुल्क कराने की व्यवस्था की जाएगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री श्याम देव राय चौधरी, श्री प्रमोद तिवारी, श्री लालजी टण्डन, श्री मोहम्मद आजम खां, श्री हुकुम सिंह एवं सभी वरिष्ठ माननीय सदस्यों और दलीय नेताओं को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। वैसे यह एक संवेदनशील विषय है और इस पर आप सभी के विचार और सुझाव भी आये और सरकार के भी विचार आये हैं। लेकिन यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है। मैं इसे अग्राह्य करता हूं। दूसरी सूचना श्री अब्दुल वारिस खां, डा0 अजय तोमर, श्री कौकब हमीद जी की है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, हम लोगों ने रसायनिक उर्वरक के सम्बन्ध में सूचना ही है। मेरा आग्रह है कि उसको कल पहले ले लें।

(समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्यों द्वारा बुन्देलखण्ड के विषय पर सूचना के सम्बन्ध में बोलने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष-

जब कल चर्चा हो ही रही है, तो आज इस पर चर्चा क्यों चाहते हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, बुन्देलखण्ड वाला कल ले लें।

श्री प्रमोद कुमार तिवारी-

मान्यवर, बनारस से जुड़ी एक घटना है। तीन चार दिन पहले आप वहां गये थे, आपके लड़के की शादी हुई थी, आपने सदन में किसी को बुलाया नहीं था, तो उस बनारस वाली घटना के बारे में बता दें कि आगे क्या विचार है ?

श्री अध्यक्ष-

7 तारीख को आप आमंत्रित हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जो तिवारी जी ने सवाल उठाया है उनका मात्र उद्देश्य भोज पूरा होने से नहीं है बल्कि बारात लेकर जाते समय आपने जिन-जिन लोगों को जिन-जिन विशेष स्थितियों में देखा प्रमोद तिवारी जी उन स्थितियों में शामिल होना चाहते हैं। उनका अलग से नृत्य करा दीजियेगा तब जाकर यह आयोजन पूरा करेगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, बुन्देलखण्ड वाला कल नम्बर-2 पर ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे कल ले लेंगे। बुन्देलखण्ड की सूखे की समस्या सब लोग एक बार कह देंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं तैयार हूं। मेरा जोड़ीदार अम्बिका चौधरी जी रहेंगे इसकी व्यवस्था करा दें।

श्री अब्दुल वारिस खां-

मान्यवर, गन्ने की समस्या के बारे में प्रकाश डालना चाहता हूं। मैं विस्तृत रूप से नहीं कहूंगा। मैं अपने गृह जनपद की समस्या ही रखूंगा। हमारे मुजफ्फरनगर, जानसठ क्षेत्र में किसानों द्वारा गन्ना जलाया गया क्योंकि मिल मालिकों द्वारा नहीं लिया जा रहा था। यह गन्ना सामान्य प्रजाति का था और मिल मालिक अरली प्रजाति का गन्ना ले रहे थे। मान्यवर, सरकार ने अभी कहा कि बकाया का भुगतान नब्बे प्रतिशत कर दिया है। मान्यवर, मैं इस बारे में माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि थाना भवन शुगर यूनिट है बजाज हिन्दुस्तान लि0 की, इस पर 29 करोड़ का बकाया था केवल तीन करोड़ के बकाये का भुगतान किया गया है। केवल दस प्रतिशत ही भुगतान किया है। मान्यवर, अभी कृषि मंत्री ने कहा था कि साठ प्रतिशत गेहूं की बोआई हो पायी है उसका मुख्य कारण गन्ना खेत में खड़ा हुआ है। खाली खेत नहीं है तो किसान कहां से बोआई करेगा, तो मैं यह निवेदन करना

चाहता हूं कि मिल मलिकों को यह आदेश करें कि सामान्य प्रजाति का गन्ना भी असली प्रजाति के साथ लिया जाय। मान्यवर, एक बिन्दु पर और प्रकाश डालना चाहूंगा, मेरे क्षेत्र में ऊन शुगर काम्पलेक्स पड़ता है जिसकों इस वर्ष कुछ गन्ना क्रय केन्द्र शेरमऊ शुगर मिल सहारनपुर को दे दिये गये। इन दस गन्ना क्रय केन्द्रों को पुनः अब शुगर काम्पलेक्स को आरक्षित कर दिये जाये क्योंकि यह तर्क दिया गया था कि पांच लाख तिहत्तर हजार क्विंटल गन्ना पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार इस मिल को कम दिया गया है। हमारा यह निवेदन था कि इन दस गन्ना क्रय केन्द्रों में से जितने भी पांच लाख तिहत्तर हजार क्विंटल के अनुपात में बैठते हैं, वह मिल को आरक्षित कर दिये जायें। लेकिन कई बार अनुरोध करने के बाद भी कोई फैसला नहीं लिया गया। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे जल्दी से जल्दी करायें।

*डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, आपने मुझे नियम-56 पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, गन्ना किसान उत्तर प्रदेश की रीढ़ है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, गन्ने पर चर्चा हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष-

इन पर तो हो चुका है। एक माननीय सदस्य अपने विधान सभा क्षेत्र का व्यक्तिगत दिये हैं कि पेराई नहीं हो रही है उस पर बोल रहे हैं।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, किसान उत्तर प्रदेश की रीढ़ है और उसके बाद अभी तक पश्चिम उत्तर प्रदेश की कुछ मिलें और पूर्वांचल की आधे से ज्यादा शुगर मिलें नहीं चल रहीं है। दूसरी तरफ किसानों की यह स्थिति है कि मिल लेट चलने की वजह से किसानों को अपना गन्ना या तो क्रेशरों पर आधे-पौने दाम 40 और 50-60 रुपये कुन्तल बेचना पड़ रहा है, उन्हें अपने घर की परेशानियों के लिए, गेहूं की बुवाई कें लिए बीज, गेहूं की बुवाई के लिए डी0ए0पी0, यूरिया आदि खरीदने के लिए साहूकारों के यहां जाना पड़ता है। एक तरफ गन्ना की कई मिल न चलने के कारण गन्ना किसान अपना खेत खाली नहीं कर पा रहा है दूसरी तरफ पिछले पेराई सत्र का मान्यवर आज तक पूर्ण पेमेण्ट नहीं किया गया है। जब गन्ना किसानों के पास गेहूं बोने के लिए आज अपने संसाधन जुटाने के लिए पैसे की भारी कमी है वह ऊपर से कर्जदार होता जा रहा है। मान्यवर, मेरा यह कहना है कि इन गन्ना किसानों का बकाया भुगतान के लिए कोई ऐसी नीति सरकार बनाये या तो प्राईवेट मिल मालिकों से दे या सरकार उनकी कोई आर्थिक सहायता या वैकल्पिक व्यवस्था ऐसी करे कि गन्ना किसानों का पिछले सत्र का भुगतान तत्काल होना निश्चित हो सके तथा जो बाकी के जो शुगर मिल मान्यवर, बचे हुए हैं उनके भी एक-दो दिन में चलने की व्यवस्था कराई जाये ताकि समय रहते गन्ना खेत से कट सके और किसान गेहूं की फसल बो सके। इसके साथ-साथ मान्यवर, आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री राय जी, बकाये पर बहुत चर्चा हुई, दो घण्टे सुन लिया गया, श्री कौकब साहब की नोटिस है, इनकी सूचना है, गन्ना सत्र में समय से पेराई न होने के बारे में। इससे आगे कुछ नहीं। गन्ना भुगतान के बारे में बहुत चर्चा हो गई है, सुझाव भी आ गये हैं और सरकार का पक्ष भी आ गया है। अब माननीय कौकब जी आप अपनी बात कहें।

श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, बकाया पर सदन में चर्चा भी हो गई और सारे सदन को मालुम भी है। मान्यवर, एक बात मैं कहना चाहता हूं, यह सदन जो है यह कम से कम बैठ कर सिर्फ कहानी सुनने की एक जगह नहीं होनी चाहिए। तीन बार वायदा हो चुका, तीन बार घोषणा हो चूंकि सरकार की, कि हम अब चलायेंगे, हम अब चला देंगे, दो तक चला देंगे, 15 तक चला देंगे और जो पैसा बकाया है वह भी दिलवा देंगें मान्यवर, 60 फीसदी किसान, गन्ना किसान है उसके बाद अगर गन्ने की मिल नहीं चल सकती और कोई चला नहीं पा रहा है तो यह सरकार स्पष्ट यह करे कि हम उनको नहीं चलवा पा रहे हैं और कोई न कोई व्यवस्था जो गन्ने के खेतों की है उसको देखते हुए कुछ किया जाये मान्यवर, आपका गेहूं बोया नहीं जा पा रहा है क्योंकि गन्ना की पेराई नहीं हो रही है मान्यवर, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह सरकार यह बात एक बार तय कर दे कि कब वह फैक्ट्रियां चलायेगी एक डेट दे दें आपका संरक्षण हो जाये और यह एक डेट दे दें कि इस दिन सारी चल जायेंगी। तीन बार हो चुका है, सदन में तीन बार यह बात हो चुकी है और आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं जानकारी के लिए बता दूं मान्यवर सरकार को कि आपने जो आपके केन कमिश्नर, डिप्टी केन कमिश्नर जो जी0ओ0 भेजते हैं, सेण्टर लगाने के जो आदेश देते है उनका भी प्राइवेट मिल पालन नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, यह स्थिति है, और यह स्थिति अगर और पांच-सात दिन बढ़ गई तो आपकी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जायेंगीं। मुझे और कुछ नहीं कहना है, मेरे साथियों ने सारी बातें कह दी कि सरकार यह तय करे और आज घोषणा यह करे कि हम एक निश्चित तारीख तक आपकी शुगर फैक्ट्रियां चलवा देंगे चाहे वह पूरब की हों, चाहे पश्चिम की हों, चाहे सरकारी हों, चाहे गैर सरकारी हों, को-आपरेटिव हों या निजी हों मान्यवर, यह आज तय कर देना चाहिए, यह अगर तय नहीं करती तो फिर हम यह मान कर चलते है कि सरकार ने अपने हाथ खड़े कर लिये और यह मान लिया सरकार ने कि हम इस बारे में बिल्कुल बेकार हो चुके अब हम गन्ने के बारे में, गन्ना किसान जो चाहे करे, चाहे अपने गन्ना खेत में आग लगाये या जो भी चाहे वह करे, सरकार उससे बिल्कुल बेपरवाह है, यह बात आज तय कर दे और मान्यवर, यह भी तय कर दे साथ-साथ कि जो पिछला पेमेण्ट है, जिसकी बात आ चुकी है उसकी भी तारीख तय कर दे कि कब तक दिलवा दोगे। यह निश्चित तो नहीं हो सकता कि हम दो साल में दिलवा देंगे, दस साल में दिलवा देंगें, किश्तों में दिलवायेंगें, अभी तो सूद की बात हुई थी, 15 फीसदी आप ब्याज देंगें जो पेमेण्ट आपने नहीं किया उसका तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ, यहां तो घोषणा हो चुकी है इस बारे में। तो मान्यवर, यह सदन सिर्फ घोषणाओं का केन्द्र नहीं होना चाहिए। यह सिर्फ घोषणाओं का केन्द्र हो गया और घोषणा एक भी साबित नहीं हो पा रही है मान्यवर, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

माननीय राय साहब, जिनकी सूचनायें थीं, उनको हमने बोलवा लिया, अब कोई चर्चा तो हो नहीं रही है। अब मैंनें माननीय गन्ना मंत्री जी को बोलने के लिये कह दिया है, अब आप लोग बैठ जायें।

श्री अध्यक्ष-

पेराई सत्र शुरू होने के सम्बन्ध में जानकारी चाह रहे हैं। राय साहब बैठ जायें सिरोहा जी बैठ जायें।

लोक निर्माण, सिंचाई, आबकारी तथा गन्ना विकास मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, सिरोही साहब इसलिए नहीं बैठ रहे हैं क्योकि आप उन्हें सिरोहा कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

सिरोहा, सिरोही में अंतर है, हमारे यहां पूर्वांचल में सिरोही स्त्री लिंग में आता है।

(हंसी)

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में अभी पांच दिन पहले किसानों के बीच आपस में गोली चली है। जो जख्मी हुए हैं वह लोग अस्पताल में भर्ती पड़े हुए हैं। मान्यवर, हमारे यहां किसान लोग बराबर मांग करते हैं कि कलेण्डर जारी हो पर्चियों का, अगौता चीनी मिल का। किसान मारा-मारा फिरता है और मिल मालिक गन्ना माफिया जो हैं उनको अलग से पर्ची दे देते हैं। वह गन्ना माफिया ट्राली लेकर आते हैं और वह किसानों से झगड़ा करते हैं। इसलिए किसानों की मांग है कि कलेण्डर जारी हो पर्चियों का और मिल ठीक से चले। मिल जितने दिन चलनी चाहिए उतनी नहीं चल रही है। गन्ना मंत्री जी इस समस्या की ओर ध्यान दें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, चारों माननीय सदस्यों वारिस साहब, तोमर साहब, कौकब हमीद साहब और सिरोही साहब को मैंने सुना और नोट किया है। जहां तक चीनी मिलों को चलाने का सवाल है, माननीय सदस्यों का यह कहना था कि चीनी मिलें नहीं चली हैं या कम चली हैं तो आपको मैं तुलनात्मक स्थिति भी बताना चाहता हूं। 03 दिसम्बर, 2006 को जो स्थिति थी उसमें निजी क्षेत्र की 66 चीनी मिलें चली थीं और इस बार 3 दिसम्बर, 2007 तक 69 चीनी मिलें चल चुकी हैं यानि तीन चीनी मिलें पिछले वर्ष की अपेक्षा ज्यादा चली है। इसके अलावा जो टोटल है, सारी वास्तविक स्थिति आपके सामने रखना चाहता हूं। पिछले वर्ष 3 दिसम्बर को 106 चीनी मिलें चली थीं इसमें निगम और सहकारी क्षेत्र की भी शामिल है इस वर्ष जो चली हैं 102 चल चुकी हैं तो इस तरह से निजी चीनी मिलों के मामले में हमने ज्यादा चीनी मिलें चलवायी हैं। शेष जो चीनी मिलें चलनी हैं मान्यवर, जो निर्देश दिये गये हैं उससे मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग लगभग 15 दिसम्बर तक सभी चीनी मिलों को चलवाने में कामयाब होंगे। यह हमारा प्रयास है कि 15 दिसम्बर तक चला दी जायें। जबकि पिछले वर्ष अप्रैल तक चलती रहीं।

मान्यवर, भुगतान के बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने पूर्वाह्न में सारी बातें बतायी थीं। मैं अभी सदन से बाहर गया था और दूरभाष पर अधिकारियों से वार्ता की थी तो अभी सूचना सौ प्रतिशत तो सुनिश्चित नहीं हो सकती लेकिन मुझे मेरे अधिकारियों ने बताया है तो वह गलत नहीं होना चाहिये। मैं कार्यक्रम करूंगा मुझे बताया गया है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बताया था कि टोटल 1238.82 करोड़ रु0 बकाया है भुगतान के लिये और भुगतान का प्रतिशत 88.75 बताया था तो उसमें 104 करोड़ रु0 का लगभग और भुगतान हो गया है अब तक सूचना के अनुसार इस तरीके से कुल मिलाकर लगभग 1134.82 करोड़ रु0 का बकाया है। अब यह कहना कि प्रदेश सरकार किसानों के बकाया भुगतान के प्रति गम्भीर नहीं है यह सही नहीं है। हम तो इतने गंभीर हैं कि जवाब देने से अधिकारियों से पूछ लेते तो वर्तमान में क्या प्रगति है और किसानों का भुगतान कराने में लगे हुए हैं। मान्यवर, इससे स्पष्ट है कि बहिन मायावती जी के नेतृत्व में गठित यह सरकार किसानों के हितों के लिये पूरी तरह से सजग है।

पूरा हमारा प्रयास है भुगतान के बारे में, बाकी भारत सरकार के बारे में बताया ही था वह प्रयास चल रहा है इधर गन्ने के क्रय केन्द्रों के बारे में बात आई है, कैलेण्डर की बात भी रखी है। मैं माननीय सदस्यों से चाहूंगा क्योंकि स्पष्ट निर्देश दे दिये गये हैं कि किसानों को कैलेण्डर उपलब्ध कराया जाय, अगर कहीं से नहीं उपलब्ध हुए, किसी चीनी मिल के अन्तर्गत नहीं हुए, हो सकता है लापरवाही की गयी हो, मैं कह नहीं रहा हूं कि लापरवाही की ही गयी है, आपने मेरे संज्ञान में लाया है। अगर स्पेसिफिक कोई बताता है तो आज ही दिखवाकर मैं प्रयास करूंगा कि 24 घण्टे के अन्दर में उनको वह कैलेण्डर उपलब्ध हो अगर मुझे स्पेसिफिक बता देंगे कि फलां जगह की बात है। जहां तक पेराई की बात हैं तो मान्यवर, इस वर्ष 8 चीनी मिले निजी क्षेत्र में अतिरिक्त और चलाई जा रही है अन्य चीनी मिले, कुछ चीनी मिलों की पेराई क्षमता भी बढ़ाई गयी है। पिछले वर्ष जो पेराई हुई जो यह चिन्ता है माननीय सदस्यों की स्वाभाविक है। आते हैं सदन में तो किसानों की भी बात करना है, किसानों के हित की बात करना है और सरकार भी किसानों के हित में बारे में सोच रही है। पिछले वर्ष जो पेराई क्षमता 7.2 लाख टीसीडी थी और इस साल यह बढ़कर लगभग 8 लाख टीसीडी इस वर्ष कर दिया गया है। इस तरीके से पेराई क्षमता भी बढ़ी है। जहां तक अगौता चीनी मिल में गन्ना माफियों की बात सिरोही साहब ने कही है। सिरोही साहब पहली बार ऐसा हुआ है लगभग ढाई लाख फर्जी जो गन्ना किसान बने थे, गन्ना माफिया बने थे उनको एक-एक खसरा खतौनी से चेक करके उनको सूची से बाहर किया गया है और अगर आज भी वहां ऐसे गन्ना किसान सक्रिय हैं तो आप बता दीजिए उनके खिलाफ कार्यवाही होगी और अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजने में सरकार हिचकिचायेगी नहीं। आपके पास ऐसे लोगों की सूची होगी आप सूची उपलब्ध करा दीजिए। मान्यवर, जहां तक भुगतान की बात आई, पहली बार 31 अगस्त को निर्देश दिया गया कि भुगतान कर दें। वादा करने के बाद भी जब चीनी मिल मालिकों ने भुगतान नहीं किया तो 18 के खिलाफ आर0सी0 जारी कर दी उसके बाद उनको 15 नवम्बर दिया गया समय। 15 नवम्बर को वह कहकर गये उसके बाद भी नहीं किया तो 15 नवम्बर के बाद 46 चीनी मिलों के खिलाफ आर0सी0 जारी कर दी। कुल 64 चीनी मिलों के खिलाफ आर0सी0 जारी की गयी है। उत्तर

प्रदेश के इतिहास में आज तक किसी भी सरकार ने इतनी चीनी मिलों के खिलाफ आर0सी0 जारी नहीं की है। किसानों के हित में यह सरकार कितनी गम्भीर है इससे पता चलता है। यह सरकार किसानों का एक-एक पैसा भुगतान कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने बताया कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि सारी चीनी मिलें 15 दिसम्बर तक चल जायें। दो एक की बात मैं नहीं कहता हूं लेकिन उम्मीद है कि हम इसको चला लेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि आर0सी0 जारी किये जाने के बाद इन प्राइवेट मिलों से कितने रुपये की वसूली हो पाई है और पिछली बार जब आपने सदन में आश्वासन दिया, पहली बार 5 जुलाई और दूसरी बार 31 अक्टूबर को तो 31 अक्टूबर के बाद का पूछ लेता हूं 31 अक्टूबर से लेकर और 5 दिसम्बर के बीच प्राइवेट चीनी मिलों से कितनी रकम आपने किसानों को दिलवा दी है खाली इतना बता दीजिए ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, जो मेरे पास सूचना है मैं वह बता देता हूं। 13 मई, 2007 को ...

श्री अम्बिका चौधरी-

मेरा प्रश्न सुन लीजिए। 31 अक्टूबर से आज तक जब से आपने आर0सी0 जारी की है, जब से आपने आश्वासन दिया। 13 मई से या पूरे वर्ष में 9 हजार करोड़ का हिसाब बतायेंगे, यह हम नहीं चाहते हैं। सिर्फ 31 अक्टूबर के बाद से अब तक जो आपने आश्वासन दिये और जो फीगर दिये, आपका वक्तव्य है, 1074 करोड़ से अधिक की राशि जो आपने पिछली बार बताया, फीगर हमारे सामने हैं। कार्यवाही को आप देख लेंगे। उसमें से निजी चीनी मिलों ने 31 अक्टूबर के बाद से अब तक कितने का भुगतान गन्ना किसानों को किया है, केवल इतनी छोटी सी बात बता दें ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, जो पहले मेरे पास है, मैं बता दूं। 13 मई, 2007 को जब इन लोगों ने सरकार छोड़ी और हमारी सरकार बनी, तो लगभग 3005 करोड़ शेष था जो आज घटकर 1134.82 करोड़ हमने पेमेन्ट किया है। अब यह खुद अंदाज लगा लें कि हमने कितना किया है और इन्होंने कितना किया है जो यह पूछ रहे हैं, इस समय यह सूचना मेरे पास नहीं है, अलग से आपको मिल जायेगा। आप लिखकर पूछ लीजिएगा, हम लिखकर आपको दे देंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह मेरे फीगर्स नहीं है। आपने 31 अक्टूबर की कार्यवाही में स्वयं 12 सौ कुछ करोड़ का बताया था और आज 11 सौ कुछ बता रहे हैं। निश्चित रूप से मैं दुबारा दोहरा कर कहना चाहता हूं कि सहकारी चीनी मिल और निगम की चीनी मिलों को छोड़कर के 31 अक्टूबर जब से आपने आश्वासन दिया है तब से लेकर आज तक एक करोड़ रुपया भी कोई निजी चीनी मिल ने किसी किसान को अपने गन्ना मूल्य बकाये भुगतान में नहीं दिया है और आपने

जो आर0सी0 जारी किया है यह सिर्फ एक आईवाश है और मान्यवर, इसका कोई अर्थ नहीं है कि आप आर0सी0 भी जारी करते हैं और एक रुपया भी उससे किसान को बकाया दिलवा नहीं पाते हैं। सरकार इस अपने भ्रमपूर्ण गलतबयानी करके इस सदन में चाहे जितनी मेजें थपथपवा लें। लोग डर के मारे बजाते हैं, क्योंकि यह बहुत वरिष्ठ है और इनसे डरते लोग बहुत हैं। डर के मारे इन मेजों को तबले की तरह ताल में चाहे जितना बजा दें लेकिन किसानों का इतनी दुर्दशा कभी नहीं हुयी है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, माननीय अम्बिका जी वरिष्ठ सदस्य हैं और भी कुछ हैं और भी कुछ थे। खैर मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं। बलिया के हैं, कल मैं बलिया में ही था। मुझे लगता है कि इस वजह से ज्यादा नाराज हैं कि मैं बलिया चला गया। लेकिन मान्यवर, अम्बिका जी ने कहा कि एक करोड़ भी नहीं हुआ। सुबह माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने 1238.82 करोड़ बताया था, भले ही वह 2-3 दिन पहले की फीगर होगी और आज ही 104 करोड़ रुपये बढ़कर और आ गयी। मान्यवर, अभी कहकर जा रहा हूं उसके बाद कह रहे हैं कि एक करोड़ भी नहीं हुआ। यह सूचना अभी मुझे मिली है।

* श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो कहा है कि बता दें तो मैं बताना चाहता हूं कि एक तो हिन्दुस्तान बजाज लिमिटेड उसका हश्र क्या है, उसने बिल्कुल आतंक मचा रखा है और खासतौर से किनौनी शुगर फैक्ट्री, मेरठ जो है, हिन्दुस्तान बजाज की उसने आपके सारे के सारे जितने भी आपके जी0ओ0 गये हैं सेन्टर के बारे में उसने उनको लेने से इंकार कर दिया, यह कल की सूचना है और दौराला में हिन्दुस्तान लिमिटेड ने तय कर दिया है कि हम लोग जो भी यह सरकार कहेगी, वह नहीं मानेंगे। जहां तक मान्यवर, आर0सी0 का सवाल है, आर0सी0 के बारे में एक बात मुझे कहनी है, जिनको आपने आर0सी0 दी है।

श्री अध्यक्ष-

वारिस साहब आपकी बात आ गई, अब सारी बात स्पष्ट हो गई। सोलंकी साहब सारी बात स्पष्ट हो गई है, जिन मा0 सदस्यों की नोटिसें थीं, उनको मैंने सुन लिया है, चौधरी साहब ने अपने विचार भी रख लिये हैं, मा0 मंत्री जी ने भी अपनी बात कह दी है। मैने श्री अब्दुल वारिस खां को सुना मा0 डा0 अजय तोमर जी को सुना, कौकब हमीद को सुना था तथा मा0 मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

अगली सूचना डा0 धर्मपाल जी की जनपद आगरा में यमुना नदी में प्रदूषित जल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

*डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय, आगरा में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु यमुना नदी में गंगा जल की उपलब्धता के सम्बन्ध में जोर देने के लिए मैं अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं। मान्यवर, दुनिया के सबसे सुन्दर स्मारक ताजमहल के शहर के बासिन्दों को दुनिया का सबसे प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मा0 अध्यक्ष जी मैं इसे दोहरा रहा हूं दुनिया का सबसे दूषित पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पानी भी ऐसा जिससे लोग नहाना पसन्द नहीं करते हैं, जब लोग उसके पास से निकलते हैं तो उसकी बदबू सहन करना भी मुश्किल हो जाता है। मान्यवर, आगरा में पानी की समस्या निश्चित रूप से हजारों साल पुरानी है लेकिन आज तक इस पीने के पानी की समस्या का कोई स्थायी हल नहीं निकल सका है। आज के इस युग में जब आदमी धरती से उठकर आसमान तक पहुंच गया लेकिन आगरा के बासिन्दों की पीने की समस्या दिनोंदिन बिगड़ती चली गई। केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड अपनी रिपोर्ट में आगरा में यमुना के पानी को देश का सबसे प्रदूषित पानी घोषित कर चुका है। मा0 अध्यक्ष जी, यमुना के पानी में पहले कभी 10, 15 साल में मछलियां मरा करती थीं, जीव जन्तु मरा करते थे, लेकिन पिछले नवम्बर में तीन बार मछलियां यमुना के पानी में मर चुकी हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं कि जिस जल में जीव जन्तु मर रहे हों, जिस जल में मछलियां मर रही हों, उस जल को, वहां के इंसान कैसे पी सकते हैं ? मा0 अध्यक्ष जी, आज आगरा में जो पानी पिया जा रहा है अगर हम उसकी बात करें तो स्थितियां बहुत खतरनाक हैं। अगर हम उस पानी की तुलना दिल्ली के पानी से करें तो दिल्ली में जब अमोनिया की मात्रा 5 पी0एम0 पहुंची तो दिल्ली जलबोर्ड ने उस पानी को पीने की सप्लाई बन्द कर दी। लेकिन आगरा में एक लम्बे अर्से से अमोनिया की मात्रा 5 पी0एम0 से 14 पी0एम0 हो गई है और एक अर्से से आगरा का जल संस्थान उस पानी को सप्लाई कर रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, आगरा में जो पानी मिल रहा है अगर उसके हम चिकित्सीय पक्ष को जानें, रसायन विज्ञानियों की राय जानें तो वह पानी बिल्कुल पीने योग्य नहीं है। उस पानी में 20 परसेंट से लेकर 60 परसेन्ट और 60 परसेंट से लेकर 80 परसेन्ट क्लोरीन की मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है। उस पानी को साफ करने के लिए। डाक्टरों की राय में अगर क्लोरीन की मात्रा 20 परसेन्ट से अधिक हो जाती है तो वह सीधे नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है और अगर आगरा में इसी पानी की सप्लाई चलती रही, आगरा के बासिन्दों को यही पानी पीना पड़ता रहा तो निश्चित रूप से आगरा के बासिन्दे ट्यूमर जैसी गम्भीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं कि यमुना में 150 फीसदी गंगाजल छोड़ा जाना चाहिए, छोड़ा भी जा रहा है। लेकिन उसका सीधा फायदा आगरा को नहीं मिल रहा है। यदि उस गंगाजल को बलदेव रजबहा के द्वारा सीधे रूनकता के सामने यमुना में छोड़ा जाये तो निश्चित रूप से आगरा के पानी में शुद्धता आयेगी और आगरा की जनता को, आगरा के बासिन्दों को शुद्ध पीने का पानी मिले। माननीय अध्यक्ष जी, इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर मैं सरकार से चाहता हूं कि 150 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा जाये जिससे आगरा की 18 लाख आबादी को शुद्ध पेयजल मिल सके।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, डा0 धर्मपाल सिंह जी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर सूचना दी है। इस महत्वपूर्ण विषय को गम्भीरता से ले करके दिखवा लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, ठीक है।

(डा0 राजेन्द्र सिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब आपकी सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित करा दिया है। आप आसन ग्रहण करिये।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

मान्यवर, जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड नकहा, ग्राम शीतलपुर के परसिया घाट पर पुल नहीं था .....।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब आपकी एक सूचना निरस्त हुई है। आप सड़क व पुल पर कहां से आ गये ? आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में खोले जाने की सूचना पर अपनी बात रखनी है।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

माननीय अध्यक्ष जी, माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश का कार्यालय इलाहाबाद में है और लखीमपुर खीरी जनपद से लगभग 400 कि0मी0 दूर पड़ता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और जो शिक्षा का महत्व है, हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट के बच्चे हैं या जो कालेज हैं, उनकी मान्यताओं के लिए लखनऊ मण्डल के लोग जनपद-लखीमपुर खीरी, हरदोई, उन्नाव के, ये सारे लोग इलाहाबाद जाते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन है कि जिस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा परिषद् का क्षेत्रीय कार्यालय बरेली, मेरठ और वाराणसी में खोले गये हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद् का एक क्षेत्रीय कार्यालय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी खोला जाए जिससे राजधानीवासियों और लखनऊ मण्डल के लोगों को 400 कि0मी0 दूर न जाना पड़े। मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री व सरकार को यह निर्देश दें कि जिस प्रकार से 4 मण्डलों में अलग-अलग क्षेत्रीय कार्यालय खोले गये हैं वैसे ही लखनऊ मण्डल में भी एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाए।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब आपकी सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि एक सुझाव है, इसको भी देख लें।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी व नगर विकास मंत्री जी बैठे हुये हैं, सरकार की तरफ से जवाब दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब आपकी सूचना पर मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है। अब आसन ग्रहण करिये।

* डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि नियम-56 के अन्तर्गत इस विषय को सदन में रखने का मुझे अवसर दिया। चूंकि मा0 नगर विकास मंत्री जी स्वयं उपस्थित हैं इसलिए मुझे विश्वास है कि चीजें उनकी संज्ञान में हैं परन्तु न जाने क्यों कार्यवाहियां नहीं हो रही हैं। मुझे विश्वास है कि कार्यवाही भी होगी। गोरखपुर नगर निगम बदइंतजामी के दौर से गुजर रहा है। अधिकारियों की लापरवाही, मनमानापन और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हम लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक स्वायत्तशासी व्यवस्था जरूर की है। लेकिन केन्द्रियत सेवा के अन्तर्गत ही सारे अधिकारियों की पोस्टिंग करते हैं। नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त शासन के होते हैं, अभियन्ता सारे शासन से जाते हैं तो उन पर स्वाभाविक रूप से नियंत्रण स्थानीय अधिकारियों का कम होता है। जो जन प्रतिनिधि चुनकर आते हैं उनकी बातों पर कम ध्यान देते हैं। शासन यहां से वहां स्थानान्तरित कर सकता है इसलिए उनके इशारे पर अधिक चलते हैं, नगर निगम की स्थिति बहुत खराब है। आये दिन गोरखपुर के नगर निगम की दुर्दशा अखबार की सुर्खियों में छपी रहती है कि सड़कें टूटी हुई हैं, नागरिकों को चलना दूभर है। अधिकारियों की ओर से इतना होता है कि शासन को लिखकर भेज दिया कि 18 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

हम लोग यह चाहते हैं कि जो अधिनियम के अन्तर्गत प्राविधान किया गया है 117-6 बी जिसमें अधिकारियों को 10 हजार रुपये के विवेकाधीन कोष का अधिकार दिया जाता है यह अधिकतम सारी राशि मिलाकर पूरे बजट में 50 हजार रुपये का प्राविधान कर सकती है। वह सामान्य कार्यों के लिए 9.9-10.10 करोड़ का भुगतान अपने विवेक से कर रहे हैं। जहां पैसे का लेन-देन हो जाता है वहां पैसे की कमी नहीं है जहां जनता के काम हैं वहां पैसे की कमी है। लाल डिग्गी भ्रष्टाचार पूर्ववर्ती सरकार में एक करोड़ 40 लाख रुपये का किया गया। एक करोड़ पचास-साठ लाख का भुगतान किया गया लेकिन लाल डिग्गी की हालत पहले से बदतर हो गई है। पूरा पार्क जीर्ण-शीर्ण हो गया है। नियमानुसार 15 हजार से ऊपर का जो कार्य होगा वह निविदा के आधार पर कराया जायेगा। अभी चार दिन पहले चार वार्डों की सफाई के लिए 35 लाख का ठेका नगर आयुक्त ने बिना किसी निविदा के दे दिया। अपर नगर आयुक्त ने जब लिखकर पूछा तो उन्होंने कहा कि आप दे डालिए। इस पर अपर नगर आयुक्त ने फिर लिखकर पूछा कि आप किसी विशेष ठेकेदार का नाम बता दीजिए तो नगर आयुक्त ने ठेकेदार का नाम बता दिया उसको चार वार्डों का ठेका दे दिया गया। इसी सदन में हम लोगों ने एक वार्ड में कुछ काम कराने का मुद्दा उठाया था उस पर मुख्य मंत्री जी के यहां से पत्र भी गया था। वह मण्डलायुक्त से लेकर आयुक्त के यहां घूमता रहा मुख्य मंत्री के आदेश के बावजूद उस पर लिखा गया कि किसी कार्यवाही की जरूरत नहीं है। पत्र प्रकाश की स्थिति इतनी बदइंतजामी भरी है कि कहां से आता है कहां जाता है पता नहीं चलता। 80 लाख के टेंडर रातों रात दे दिए गए सारा मैनेजमेन्ट रातों रात कर दिया गया। एक विधायक महाराजगंज के हैं जिन्होंने मुख्य मंत्री को शिकायत की वह शिकायत घूमते हुए नगर आयुक्त के पास ही पहुंच गई जिनकी शिकायत थी जिनके ऊपर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भ्रष्टाचार का आरोप था वही उसकी जांच कर रहे हैं। श्रीमन् यह सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि हम नगर निगम को धन देते हैं उनको वित्त आयोग के माध्यम से 11वें, 12वें वित्त आयोग के माध्यम से धन दिया जाता है। हम चाहते हैं उस धन का सही उपयोग हो। वहां पर घोर वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं। इसमें मुख्य मंत्री जी को और शासन को सजग रहना पड़ेगा। अभी वहां पर एक कर्मचारी मर गया उसके स्थान पर एक फर्जी आदमी को दत्तक पुत्र बताकर नौकरी दी गई इसकी जांच अपर आयुक्त ने की उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया लेकिन लेन-देन हो गया और वह आदमी अभी जहां का तहां बरकरार है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि नगर निगम में जो बदइंतजामी है जिसके लिए मैं इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव को लाया हूं इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी इसको दिखवा लें। नगर निगम में जो अनियमितताएं बताई गई हैं इनको दिखवा लीजिए।

मैंने इस सूचना पर डा0 राधामोहन दास अग्रवाल को सुना। यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसे अग्राह्य करता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 जो इस सदन द्वारा दिनांक 5 नवम्बर, 2007 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ भेजा गया था और जिसके पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 6 नवम्बर, 2007 की बैठक में अस्वीकार हो गया है, जैसा कि वह सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 जो इस सदन द्वारा दिनांक 5 नवम्बर, 2007 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ भेजा गया था और जिसके पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 6 नवम्बर, 2007 की बैठक में अस्वीकार हो गया है, जैसा कि वह सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 जो इस सदन द्वारा दिनांक 05 नवम्बर, 2007 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ भेजा गया था और जिसके पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर

प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 06 नवम्बर, 2007 की बैठक में अस्वीकार हो गया है, जैसा कि वह सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, संविधान का अनुच्छेद-197 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो संविधान में धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में है। यदि विधान परिषद् वाले राज्य की विधान सभा द्वारा किसी विधेयक के पारित किये जाने और विधान परिषद् को पारेषित किये जाने के पश्चात् विधान परिषद् द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है या विधान परिषद् के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना तीन मास से अधिक बीत गये हैं या विधान परिषद् द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों सहित पारित किया जाता है जिनसे विधान सभा सहमत नहीं होती तो विधान सभा विधेयक को अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों के अधीन रहते हुए उसी या किसी पश्चातवर्ती सत्र में ऐसे संशोधनों सहित या उसके बिना यदि कोई हों, जो विधान परिषद् ने किए हैं, सुझाये हैं या जिनसे विधान परिषद् सहमत हैं, पुनः पारित कर सकेगी और तब इस प्रकार पारित विधेयक को विधान परिषद् को पारेषित कर सकेगी। मान्यवर, इसके 'क' में दिया है कि विधान परिषद् द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है। मान्यवर, इसके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-150 (2) में दिया है कि यदि विधेयक परिषद् द्वारा संशोधन सहित पारित किया जाय तो संशोधनों सहित विधेयक यथाशीघ्र पटल पर रखा जायेगा और संशोधनों सहित विधेयक की प्रतिलिपियां सदस्यों को वितरित किये जाने के उपरान्त सरकारी विधेयक की अवस्था में कोई मंत्री अथवा किसी और अवस्था में कोई सदस्य को दिन की सूचना के पश्चात् या अध्यक्ष की सम्मति से बिना सूचना पर भी प्रस्ताव कर सकेंगे कि परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय। श्रीमन्, मुझे केवल दो निवेदन इस सम्बन्ध में करने हैं। मान्यवर, विधान परिषद् ने अस्वीकार कर दिया है तो उसको पुनः ला सकते हैं इमसें कोई संशय नहीं कोई बहस नहीं। जब आप उसको रखेंगे तो उस समय हम उस पर विचार रख सकते हैं कि कितना उचित है और कितना अनुचित है। लेकिन जहां तक प्रक्रिया का पालन किये जाने का प्रश्न है विधान परिषद् से अस्वीकार हो गया है और आप उसको दोबारा ला रहे हैं तो उसको पटल पर रखे जाने की कार्यवाही होनी चाहिए। प्रमुख सचिव महोदय ने इसको पढ़ दिया तो इसको टेबुल पर रखे जाने की कार्यवाही हो गई इसलिये हम इसको पटल पर रखे जाने की कार्यवाही के बारे में नहीं कहेंगे लेकिन दोबारा विधेयक की शक्ल में लाने के लिये इसके कारण और उद्देश्यों का आपको उल्लेख करना चाहिए कि अमुक कारण से हमको इसको यहां पर दोबारा सदन में प्रस्तुत करने की अनिवार्यता हुई है। मान्यवर, इसी कारण से मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाह रहा था। वैसे तो आप इसको पारित करा ही लेंगे क्योंकि आप बहुमत से बहुत सी चीजें नाजायज ढंग से किये जा रहे हैं। मैंने व्यवस्था का प्रश्न इसीलिये उठाया कि आप इसका पारण प्रक्रिया के अनुसार करें। चर्चा होगी। सदन फिर भी चाहेगा पारित कर देगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, चौधरी साहब स्वयं अपने ही तर्कों से ही मात खा गए। उन्होंने 197 का सहारा तो लिया लेकिन कुछ मिला नहीं। इसलिए जो विधान परिषद् द्वारा अस्वीकृत किया है उसमें स्पष्ट है उसी सत्र में या उससे अगले सत्र में, तो मान्यवर, उसी के आधार पर यह लाया गया है। जहां तक इसमें टेबुल होने का सवाल है उसमें कार्य-मंत्रणा समिति की जो सिफारिश थी उसमें नियमों को शिथिल करते हुए यह विचार लाया गया और उसको सदन ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। जब सदन में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है कि इसको ले लिया जाए तो फिर इस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाना ठीक नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मेरा यह कहना है कि कार्य-मंत्रणा समिति यह तय करती है कि इसको कब लिया जाए। उसको स्वीकार करना, उसकी जो प्रक्रिया है उसके बारे में कार्य-मंत्रणा समिति तय नहीं करती है। कार्य-मंत्रणा समिति यह तय करती है कि कौन सा विषय किस दिन लिया जाए। बिजनेस कौन सा, किस क्रम में लिया जाए। कार्य-मंत्रणा समिति यह तय नहीं करती है कि प्रक्रिया का शिथिलीकरण कर दिया जाए। जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि कार्य-मंत्रणा समिति ने कहा प्रक्रिया शिथिल कर दी जाए। यह अधिकार कार्य-मंत्रणा समिति को नहीं है। इसलिए मैं नम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि क्रम चाहे जो देना चाहें कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से हम सहमत होते हैं उससे असहमत होने का प्रश्न नहीं है लेकिन प्रक्रिया का अनुपालन हो संविधान के अनुच्छेदों का संविधान के आदेशों का अनुपालन हो। आप प्रक्रिया क्यों तोड़ना चाहते हैं पारित कराना है करा लीजिए आज नहीं होगा कल हो जाएगा। लेकिन प्रक्रिया से आइए। मान्यवर, आप इस पर अपनी व्यवस्था दें यह बड़ी असंवैधानिक स्थिति हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष-

आप जरा नियमावली का नियम 150 (1) पढ़ लें। आपने दूसरा पढ़ दिया इसको भी पढ़ लें। अब हम प्रश्न कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 जो इस सदन द्वारा दिनांक 05 नवम्बर, 2007 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ भेजा गया था और जिसके पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 06 नवम्बर, 2007 की बैठक में अस्वीकार हो गया है, जैसा कि वह सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2007

नगर विकास मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 जो इस सदन द्वारा दिनांक 06 नवम्बर, 2007 को पारित होने

के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ भेजा गया था ओर जिसके पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 07 नवम्बर, 2007 की बैठक में अस्वीकार हो गया है, जैसा कि वह सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 जो इस सदन द्वारा दिनांक 06 नवम्बर, 2007 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ भेजा गया था और जिसके पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 07 नवम्बर, 2007 की बैठक में अस्वीकार हो गया है, जैसा कि वह सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

* श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मंत्री जी ने इस पर कुछ नहीं कहा है। मैं सोच रहा था कि हां, ना के बाद इस पर अपने विचार रखेंगे तो अपनी बात कह लेंगे। मान्यवर, यह मूल विधेयक, जो आज प्रस्तुत किया गया है, संशोधन विधेयक, इसकी मूल भावना से विरोध का हमारा कोई तात्पर्य नहीं है क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं और जब आज बीडियो कान्फ्रेंसिंग की इतनी आवश्यकता है, प्रत्येक क्षेत्र में चाहे प्रशासनिक नियन्त्रण की स्थिति हो, चाहे विकास का मामला हो, इसलिए यदि हम जुडीशियल एडमिनिस्ट्रेशन में कहां इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम इस तकनीक के इस्तेमाल के खिलाफ नहीं हैं इसकी मूल भावना का हम विरोध नहीं करते हैं लेकिन एक विचित्र बात है, हमारा प्रशासनिक अमला बहुत बड़ा है और उस पर हम लोग इतना भरोसा करते हैं, जो वह लिखकर ले आते हैं, हम लोग आम तौर पर मान लेते हैं कि वह बड़े बुद्धिमान और बड़े काबिल लोग हैं। कई बार छोटी-छोटी चीजों के लिखने से बड़ा अजीब हो जाता है। मैं सिर्फ एक घटना का उल्लेख आपसे करूंगा। कई बार हम लोग जहाज में जाते हैं, तो एक वर्ड अंग्रेजी में लिखा रहता है, उसका हिन्दी अनुवाद जब होता है तो लिख देते हैं कि "सीट के कुशन के नीचे आपके रख रखा है, लाइफ जैकेट, न डूबने के लिए।", लगता है कि हम डूबने का उद्देश्य लिए बैठे हैं और उस जैकेट को पहन लेंगे तो नहीं डूबेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, कारण और उद्देश्य इसका पढ़ना चाहता हूं। इसमें लिखा है, आप लोगों ने जरूर देखा होगा, मा0 मंत्री जी ने भी जरूर देखा होगा। "कारागार में बन्द व्यक्तियों, विशेष रूप से दुर्दान्त अपराधियों और आतंकवादियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निश्चय किया गया है।" तो मान्यवर, सबकी सुरक्षा हो, यह ज्यांदा उचित है सरकार बाकी किसी की वकीलों की सुरक्षा, जजों की सुरक्षा, विधायकों की सुरक्षा, आम नागरिकों की सुरक्षा, उनकी चिन्ता के लिए तो अभी तक एक वाक्य भी इस सरकार के स्थापना काल से, अपने झूठे आश्वासनों के अतिरिक्त कुछ उभर कर नहीं आया। लेकिन अच्छा लगा कि कम से कम दुर्दान्त अपराधियों और आतंकवादियों की सुरक्षा के लिए सरकार चिन्तित है और उसके लिए सरकार कानून बना रही है। मान्यवर, यह विशेष तौर पर देखना चाहिए, आपकी जो भावना है, वह आप ही को समर्पित है। इसके अतिरिक्त इस ऐक्ट का जो संशोधन रखा है, उसका हम कोई विरोध नहीं करते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो व्यक्ति कारागार में बन्द होता है, हम जहां जन सामान्य की सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं, वहीं कारागार में बन्द व्यक्ति की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, प्रशासन की होती है और यह देखा जाता है कि जो दुर्दांत अपराधी हैं या आतंकवादी हैं, उनको न्यायालय ले जाने में कई तरह की समस्याएं आती हैं। एक तो उनकी आड़ में और उसका उपयोग करते हुए दूसरे उनके सहयोगी भी आकर कोई इस तरह की घटनाएं करते हैं जिससे जानमाल की हानि होती है। साथ ही उन लोगों के प्रतिद्वन्दी गुट जो होते हैं, वह भी मौके की तलाश में रहते हैं। इसलिए इनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन की होती है। यह बहुत ही क्रान्तिकारी कदम है और इस प्रदेश की कानून-व्यवस्था के लिहाज से यह किया जा रहा है। वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिये जो डेट होती है, वह मिल जाया करे, चौधरी जी ने इसका स्वागत किया है, हम आभारी हैं, सभी को इसका स्वागत करना चाहिए और सर्वसम्मति से पास भी किया जाना चाहिए।

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का, उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम और विस्तार

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

2-दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 में,- — अधिनियम संख्या 2 सन् 1974 की धारा 167 का संशोधन

(क) उपधारा (2) में, पैरा (ख) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

(ख) "कोई मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन किसी अभिरक्षा में निरुद्धता को तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक अभियुक्त को उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रानिक वीडियो लिंकेज के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया जाता है ;"

(ख) **स्पष्टीकरण**-दो में, शब्द "किसी अभियुक्त व्यक्ति को प्रस्तुत किया गया था" के स्थान पर शब्द "किसी अभियुक्त व्यक्ति को, यथास्थिति, व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रानिक वीडियो लिंकेज के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था" रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत-अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2007

राजस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, सरसरी तौर से मेरा अनुमान यह था कि सरकारी सम्पत्तियों पर अनाधिकृत लोगों के जो कब्जे हैं या उनके कब्जे हैं जो उनके लिए पात्र नहीं हैं, उनको बेदखल करने के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है। मैं यह समझ रहा था। उद्देश्य भी करीब-करीब वही है लेकिन आप उद्देश्य का पैरा-2 पढ़ लें। इसमें लिखा है-"उपर्युक्त समस्या को दृष्टिगत रखते हुए यह समीचीन समझा गया है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत-अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1972) के कार्यक्षेत्र से ऐसे सार्वजनिक भू-गृहादि को अपवर्जित किया जाय जो राज्य सम्पत्ति विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है और जो अशासकीय, गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्टों, राजनैतिक दलों आदि के अधिभोग में है, और अनधिकृत

अध्यासियों को बेदखल करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाये। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि मंत्रियों, संसद सदस्यों, विधायकों, गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्टों, अशासकीय व्यक्तियों, राजनैतिक दलों और ऐसे अन्य व्यक्तियों, जो पात्रता क्षेत्र में नहीं आते हैं, को आवंटित आवासीय भू-गृहादि की अपवर्जन की व्यवस्था करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाये।" मैं जानना चाहता हूं कि इसमें एक शब्द अपवर्जन आया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह इसका शाब्दिक अर्थ बता दें कि अपवर्जन का क्या मतलब है ?

श्री फागू चौहान-

जो लोग पात्र न हों, अवैध कब्जा किये हों।

श्री हुकुम सिंह-

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस अपवर्जन शब्द का क्या मतलब है। मान्यवर, मेरे पास यह हिन्दी शब्द कोष है इसमें अपवर्जन का मतलब है-त्याग, दान, मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण। यह इसमें लिखा हुआ हैं चलिए मैं मान लेता हूं कि जो आप समझे हैं वही इसका अर्थ होगा। मान्यवर, मैं पुस्तकालय इसी वजह से गया कि मेरा भी कुछ ज्ञान बढ़ जाये। मान्यवर, इस प्रकार के शब्द जाल को बुनकर हमें मुख्यधारा से बिलकुल हटा दिया जाता है। सोचते हैं कि इनके पास तो समय कम है। कोई मुश्किल शब्द इसमें लिख दिया जाये। दूसरी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं अगर आप स्वयं गम्भीर हैं कि जो लोग नाजायज कब्जा किये हुए हैं उन्हें बेदखल किया जाये तो आप क्या पब्लिक प्रिमिसेस ऐक्ट से बाहर निकल रहे हो। जिस बात को हम आपसे कहने जा रहे हैं उस पर हम स्पष्ट तो हो जायें। अभी तक एक प्रक्रिया है। जो भूमि-गृहादि का अधिनियम है, यह राजस्व कब्जा हटाने की प्रक्रिया है। उसमें सचिवालय के अधिकारी होते थे, प्राधिकरण बना हुआ था। वह इसमें नोटिस देकर निकाल देते थे। अगर आप सभी को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर निकालने जा रहे हैं तो नई प्रक्रिया करने जा रहे हैं। तो क्या इसके लिए न्यायालय सक्षम होंगे। अगर न्यायालय सक्षम होंगे तो यह प्रक्रिया सरल होगी या जटिल होगी।

मान्यवर, धारा 2 में आप देखें इसमें यह है कि " उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत-अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 की धारा 2 में, खण्ड (ङ) में निम्नलिखित उपबन्ध अन्त में बढ़ा दिये जायेंगे और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायेंगे, यह अंग क्या है मान्यवर, यह अंग है जिसमें इस बात को परिभाषित किया गया है भू-गृहादि की परिभाषा दी गयी है, इसमें (ङ) सार्वजनिक भू-गृहादि यह परिभाषित किया गया है, का तात्पर्य किसी ऐसे भूमि गृहादि से है जो राज्य सरकार का हो या उसके द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर लिया गया या अधिग्रहित किया गया हो, उसके अन्तर्गत कोई भू-गृहादि की श्रेणी दी गयी है। अब इसकी परिभाषा से इसको निकाल दें। यही तो मतलब हुआ इसका। इसमें आगे लिंखा है कि किन्तु इसमें गृहादि सम्मिलित नहीं है जो राज्य सम्पत्ति विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है और जो निम्नलिखित द्वारा अध्यासित हैं। अब निम्नलिखित में कौन-कौन हैं :-

(क) उत्तर प्रदेश सरकार का कोई मंत्री तथा मंत्री का दर्जा प्राप्त कोई व्यक्ति, ठीक है,

(ख) कोई संसद सदस्य, उत्तर प्रदेश के विधान सभा या विधान परिषद् का कोई सदस्य, ठीक है,

(ग) कोई गैर-सरकारी संगठन, चाहे निगमित या पंजीकृत हो या नहीं हो, यह कौन होंगे, जो गैर सरकारी संगठन होंगे चाहे वह रजिस्टर्ड हों, निगमित हों, या न हों, वह भी आ जायेंगे,

(घ) राजनैतिक दल, जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त न हों, वह भी इस श्रेणी में आ जायेंगे,

(ङ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत कोई सोसाइटी, भारतीय न्यास अधिनियम, 1888 के अधीन पंजीकृत कोई न्यास या व्यवसाय संघ, अधिनियम के अधीन पंजीकृत कोई व्यवसाय संघ या कोई कर्मचारी संघ या व्यक्तियों का कोई निकाय चाहे निगमित हो या नहीं हो,

(च) किसी राजनैतिक दल की कोई इकाई या अग्रणी या अन्य संगठन, चाहे मान्यता प्राप्त हो या नहीं हो,

(छ) कोई व्यक्ति जो सरकारी सेवक न हो या किसी सोसाइटी, न्यास या व्यक्तियों के किसी निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं हो, का कोई पदधारक या प्रतिनिधि होने के कारण जिस सार्वजनिक भू-गृहादि आवंटित किया गया हो, तो फिर रह क्या जायेगा। अगर आप ही इस तमाम श्रेणियों को इस ऐक्ट की परिधि से बाहर निकाल देंगे तो कब्जे को नियमित करने जा रहे हैं या हटाने जा रहे हैं। इसमें माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। इसमें संख्या के आधार पर पास करना आसान हो जायेगा। इसका परिणाम क्या होगा इस पर आप विचार कर लें। मैं विस्तार से जाऊंगा तो अच्छा नहीं होगा। हम इसका आशय यह समझें कि जो फर्जी ट्रस्ट बनाकर कब्जा कराया जा रहा है जमीनों के ऊपर, सरकारी जमीनों के ऊपर, उस जमीन के ऊपर जो राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रण में हो, देखरेख में हो, अब वह पब्लिक प्रिमिसेस ऐक्ट की हद से बाहर हो जायेगी और हद से बाहर हो जायेंगे तो उनकी बेदखली कहां से हो जायेगी। अभी तक सरकारी सम्पत्ति को सुरक्षित करने के लिए 1972 में ऐक्ट बना था और हम चाहते थे कि बजाय न्यायालय में जाने के लिए जो रेग्यूलर कार्यवाही होती है उसको करने के बजाये जो हमारी कार्यवाही होती थी, नोटिस जाती थी और नोटिस का जवाब मांगते थे और बेदखली के आदेश होते थे, आसान था। यह सार्वजनिक सम्पत्ति है इस पर रहने का किसी को अधिकार नहीं है। आपने उद्देश्य में तो दे दिया कि हमें सरकारी काम के लिए आवश्यकता पड़ती है, जो पात्र व्यक्ति हैं उनके लिए आवश्यकता पड़ती है इसलिए अधिनियम को लाने जा रहे हैं। लेकिन अधिनियम को ला करके जो आपने दिखाया है कि यह-यह श्रेणी, हो सकता है कि पात्रता के आधार पर मंत्री जी रखने को तैयार हैं, उसका अर्थ हमने सही न समझा हो, यह भी सम्भव है। लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि जो इसकी भाषा है वह यह है कि आपने जो (ङ) क्लाज है मूल अधिनियम का, उस क्लाज में जितने भी पब्लिक प्रिमिसेस हैं उसकी परिभाषा से निकालने के लिए आपने यह श्रेणी दे दी और अगर मैं यह अर्थ समझ रहा हूं तो इसका साफ अर्थ यह है कि अब पब्लिक प्रीमिसेज ऐक्ट के अन्तर्गत इन लोगों को बेदखल नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा और कोई बात हो तो मुझे समझा दें, मुझे समझने में भी अच्छा लगेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हुकुम सिंह जी ने जो बात कही है उससे जुड़ती हुई, उससे आगे की सिर्फ एक बात मुझे कहनी है। मूलतः इसका अर्थ अगर यह माना जाय, हम लोग जो समझ रहे थे तो इस कारण इस पर निश्चित थे कि यह ठीक है, कोई बात नहीं है, कि राज्य सम्पत्ति विभाग के अन्तर्गत कोई भवन भूमि है और वह ऐसे व्यक्ति को आवंटित हो गई है या आवंटन की गलत प्रक्रिया के द्वारा उसको दे दी गई है अथवा नाजायज कब्जे में है और वर्षों से वह खाली नहीं हो रही है, उसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी उससे भी कोई कठोर प्रक्रिया अपनाने के लिए शायद राज्य सम्पत्ति अधिकारी को सीधे-सीधे अधिकार दिये जा रहे हैं, इस ऐक्ट के द्वारा हम कोई ऐसा प्रोसीजर प्रोवाईड कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से वह इनको खाली कराने का अधिकार हासिल कर सकेंगे तो अच्छा लगा कि चलिये ठीक है अगर आप इसको और अधिक सुदृढ़ करना चाहते हैं और अगर कोई राज्य सम्पत्ति विभाग का कोई भवन है, कोई भूमि है, किसी के नाजायज कब्जे में हो इसको भी आप कानूनन समझें हालांकि जब इसका अनुपालन होने लगेगा तो धरातल पर आप क्या करेंगे आपके राजनीतिक दलों के फ्रंटल संगठनों के दफ्तर सबसे पहले खाली करायेंगे मैं वहां अभी नहीं जा रहा हूं। आपकी दृष्टि कहां है कि आप कौन-कौन से फलाने लाल बहादुर शास्त्री मार्ग वाले बंगला नम्बर फलाने को पहले करायेंगे, दो नम्बर पर फिर किसको करायेंगे, हम वहां अभी नहीं जा रहे हैं। मैं इसको करके एक और राजनैतिक चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन एक गम्भीर कानूनी भूल जो हो रही है श्रीमन् कि पब्लिक प्रीमिसेज ऐक्ट में जब तक यह सारी प्रॉपर्टीज इन्क्लूडेड थी, तब तक तो समरी ट्रायल के समरी प्रोसीडिंग के माध्यम से उनको खाली कराने की प्रक्रिया थी, स्टैब्लिश थी, अब आपने उसको उससे निकाल दिया। निकाल दिया तो अब आपको दीवानी न्यायालय में इसके लिए वाद दाखिल करके और उस प्रक्रिया में जब जाना पड़ेगा तो अभी तो आप बहुत आसानी से थोड़े दिनों में ही कर लेते थे, उद्देश्य कारण दूसरा दिया है कि हम उसको सरलीकरण करना चाहते है, आपने किस एथार्टी को एथराईज किया यह इस ऐक्ट में प्रोवाइड नहीं है। पब्लिक प्रीमिसेज ऐक्ट से निकाल लेने के बाद कौन सी एथार्टी इसमें अधिकृत होगी इस बात के लिए जो इसे खाली कराने में समर्थ होगी स्वयं और किस प्रक्रिया द्वारा होगा इसको आपने मेन्सन नहीं किया तो इसका तात्पर्य सीधे-सीधे हुआ कि सी0पी0सी0 के तमाम प्रोसीडिंग के तहत आप दीवानी न्यायालयों में जायेंगे। इसको खाली कराने की प्रक्रिया में जायेंगे और मान्यवर, फिर वर्ष नहीं पुश्तें लगती हैं दीवानी के मुकदमों में, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी मुकदमा लड़ती है, इसलिए जो आप उद्देश्य इसमें वर्णित कर रहे हैं, उस उद्देश्य से यह ऐक्ट भटका हुआ है। इस पर विचार कर लें और आपके यहां एक बड़ी अच्छी प्रक्रिया चल गयी है जब से यह सरकार आयी है, आज ही करना चाहते हो, पांच मिनट में कर लीजिए, सात मिनट कौन लगायेगा। इसको फिर कल ही ले आइये और कल ही ले आकर पारित कर लीजिए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इतनी गड़बड़ी को ठीक करके ले आइये तो शायद ज्यादा मुनासिब होगा और इस पर विचार करना चाहेंगे तो फिर बहुमत से हां करा लीजिए काम खत्म हो जायेगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह और माननीय चौधरी साहब ने जो बातें रखीं, मान्यवर, इसमें खाली कराने में और आसानी होगी। अभी मान्यवर, जब हम उसको राज्य सम्पत्ति के नियंत्रणाधीन जो

सम्पत्तियां हैं उस पर जब हम कार्यवाही करते हैं तो इस ऐक्ट के अन्तर्गत वह न्यायालय में चले जाते हैं और जिसके कारण मान्यवर दिक्कत आती है तो यह जो अधिनियम है, "उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) जो अधिनियम है" उसके कारण न्यायालय उस पर रोक लगा देता है मान्यवर, इस अधिनियम की परिधि से राज्य सम्पत्ति के नियंत्रणाधीन जो सम्पत्तियां हैं उसको हम अलग कर रहे हैं, उससे अलग कर रहे हैं और जब उससे अलग कर रहे हैं मान्यवर तो उससे उस ऐक्ट के अनुसार उस पर कार्यवाही नहीं होगी और राज्य सम्पत्ति का एक निर्धारित प्रारूप है कि किन-किन लोगों को आवंटित किया जायेगा उसके अनुसार आवंटन होगा और जो पात्र नहीं होंगे मान्यवर, उनसे वह रिक्त कराने में आसानी होगी, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है मान्यवर, कोई परेशानी नहीं है और इसमें कोई कठिन नहीं हो रहा है, बल्कि आसान हो रहा है और जहां तक अपवर्जित का अर्थ है, इसका इंग्लिश में इक्सक्लूजन शब्द का हिन्दी रूपान्तर है मान्यवर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह कोई बहुत बड़ा विधेयक भी नहीं है, इसमें इतनी चर्चा की आवश्यकता भी नहीं है मान्यवर।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसमें बहुत की आवश्यकता नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इस ऐक्ट से इसको आपने बाहर कर दिया तो फिर किस ऐक्ट के तहत निकालेंगे यह बतायें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन जो सम्पत्तियां हैं उसके सम्बन्ध में राज्य सम्पत्ति विभाग के द्वारा निर्धारित सूची है। नियमावली है। उसके तहत आवंटन होता है और उसी नियमावली के तहत इसकी बाबत भी प्रक्रिया अपनायी जायेगी। इसलिए इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इसको बहुत सोच समझ कर लाया गया है। आपसे अनुरोध है कि इसको सर्वसम्मति से पास करने की कृपा करें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो असली उद्देश्य है जो इसके पीछे है वह आगे तक के लिए भी है। आप इसलिए नहीं निकाल रहे हैं कि आसानी से बेदखल हो सके। इसलिए निकाल रहे हैं कि बेदखल न हो सके। क्योंकि बेदखली के लिए कोई न कोई कानून चाहिये बिना कानून के पुलिस डण्डा लेकर खाली कराने जायेगी नहीं। हो सकता है अपवाद स्वरूप कोई हो जाये। मेरा कहना यह है कि एक व्यवस्था के अन्तर्गत कोई न कोई अधिनियम होना चाहिए कि यह कानून है और इस अधिनियम को फलां धारा के अन्तर्गत बाहर निकाल रहे हैं। वह कानून आपके पास है नहीं। आपको एक सामान्य कानून द्वारा बेदखली का दावा दायर करना पड़ता है उसमें दीवानी न्यायालय में जाना पड़ता है एक नोटिस जारी होती है और उसमें कार्यवाही होने से एक पीढ़ी लग जाती है उसमें आप अपवाद कैसे बनेंगे। इसके पीछे जो असली उद्देश्य निहित है वह हम समझ रहे हैं कि जिस प्रकार से सरकारी पक्ष के लोग

सरकारी भवनों और सरकारी जमीनों पर कब्जा करते जा रहे हैं वह सार्वजनिक भवन, प्लाट, जमीन जो किसी न किसी रूप में राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन में आते हैं वह बेदखल कोई कानून के द्वारा न हो पाये और उनका अनाधिकृत कब्जा उस पर बना रहे। इसमें आगे की पंक्ति भी देखें लिखा है "कोई व्यक्ति जो सरकारी सेवक न हो" वह इसके लिए पात्र नहीं है। तो जो सरकारी सेवक भी नहीं है और उसके कब्जे में है और जो सम्पत्ति राज्य सम्पत्ति अधिकारी के नियंत्रणाधीन है वह पब्लिक प्रीमिसेस ऐक्ट के माध्यम से नहीं निकाला जा सकेगा। कोई संस्था बोर्ड लगा दे भले ही रजिस्टर्ड न हो और कहे कि यह हमारी संस्था है तो वह लाभान्वित हो जायेगी। इसी तरह से कोई सोसाइटी बनाता है वह निगमित है या नहीं है आप उसे इस तरह से बेदखल नहीं कर पायेंगे। असली आपका उद्देश्य यह है इसमें। जो आपकी सार्वजनिक जमीन है, सरकारी जमीन है राज्य सम्पत्ति अधिकारी के पास है या जिस पर सरकार द्वारा पट्टा दिया गया है जो राज्य सम्पत्ति अधिकारी के नियंत्रणाधीन है उसमें लोग लाभ उठायेंगे। इस तरह से उन संस्थाओं का जिनका कोई वजूद नहीं है या जिनका वजूद बनने वाला है उनको कब्जा करने का आप अधिकार दे रहे हैं। तो इसमें जो पब्लिक प्रीमिसेस ऐक्ट के अन्तर्गत व्यवस्थायें थीं वह परमिशन आप वापस ले रहे हैं। अब इसमें होगा क्या, अगली सरकार आयेगी वह कहेगी कि हम इस कानून में संशोधन कर रहे हैं। इसको पब्लिक प्रीमिसेस ऐक्ट की धाराओं के अन्तर्गत ला रहे हैं। अभी आपको इसको लाने की इतनी जल्दी क्या है अभी तो आपके पास चार साल साढ़े चार साल का समय है। यह कानून आप पांचवे साल में लाते। अभी तो कुछ बात नहीं है। लेकिन आप यह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ऐसे कानूनों को यहां से पास करा लें। यह कानून अनुचित है, मैं तो कहूंगा कि इम्मॉरल है। अगर जरा सी भी संवेदनशीलता इस सरकार में है तो इस कानून को वापस ले लें। यह सामान्य कानून होना चाहिए। अपने कुछ लोगों को जमीन देने के लिए, उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए कानून की परिधि से इन व्यवस्थाओं को निकाल दें यह उचित बात नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी ने इसके अर्थ को दूसरी तरफ मोड़ दिया है। इसको आप देखें इसमें लिखा है कि "किन्तु इनमें ऐसे भू-गृहादि सम्मिलित नहीं हैं जो राज्य सम्पत्ति विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं।" वह इसमें अलग की जा रही है। उस पर किसी का गलत कब्जा हो तो उसके लिए राज्य सम्पत्ति विभाग के अन्तर्गत नियम बने हुए हैं वह कार्यवाही उस नियम के अन्तर्गत संचालित होगी और उस नियमावली के अनुसार वह संचालित होगी उसके आधार पर उनको जब वह पात्र नहीं हैं तो उनको अपने आप निकालने के लिए राज्य सम्पत्ति विभाग उसके लिए पूरी तरह से सक्षम होगा। इसलिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां तक इसको बनाये रखने का सवाल है यह अधिनियम जो 1972 का अधिनियम है उसके चलते उस धारा को बनाये रखने से उस बिल में रहने से उस बिल के आधार पर इसमें कार्यवाही होती है और उसके आधार पर कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करता है और बहुत से ऐसे लोग जो अपात्र हैं वह कहीं न कहीं से उसमें रुकावट डालने में कामयाब हो जाते हैं जिस कारण से उनको नहीं खाली कराया जा सकता है। इसलिए इसमें कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके आधार पर इतना शंका होने की आवश्यकता है। मैं यह चाहूंगा कि इसकी मूल भावना

ऐसा कोई अनधिकृत कब्जा करने का नहीं है बल्कि अधिकृत कब्जा को हटाने का इसका मूल भावना है और उसी के लिए यह लाया जा रहा है।

*श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस ऐक्ट में इसका इवेक्शन करायेंगे यह बता दें। इसको उससे बाहर निकाल दिया अब इसको किस ऐक्ट में इवेक्शन करायेंगे। इसको नाजायज कब्जे वाला मानते हैं तो उस ऐक्ट का नाम बता दें तो मान्यवर, हम लोग भी आश्वस्त हो जायेंगे और माननीय सदस्यों को भी जानकारी हो जायेगी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने बताया कि जो राज्य सम्पत्ति की नियमावली बनी हुई है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, वह ऐक्ट बता दें जिसके तहत इवेक्शन करेंगे।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अगर आप न्यायाधीश के आसन पर होते और आप हमारी बात सुन लिये होते तो निश्चित रूप से आज आपका निर्णय आ जाता कि जो कुछ यह कह रहे हैं वह सरासर गलत है और जो कुछ भी हम कह रहे हैं वह सरासर सही है। लेकिन मान्यवर, आपकी सीमाएं हैं उन सीमाओं को देखते हुए माननीय संसदीय कार्य मंत्री, अभी आप सीमाओं से अतिक्रमित न हों तो आप देख लें, अगर वास्तव में आपका मंतव्य वही है जो आप कह रहे हैं। अगर वास्तव में आपकी इच्छा वही है तो ले आयें दुबारा। क्योंकि जब आपके पास कानून बचेगा ही नहीं जो कानून था जिसके बारे में आपने आशंका जताई कि अदालतों में स्टे हो जाता है तो इस कानून से बाहर निकालने के बाद आपके पास कोई दूसरा कानून है ही नहीं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह जब आज बिल आया तो हम सोच रहे थे कि इस पर बोलने की कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है यह सरकार पहली बार कोई ऐसा बिल लाई जो कम से कम जो गलत लोग हैं जो पजेशन में है उनको बाहर करने को लाई। तो हम तो सोच रहे थे कि ठीक-ठाक हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, हम बोलना नहीं चाहते थे। यह बतायें कि क्या न्यायालय का क्षेत्राधिकार इसमें रहेगा या उससे बाहर कर देंगे। हम उसी बात को और आगे बढ़ा रहे हैं तो चौधरी साहब ने कहा, आखिरकार किस ऐक्ट के तहत लायेंगे न्यायालय का क्षेत्राधिकार रहेगा या उससे बाहर कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष-

यह 1972 का विधेयक है, संशोधन विधेयक लाये हैं मूलतः 1972 से प्रवृत्त हुआ माना जायेगा। उसी का संशोधन किये हैं कुछ सम्पत्तियों का अलग से विवरण कर दिये हैं। उसी विधेयक का संशोधन है 1972 का।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इसमें पब्लिक प्रीमिसेज के अन्दर जो सम्पत्तियां आती हैं उसको परिभाषित किया गया है और इस परिभाषा से उसको निकाल दिया गया है। इतना संशोधन है कि इस परिभाषा से उन सम्पत्तियों को निकाल लिया गया है। तब पब्लिक एडमिशिबल ऐक्ट इस पर लागू होना बन्द हो गया, दूसरा कोई ऐक्ट है नहीं बेदखली का। तो संशोधन इतना ही तो है।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न प्रस्तुत करने जा रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 का अग्रतर (संशोधन) करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 1 मई, 1972 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1972 की धारा-2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 की धारा-2 में, खण्ड (ङ) में निम्नलिखित उपबंध अंत में बढ़ा दिये जाएंगे और सदैव से बढ़ाये गये समझे जाएंगे, अर्थात् :-

"किन्तु इनमें ऐसे भू-गृहादि सम्मिलित नहीं हैं जो राज्य सम्पत्ति विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं और जो निम्नलिखित द्वारा अध्यासित है :-

(क) उत्तर प्रदेश सरकार का कोई मंत्री तथा मंत्री का दर्जा प्राप्त कोई व्यक्ति;

(ख) कोई संसद सदस्य, उत्तर प्रदेश के विधान सभा या विधान परिषद् का कोई सदस्य;

(ग) कोई गैर-सरकारी संगठन, चाहे निगमित या पंजीकृत हो या नहीं हो;

(घ) राजनैतिक दल, जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त न हो;

(ङ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत कोई सोसाइटी, भारतीय न्यास अधिनियम, 1888 के अधीन पंजीकृत कोई न्यास या व्यवसाय संघ, अधिनियम के अधीन पंजीकृत कोई व्यवसाय संघ या कोई कर्मचारी संघ या व्यक्तियों का कोई निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं हो;

(च) किसी राजनैतिक दल की कोई इकाई या अग्रणी या अन्य संगठन, चाहे मान्यता प्राप्त हो या नहीं हो;

(छ) कोई व्यक्ति जो सरकारी सेवक न हो, या किसी सोसाइटी, न्यास या व्यक्तियों के किसी निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं हो, का कोई पदधारक या प्रतिनिधि होने के कारण जिसे सार्वजनिक भू-गृहादि आवंटित किया गया हो।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनाएं प्राप्त हुयीं। स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जनपद आगरा के जूता उद्योग को बचाने हेतु नॉन लेदर जूतों को वैट से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी, दूसरी सूचना श्री हुकुम सिंह की उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा विवाद के चलते मुजफ्फरनगर की तहसील कैराना स्थित गांवों के किसानों को सुरक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई, तीसरी सूचना श्री सुन्दर लाल लोधी की जनपद उन्नाव के थाना अजगैन में श्रीमती पुत्तन देवी निवासिनी ग्राम कुसुम्भी

की हत्या के बाद भी रिपोर्ट दर्ज न करने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई, चौथी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की मेरठ नगर निगम अन्तर्गत पशु वधशालाओं से हो रहे प्रदूषण को रोकने हेतु पशु वधशालाओं का आधुनिकीकरण किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई, पांचवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की जनपद प्रतापगढ़ में लोक निर्माण विभाग द्वारा चमरौरा नाले पर सक्तेश्वरनाथ पर स्वीकृत पुल के अधूरे पड़े कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई, छठवीं सूचना श्री प्रदीप जैन आदित्य की जनपद झांसी स्थित मेडिकल कालेज के न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोसर्जरी विभाग में रिक्त चिकित्सकों एवं स्टाफ की तत्काल नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई, सातवीं सूचना श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला की जनपद सिद्धार्थनगर में साधन सहकारी समितियों के बंद होने से किसानों को उर्वरक एवं बीज समय से न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई, आठवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की मथुरा-वृन्दावन में यमुना नदी के प्रदूषित जल की रोकथाम हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के रख-रखाव का कार्य जल निगम को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई, नवीं सूचना डा0 पी0 के0 राय की जनपद कुशीनगर को तहसील तमकुहीराज में ए0पी0 तटबंध के किनारे बाढ़ की कटान से प्रभावित लोगों को कहीं अन्यत्र बसाये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई, दसवीं सूचना श्री सनातन पाण्डेय की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर स्थित पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों हेतु शासन स्तर से धन अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई, ग्यारहवीं सूचना श्रीमती कृष्णा राज की जनपद खीरी के ग्राम सभा भवनापुर स्थित धार्मिक स्थल ठाकुरजी एवं मठ की सम्पत्तियों पर इमारती लकड़ियों के अवैध कटान करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई, बारहवीं सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर (सिविल लाइन्स) के अधूरे प्रेक्षागृह का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई, तेरहवीं सूचना चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गिरते भू-जलस्तर के कारण जनपद मेरठ में बंद पड़े इण्डिया मार्का हैण्डपम्प की रीबोरिंग कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई, चौदहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर नगर में वर्ष 2005-2006 में स्वीकृत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित हाट मिक्स प्लांट से बनी सड़क के अधूरे कार्य को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में है; ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। पन्द्रहवीं सूचना डा0 अनिल चौधरी की आगरा व मथुरा शहर की पेयजल समस्या के समाधान हेतु हाथरस ब्रांच गंग नहर व माण्ट ब्रांच गंग नहर में टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। सोलहवीं सूचना श्री धर्मपाल यादव डी0 पी0 यादव की जनपद-बदायूं के सहसवान एवं बिसौली विधान सभा क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति 16 घण्टे सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :--

1-श्री अनूप कुमार गुप्ता,

2-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,

3-श्रीमती उमलेश यादव,

4-श्री सुन्दर सिंह,

5-श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद,

6-श्री जगन प्रसाद गर्ग,

7-श्री संजीव दरियाबादी,

8-श्री यशपाल सिंह चौहान,

9-डा0 अजय तोमर तथा

10-डा0 आर0 ए0 उस्मानी।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद आदि जिलों में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के दृष्टिगत सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिये कार्य योजना बनाने विषयक दि0 31 अक्टूबर, 2007 की कार्य सूची के नत्थी 'क' के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न-2 के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा मुझे डेंगू बुखार जैसे गम्भीर विषय पर चर्चा करने का मौका दिया गया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मान्यवर,

पूरे पश्चिमी उ0 प्र0 के गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ जनपदों में डेंगू बुखार बहुत तेजी से फैल रहा है जिसके कारण मेरठ जनपद में सत्य प्रकाश त्रिपाठी (पुलिस वायरलेस विभाग) की मृत्यु हो गयी है सरकार ने डेंगू से निपटने का कोई उपाय नहीं किया है। मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी ने लिखित उत्तर में बताया है कि उपरोक्त जनपदों से कीटनाशक दवा का छिड़काव किया गया है। क्या मंत्री जी को जानकारी है उपरोक्त जनपदों में किस स्थान एवं तिथि को कीटनाशक दवा का छिड़काव किया गया है, प्रदेश के कितने जनपदों में डेंगू बुखार के जांच की क्या-क्या व्यवस्था किन-किन अस्पतालों में है तथा कितने अस्पतालों में प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन की व्यवस्था उपलब्ध है ? जनपद मुरादाबाद के ग्राम भटवाली में डेंगू बुखार में छत्रपाल मजदूर के तीन बेटे शिवम, सुनील और महिपाल उर्फ राजकुमार की मौत हो गई है। इसी प्रकार जनपद बिजनौर के चांदपुर तहसील के अन्तर्गत ग्राम महुबुल्लापुर ढाकी में चार बच्चों की तथा रुस्तमपुर ढाकी, दरबाड़ा गन्धौर में आठ बच्चों की मौत डेंगू से हो चुकी है एवं चांदपुर कस्बे के नईम अहमद करसार की पत्नी नजमा को भी बिजनौर में इलाज न मिलने के उपरान्त दिल्ली के सफदरजंग अस्पातल में मौत हो गई। इतनी मौतों के बाद भी सरकार के कानों में जूं नहीं रेंगी। क्या डेंगू की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाये जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जांच एवं उपचार की सही व्यवस्थायें नहीं हैं सरकार ने डेंगू के उपचार हेतु एवं निपटारे हेतु कोई अभियान नहीं चलाया है न ही कोई दवायें विशेष रूप से खरीदी हैं क्या सरकार गरीबों के इलाज हेतु उत्तरदायी नहीं है पैसे वाले अमीर व्यक्ति तो प्राइवेट चिकित्सकों से

इलाज करा रहे हैं गरीब की सुध किसी को नहीं है। मैं इस सदन से मांग करता हूं कि डेंगू बुखार के उपचार एवं रोकथाम हेतु सरकार विशेष अभियान चलाने की घोषणा करे।

*स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री अनन्त कुमार मिश्रा)-

मा0 अध्यक्ष जी, डेंगू रोग नियंत्रण कार्य योजना, 2007 बनाकर समस्त मण्डलायुक्तों, मण्डलीय अपर निदेशकों, जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारियों को दिनांक 25-06-2007 को प्रेषित की गई है। उक्त कार्य योजना के अनुसार डेंगू रोग पर नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु निरोधात्मक एवं उपचारात्मक कार्यवाही स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। इस कार्य योजना का मुख्य बिन्दु निम्नवत् है :--

डेंगू से पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल पहचान व निदान एवं उपचार, आम नागरिकों को डेंगू से बचाव के लिये स्वास्थ्य शिक्षा, इंटीगेटेड वैक्टर कंट्रोल द्वारा मच्छरों की परिस्थितियों की समाप्ति हेतु कार्यवाही, सर्विलेंस पर विशेष बल देते हुए डेंगू की रोकथाम व बचाव, डेंगू की रोकथाम हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा 30 अगस्त, 2007 को डेंगू एलर्ट एवं रोकथाम परिपत्र निर्गत किया गया तथा डेंगू रोगियों के उपचार हेतु प्लेटलेट्स की आपूर्ति हेतु महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा से निरन्तर सम्पर्क कर कार्यवाही की जा रही है। डेंगू रोग वर्ष 2006 तथा 2007 के तुलनात्मक आंकड़े निम्नवत् हैं :-

2006 में 01-12-2006 तक कुल 639 केसेज आये थे जिसमें 14 की मृत्यु हुई। इस साल 2007 में 03-12-2007 तक मात्र 120 लोग ग्रसित पाये गये हैं जिसमें से सिर्फ इलाहाबाद में एक रोगी की मृत्यु हुई है। सरकार के प्रयास द्वारा इस वर्ष डेंगू पर काफी हद तक नियंत्रण कर लिया गया है। विगत वर्ष डेंगू से 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई जबकि इस वर्ष मात्र एक व्यक्ति की मृत्यु जनपद इलाहाबाद में हुई। सबसे प्रभावित जिला गाजियाबाद है, जहां अब तक 34 व्यक्ति ग्रसित हुए। गाजियाबाद में सर्वाधिक डेंगू रोगी होने का मुख्य कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से उसका सटा होना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली डेंगू से अत्यधिक प्रभावित है, जिसका प्रभाव जनपद गाजियाबाद में पड़ रहा है। डेंगू रोगियों की पहचान एवं उपचार की व्यवस्था प्रदेश के प्रत्येक जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कालेज में उपलब्ध है। डेंगू रोगियों में जटिलता उत्पन्न होने पर प्लेटलेट्स की व्यवस्था सी0एम0एस0 मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ, एस0जी0पी0जी0आई, लखनऊ, मेडिकल कालेज, कानपुर तथा आई0एम0एस0 बी0एच0यू0, वाराणसी में आवश्यकतानुसार करायी जा रही है। माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि मेरठ में डेंगू का कोई रोगी नहीं है। इसी तरह से संदर्भित जनपद मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में 8-8 तथा गाजियाबाद में 34 डेंगू के रोगी पाये गये हैं।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं नाम बता रहा हूं जिसकी डेंगू से मृत्यु हुई है, श्री सत्य प्रकाश त्रिपाठी जो वायरलेस आपरेटर है उसकी मृत्यु डेंगू से हुई है। माननीय मंत्री जी को पता नहीं है। अभी मंत्री जी ने बताया कि प्लेटलेट्स की व्यवस्था छत्रपति शाहूजी मेडिकल विश्वविद्यालय, लखनऊ व

एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में है। मेरठ में कोई मरीज है तो उसके लिए प्लेटलेट्स की व्यवस्था कैसे हो पायेगी ? मान्यवर, करोड़ों रुपये की मशीनें प्यारेलाल अस्पताल में बन्द पड़ी हैं लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। गाजियाबाद में कितने लोग मर गये, लेकिन माननीय मंत्री जी को कोई जानकारी नहीं है ?

श्री लालजी यादव-

माननीय मंत्री जी, मैं अपने जनपद सिद्धार्थनगर की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। सिद्धार्थनगर जनपद के जिला चिकित्सालय की भी स्थिति बहुत खराब है और गरीब मरीजों को गोरखपुर जाने के लिये मजबूर होना पड़ता है। वहां की व्यवस्था को टीक किया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय सदस्य, नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा लगी है, इसमें सिद्धार्थनगर कहां से आ गया ?

श्री लालजी यादव-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आपके कमरे में 5 साल दरी पर सोया हूं, आपका कार्यकर्ता रहा हूं। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह भी नये हैं, पहली बार आये हैं और मैं भी पहली बार आया हूं। सभी अस्पतालों का जिक्र न किया होता तो मैं नहीं कहता। मेरे यहां नगरपालिका बांसी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बसन्तपुर में 50 हजार की आबादी है। वहां पर स्थिति बहुत खराब है, मरीजों को दवा नहीं मिल पाती है। मंत्री जी, पक्ष-विपक्ष की बात नहीं है आप अपने अर्धानस्थ किसी भी आदमी को बसन्तपुर भेजकर वहां की दुर्दशा को दिखवा लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, मैं 10.00 बजे रात में उसे अपनी मारुति कार में लादकर ले गया लेकिन वहां पर कोई दवा नहीं मिली फिर उसे जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर ले जाना पड़ा। हम गरीबों के बीच से निकले हैं। आप विधायक तौफीक अहमद और मो0 ताबिस खान से मेरे बारे में पूछ लीजिएगा। मा0 मंत्री जी, आप कैबिनेट मंत्री हैं आपको बहुत संतुलित बात करनी चाहिए।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय सदस्य निश्चित तौर पर अभी नये हैं और बहुत कुछ सदन में सीखना पड़ता है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि डेंगू की समस्या पर चर्चा हो रही है और स्पैसिफिक कुछ रीजन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हो रही है। माननीय सदस्य श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी प्रस्ताव लाये हैं। आप भी हम लोगों के साथ बैठें, हमारे वरिष्ठ सदस्य राधामोहन दास अग्रवाल जी से सीखें वह बतायेंगे कि किन नियमों से अपनी समस्या को उठाना है। आप हम लोगों के बीच बैठिये, आपको बताया जायेगा। यह केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित डेंगू की बीमारी के सम्बन्ध में प्रश्न था उस पर तैयार हो करके मा0 मंत्री जी आये हैं इसलिए उसी का उत्तर इस मौके पर दे सकते हैं, जो आपने शिकायत की है उसको गम्भीरता से लेते हैं।

श्री लालजी यादव-

मान्यवर, हमने सुझाव दिया है, कोई शिकायत नहीं की।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य बैठिये, आपकी बात मान ली गयी।

अब हो गया आपके जो सुझाव व शिकायतें हैं उनका मंत्री जी ने संज्ञान ले लिया है।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सदन में जो उत्तर दिया है वह सही नहीं है। मेरठ में सत्य प्रकाश त्रिपाटी की मौत हुई है इसकी जांच करवा लें। मैं चुनौती देता हूं कि इसकी जांच करवा लें।

श्री अशोक कुमार कंसल-

मंत्री जी ने 8 केस बतायें हैं लेकिन मुजफ्फरनगर में एक कालोनी जो गांधी नाम से जानी जाती है वहां पर एक ही परिवार के कई लोग डेंगू बुखार से प्रभावित हैं। बच्चन सिंह कालोनी नाम से एक कालोनी जानी जाती है उसमें 15 लोग डेंगू से पीड़ित हैं। मंत्री जी ने जो 8 का रिकार्ड बताया है वह सही नहीं है। वहां पर एक ही कालोनी में कम से कम 50 लोग डेंगू से पीड़ित हैं। कुछ लोग तो अपना इलाज करा सकते हैं लेकिन जो लोग गरीब हैं उनके लिए अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है। बार-बार सी0एम0ओ0 से कहने के बावजूद कीटनाशक छिड़काव की कोई योजना नहीं बनाई गई है। मंत्री जी इस ओर ध्यान दें व इसकी जांच कराएं। यह आंकड़े गलत हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब सब बात आ गई। अग्रवाल साहब आपकी बात का मंत्री जी ने संज्ञान ले लिया है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर विषय है। मेरा विधान सभा क्षेत्र बरनावा का आधा क्षेत्र मेरठ जिले में आता है। वहां खिवाई गांव में एक परिवार के तीन लोग दिल्ली के गुरू तेग बहादुर अस्पताल दिल्ली में भर्ती हुए जिनकी मौत हो गई मैं इसकी रिपोर्ट देने के लिए तैयार हूं। मंत्री जी ने कहा कि मेरठ में डेंगू से मौत नहीं हुई है। बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेंगू ने अपने पांव पसारे हैं। मेरे पास जानकारी नहीं है लेकिन मैं जानकारी दे सकता हूं दिल्ली के गुरू तेग बहादुर अस्पताल में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौतें हुई हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन जिलों में डेंगू के उपचार की योजनाएं कागजों पर चल रही हैं। मंत्री जी आपको सच्ची रिपोर्ट नहीं दी जाती है। आप अधिकारियों को निर्देश दें कि सही आंकड़े पेश करने का काम करें और जो भी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं उनको वास्तविक रूप से चलाएं कागजों पर चलाने का काम न करें।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्यों को बताना चाहता हूं कि डेंगू के पहचान और उपचार की निःशुल्क व्यवस्था हर जिला चिकित्सालयों में है। जहां तक प्लेटलेट्स की बात है यह मेरठ के मेडिकल कालेज में उपलब्ध है। जिला अस्पताल गाजियाबाद में उपलब्ध है। माननीय सदस्यों ने जो भी जानकारी दी है उनका मैंने संज्ञान लिया है।

(सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया। माननीय मंत्री जी ने बता दिया। आपने मंत्री जी के संज्ञानं में ला दिया है। हो सकता है कि यह गलत सूचना हो। मंत्री जी ने कह दिया है कि हम इसकी जांच करवा लेंगे। अब उत्तर हो गया है।

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 5 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक : 4 दिसम्बर, 2007

राजेन्द्र प्रसाद पांण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 489 विधान सभा (946)-12-3-08-813 (कम्प्यूटर)।